सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

(राजस्व विभाग – सीमाशुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2017 की संख्या–1

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग-सीमाशुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2017 की संख्या 1

विषय-सूची

	अध्याय	*पैरा सं.*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			*iii*
कार्यकारी सार			*v*
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			*xi*
सीमाशुल्क राजस्व	*I*	1.1 to 1.23	1
बकायों की वसूली (सीमाशुल्क)	*II*	2.1 to 2.15	17
सीमाशुल्क विभाग के निवारक कार्य	*III*	3.1 to 3.14	43
शुल्क छूट/रियायत योजनायें	*IV*	4.1 to 4.7.1	65
सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण	*V*	5.1 to 5.7	87
वस्तुओं का गलत वर्गीकरण	*VI*	6.1 to 6.10	95
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग	*VII*	7.1 to 7.7	105
अनुलग्नक			117

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग-सीमाशुल्क तथा वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक, विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए दृष्टान्त वे हैं जो 2015-16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये मामलों के साथ-साथ पिछले वर्षों में ध्यान में आए मामलें, जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं बताया जा सका। 2015-16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी वहां शामिल किया गया है जहां आवश्यक है ।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 12 प्रतिशत बढ़कर ₹ 2,10.338 करोड़ हो गई। संग्रहीत सीमाशुल्क का जीडीपी में अनुपात 1.55 प्रतिशत था। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और प्रतिभूतियों पर छोड़ा गया शुल्क वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 3,40,420 करोड़ था।

इस प्रतिवेदन में ₹ 495 करोड़ राजस्व वाले 101 पैराग्राफ और ₹ 568 करोड़ वाले दो विशिष्ट विषय अनुपालन पैराग्राफ हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 6430 करोड़ के प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। आज की तारीख तक ₹ 19 करोड़ के 70 पैराग्राफों में कारण बताओ करते हुए नोटिस जारी करते हुए और ₹ 15 करोड़ की वसूली पर निर्णय लेते हुए विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है। ऐसे मामले, जिन्हें विभाग ने स्वीकार कर लिया है और वसूलियाँ की गई हैं/वसूली कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, प्रतिवेदन के अनुलग्नकों में उल्लिखित है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

इस अध्याय में केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी)/डीजीएफटी/ वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त एवं सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संघ वित्तीय लेखाओं, प्रतिवेदनों और संबंधित डाटा से डाटा का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क प्राप्तियों, अयात एवं निर्यात, छोड़े गए शुल्क और आंतरिक लेखापरीक्षा की अनियमितताओं का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

- **मुख्यत: कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण वि.व. 16 के दौरान आयात में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।**

{पैराग्राफ 1.6}

- **जीडीपी के अनुपात में सीमाशुल्क राजस्व में वि.व. 15 की तुलना में वि.व. में मामूली वृद्धि हुई थी।**

{पैराग्राफ 1.7}

- **सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व क्रमश: 14 प्रतिशत और 30 प्रतिशत था।**

{पैराग्राफ 1.7}

- **निर्यात में वि.व. 16 के दौरान 9.49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 16 में 162 प्रतिशत था। पांच निर्यात प्रोत्साहन और छूट योजनाओं के कारण इन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया कुल राजस्व 88 प्रतिशत था।**

{पैराग्राफ 1.6,1.9 और 1.10}

अध्याय II: बकायों की वसूली (सीमाशुल्क)

- **विशेष संस्थागत व्यवस्था जैसे कि वसूली सेल बनाने और कार्यबल गठित करने से राजस्व बकायों की वसूली में सुधार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा में शामिल तीन वर्षों की अवधि के दौरान ये वसूलियाँ कई प्रकार से बढ़ गई।**

{पैराग्राफ 2.6.1}

- **मार्च 2016 तक अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित राजस्व बकाया वाले 5461 मामलों में से 1213 मामले (22 प्रतिशत) 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। राजस्व बकायों की वसूली बाधित श्रेणी में रूक गई तथा जिसके कारण बकायों का ढेर लग गया, जिसके लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से मामले को देखे जाने की आवश्यकता है।**

{पैराग्राफ 2.8}

- **नमूना जांच किए गए 31 आयुक्तालयों में 14, 18 और 23 आयुक्तालय क्रमश: 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 में निर्धारित वसूली लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे।**

{पैराग्राफ 2.9.1}

- **फिरती मामलों की निगरानी न करने, ईओडीसी स्थिति की निगरानी के बिना अग्रिम लाइसेंस मामलों के गलत निर्णय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जा रही मासिक रिपोर्टों में कमियों के कारण बकायों का ढेर लगना एक अविश्वसनीय निगरानी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का द्योतक हैं।**
- **लेखापरीक्षा ने ₹ 566 करोड़ के मामलों के अतिरिक्त ₹ 1297 करोड़ के प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण कमियों वाले मामलें देखे।**

{पैराग्राफ 2.6.1 से 2.15}

अध्याय III: सीमाशुल्क विभाग के निवारक कार्य

- **38 आयुक्तालयों के नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने संसाधनों की कमी, समुद्री पेट्रोलिंग लक्ष्य पूरा न होने, पेट्रोलिंग वाहनों का प्रयोग न करने, अपर्याप्त गुप्त सूचना संग्रहण, अप्रचलित टेलीकम्युनिकेशन उपकरण, पुराने हथियारों और अस्त्र-शस्त्रों तथा अप्रशिक्षित स्टॉफ के कारण निवारक कार्यों में कमी देखा।**
- **लेखापरीक्षा ने जब्त किए गए और अधिग्रहीत वस्तुओं के निपटान में देरी तथा अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण के अभाव के कई मामले देखे जिसके कारण भण्डारण स्थल का अवरोधन हुआ और सार्वजनिक कोष को अनावश्यक हानि हुई।**
- **लेखापरीक्षा ने ₹ 1.75 करोड़ और ₹ 5133 करोड़ के प्रणालीगत मामले देखे।**

{पैराग्राफ 3.6 से 3.14}

अध्याय IV: शुल्क छूट/रियायत योजनायें

- ***लेखापरीक्षा ने विभिन्न पद्धतियों द्वारा बीजक के पंजीकरण/बीजक के प्रयोग में छेड़छाड़ के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी औजारों के संबंध में शुल्क क्रेडिट का गलत उपयोग देखा जो धोखाधड़ी की संभावना दर्शाता है। लाइसेंसों के गलत उपयोग में निहित मौद्रिक मूल्य ₹ 51.70 करोड़ था।***

{पैराग्राफ 4.1 से 4.1.5}

- **₹ 409.96 करोड़ का राजस्व आयातकों/निर्यातकों से बकाया था जिन्होंने शुल्कछूट योजना का लाभ लिया था लेकिन ये निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं करते थे।**

{पैराग्राफ 4.2 से 4.7.1}

अध्याय V: सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

- **लेखापरीक्षा ने ₹ 17.48 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के 29 मामले देखे। इनमें से विभाग ने ₹ 8.39 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 22 मामलों को स्वीकार कर लिया और 20 मामलों में ₹ 7.55 करोड़ की वसूली की सूचना दी। ये मामले मुख्यत: आयातों पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही न करने, फिरती के अधिक भुगतान, वेयरहाऊस में पड़ी वस्तुओं (शराब) के निपटान में देरी और सुरक्षा शुल्क आदि की उगाही न करने के कारण उत्पन्न हुए थे।**

{पैराग्राफ 5.1 से 5.7}

अध्याय VI: वस्तुओं का गलत वर्गीकरण

- **28 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण कर दिया जिसके कारण ₹ 10.01 करोड़ के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई। इनमें से विभाग ने ₹ 3.26 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 19 मामलों को स्वीकार कर लिया और ₹ एक करोड़ की वसूली की सचना दी।**

{पैराग्राफ 6.1 से 6.10}

अध्याय VII: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

- ***दो मामलों में लेखापरीक्षा ने ₹ 2.34 करोड़ के राजस्व वाले मामले में जाली दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) का प्रतिदाय देखा।***

{पैराग्राफ 7.1 और 7.2}

- **लेखापरीक्षा ने ₹ 3.30 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सात अन्य मामलों में छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग देखा। इसमें से**

विभाग ने ₹ 37 लाख के राजस्व प्रभाव वाले चार मामलों को स्वीकार कर लिया और तीन मामलों में ₹ 12 लाख की वसूली की सूचना दी।

{पैराग्राफ 7.3 से 7.7}

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम	एसीपी
अग्रिम प्राधिकार	एए
प्राधिकृत आर्थिक संचालक	एईओ
अग्रिम छूट आदेश	एआरओ
एंटी डंपिंग शुल्क	एडीडी
आधारभूत सीमाशुल्क	बीसीडी
प्रविष्टि रसीद	बीई
समेकित भुगतान और लेखांकन पैकेज	कॉमपैक्ट
कस्टम्स टैरिफ हेडिंग	सीटीएच
केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क	सीबीईसी
केंद्रीय उत्पाद टैरिफ हेडिंग	सीईटीएच
केंद्रीय स्थैतिक संगठन	सीएसओ
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी
लागत बीमा भाड़ा	सी.आई.एफ.
सीमाशुल्क आयुक्तालय	कमिश्नरेट
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
डाटा प्रबंधन निदेशालय	डीडीएम
राजस्व विभाग	डीओआर
वाणिज्य विभाग	डीओसी
विदेशी व्यापार महानिदेशालय	डीजीएफटी
विकास आयुक्त	डीसी
एंटी डंपिंग महानिदेशालय	डीजीएडी
वाणिज्यिक अंवेषण स्थैतिक महानिदेशालय	डीजीसीआईएस
निर्धारण महानिदेशालय	डीजीओवी
घरेलू टैरिफ क्षेत्र	डीटीए
शुल्क हकदारी पासबुक	डीईपीबी
शुल्क मुक्ति हकदारी क्रेडिट प्रमाणपत्र	डीईईसी
शुल्क मुक्त पुनर्पूर्ति प्रमाणपत्र	डीएफईसीसी
शुल्क मुक्त पुर्नपूर्ति प्रमाणपत्र	डीएफआरसी
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज	इडीआई

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
निर्यात दायित्व	ईओ
निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र	ईओडीसी
निर्यातोन्मुख इकाई	ईओयू
निर्यात निष्पादन	ईपी
निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल	ईपीसीजी
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र	ईपीजेड
निर्यात एवं आयात	ईएक्सआईएम
वित्तीय वर्ष	एफवाई
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम	एफआरबीएम
फ्री ऑन बोर्ड	एफओबी
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
सकल घरेलू उत्पाद	जीडीपी
प्रकिया हैंडबुक	एचबीपी
सुमेलित नामकरण प्रणाली	एचएसएन
सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी	आईसीटी
आयातक निर्यातक कोड	आईईसी
वृद्धिगत निर्यात प्रोत्साहन योजना	आईसीईएस
इनलैंड कंटेनर डिपो	आईसीडी
अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)	आईटीसी(एचएस)
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार	जेडीजीएफटी
अनुमति पत्र	एलओपी
स्थानीय जोखिम प्रबंधन	एलआरएम
मिशन मॉड प्रोजेक्ट	एमएमपी
ऑन साइट पोस्ट मंजूरी लेखापरीक्षा	ओएसपीसीए
लोक लेखा समिति	पीएसी
निष्पादन मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	पीएमईएस
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	प्रि.सीसीए
क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण	आरएलए
जोखिम प्रबंधन प्रणाली	आरएमएस
रुपया	₹
विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क	एसएडी

विस्तृत रूप	**संकेताक्षर**
विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसईजेड
भारत योजना द्वारा	एसएफआईएस
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	एसटीपी
स्टैडंर्ड इनपुट आउटपुट मानक	एसआईओएन
विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना	*वीकेजीयूवाई*

अध्याय ।

राजस्व विभाग-सीमा शुल्क राजस्व

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण एवं ऋण के पुन: भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई **तालिका 1.1** वित्तीय वर्ष 2016 और 15 के लिए केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

₹ करोड़

	2015-16	**2014-15**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	19,42,200	16,66,717
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*7,42,012*	*6,95,792*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[1]	*7,13,879*	*5,49,343*
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	*4,84,428*	*4,19,982*
iv. सहायता अनुदान और अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	*1,881*	*1,600*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां[2]	42,132	37,740
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली[3]	41,878	26,547
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[4]	43,16,950	42,18,196
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**63,43,160**	**59,49,200**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में वि.व. 15 एवं वि.व. 16 में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग क्रमश: ₹ 3,37,808 करोड़ तथा ₹ 5,06,193 करोड़ है।		

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे

[1] सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि के जैसी सेवाओं और वस्तुओं पर उद्ग्रहीत अप्रत्यक्ष कर;

[2] इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियों का मूल्य निहित है;

[3] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली;

[4]भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ-साथ बाहरी उधारियाँ;

संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ वि.व. 15 में ₹ 59,49,200 करोड़ से बढ़कर वि.व. 16 में ₹ 63,43,160 करोड़ हो गई। वि.व. 16 में इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 14,55,891 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 19,42,200 करोड़ थी जिसमें अप्रत्यक्ष कर का योगदान ₹ 7,13,879 करोड़ था।

1.2 अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्षिक वृद्धि नीचे **तालिका 1.2** में दी गई है। जीडीपी[5] से अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता शेयर में पिछले पांच वर्षों के दौरान 4 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सकल अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44
वि.व.13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	46
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	44
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	44
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,078	5.23	14,55,891	49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, वि.व. 16 के आंकड़े अनंतिम हैं।

सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का शेयर वि.व. 15 की तुलना में वि.व. 16 में बढ़ गया।

1.3 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की आपूर्ति/सेवाओं की लागत पर वसूला जाता है और इन्हें व्यक्ति की बजाए लेन-देन पर लगाया जाता है। संसद की अधिनियमों के अंतर्गत उद्ग्रहीत मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर हैं। यह प्रतिवेदन सीमाशुल्क से संबंधित है।

[5]स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जून 2016 में प्रदान किए गए जीडीपी के आँकड़े।

1.4 संगठन और इसके कार्य

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड यथा; केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी) तथा केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी मामलों का समंवय करता है। सीमाशुल्क की उगाही एवं संग्रहण से जुड़े मामलों की देखरेख सीबीईसी द्वारा की जाती है।

सीबीईसी की कुल संस्वीकृत स्टॉफ संख्या 91,756[6] (01 जनवरी 2016 को) है।

इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 (संघ के क्षेत्राधिकार की सीमा तक आने वाले), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक दवा एवं नशीले पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी विनिमय दलाल (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारक अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), हवाला निरोधक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तथा अंवेषण, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के लिए संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रति भी उत्तरदायी है।

वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग महानिदेशक, विदेश व्यापार के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता है, उसे लागू करता है तथा उसकी निगरानी करता है जो निर्यात एवं व्यापार प्रोत्साहन हेतु अपनायी जाने वाली नीति एवं रणनीति का आधारभूत ढाँचा प्रदान करती है। व्यापार नीति की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों में उभरते आर्थिक परिदृश्यों पर ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, और विकास तथा कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं प्रतिभूतियों जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई है।

[6] 01 जनवरी 2016 को एचआरडी महानिदेशालय (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

1.5 सीमाशुल्क का कर आधार

सीमाशुल्क राजस्व आधार में महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक संहिता (आईईसी)[7] जारी किए गए आयातक एवं निर्यातक शामिल हैं। मार्च 2016[8] तक 724434 सक्रिय आईईसीज़ हैं। विदेश व्यापार के प्रबंधन हेतु 363 आयात पत्तन (105 ईडीआई, 53 गैर ईडीआई, 6 मैनुअल और 199 सेज़) तथा 347 निर्यात पत्तन (120 ईडीआई, 70 गैर ईडीआई, 12 मैनुअल और 145 सेज़) हैं। 2015-16 के दौरान ₹ 17.16 लाख करोड़ का निर्यात (97,41,229 लेन-देन) तथा ₹ 24.90 लाख करोड़ मूल्य का आयात (80,15,856 लेन-देन) किया गया। वि.व. 16 के दौरान टैरिफ रियायत प्रदान करने वाले तीस सक्रिय करार[9] थे। सीमाशुल्क प्राप्तियों (₹ 2,10,338 करोड़) के साथ-साथ छोड़ा गया राजस्व (₹ 3,40,420 करोड़) मिलकर कर आधार बनता है।

1.6 वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान भारत का आयात एवं निर्यात तथा सीमाशुल्क प्राप्तियाँ

निर्यात मूल्य के संदर्भ में भारतीय निर्यात की वृद्धिशील प्रतिशतता में वि.व. 12 से वि.व. 14 के दौरान 28% से 17% की गिरावट आई। वि.व. 15 में निर्यात अर्जन के मूल्य में ₹ 8,663 करोड़ (0.45) की गिरावट आई तथा आगे वि.व. 16 में वि.व. 15 की तुलना में ₹ 1,79,970 करोड़ (9.49 प्रतिशत) की गिरावट आई।

आयात मूल्य के संदर्भ में भी वि.व. 12 में 39% की तुलना वि.व. 15 में 1% की कमी आई। वि.व. 16 के दौरान आयात में 9 प्रतिशत की कमी आई जो मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण थी।

[7] डीजीएफटी दिल्ली द्वारा सभी आयातक/निर्यातक को आईईसी जारी किया जाता है।

[8] स्रोत: डीजीएफटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली

[9] http://commerce.nic.in/trade/international

तालिका 1.3: भारत के आयात तथा निर्यात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमा शुल्क प्राप्तियां	वृद्धि %	आयातों में सीमा शुल्क प्राप्तियां %	नियांत	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन	आयातों के % के रूप में व्यापार असंतुलन
वि.व.12	2345463	39	149328	10	6.4	1465959	28	-879504	37
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	6.2	1634319	11	-1034843	38
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	6.3	1905011	17	-810423	30
वि.व. 15	2737087	0.8	188016	9	6.9	1896348	(-)0.45	-840739	31
वि.व.16*	2490298	(-)9.02	210338	12	8.4	1716378	(-)9.49	-773920	31

स्रोत: एक्जिम डाटा, वाणज्यिक विभाग *वि.व. 16 के आंकड़े अनन्तिम है

कुल आयातों की प्रतिशतता में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 15 के 6.9 प्रतिशत की तुलना मे वि.व. 16 में 8.4 प्रतिशत थी।

आयातों की प्रतिशतता के रूप में व्यापार असंतुलन में वि.व. 13 में 38 प्रतिशतता से वि.व. 16 में 31 प्रतिशत तक कमी आई थी। तथापि, व्यापार असंतुलन में आई कमी मुख्यत: आयातों की मात्रा में कमी या निर्यातों में वृद्धि, इन दोनों में पिछले दो वर्षों में गिरावट का रूझान है, की बजाय अंतराष्ट्रीय तेल तथा कच्चे तेल कीमतों में कमी के कारण प्रतीत होती है।

1.7 जीडीपी, सकल कर राजस्व तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वि.व.12 से वि.व. 16 में दौरान जीडीपी तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क राजस्व की वृद्धि प्रवृति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में सीमाशुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व	सकल कर की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व.12	1,49,328	90,09,722	1.66	8,89,118	16.80	3,92,674	38.03
वि.व.13	1,65,346	99,88,540	1.66	10,36,460	15.95	4,74,728	34.83
वि.व.14	1,72,033	1,13,45,056	1.52	11,38,996	15.10	4,97,349	34.59

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में सीमाशुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व	सकल कर की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व.15	1,88,016	1,25,41,208	1.50	12,45,135	15.10	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, वि.व. 16 के आंकड़े अनन्तिम है

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 15 की तुलना में वि.व. 16 में मामूली वृद्धि आई है। सकल कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 12 में 17 प्रतिशत से वि.व. 16 में 14 प्रतिशत तक कमी आई है। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 12 में 38 प्रतिशत से वि.व. 16 में 30 प्रतिशत की कमी आई।

1.8 बजट तथा वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियों में अंतर

वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान बजट तथा संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां निम्न **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5: बजट तथा संशोधित, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर का %	वास्तविक तथा आरई के बीच अंतर का %
वि.व. 12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व.13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व. 14	187308	175056	172033	(-)15275	(-)8.16	(-)1.73
वि.व. 15	201819	188713	188016	(-)13803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16*	208336	209500	210338	(+)2002	(+)0.96	(+)0.40

स्रोत:संबंधित वर्षों के संघ बजट तथा वित्त लेखे, डीओआर

*आंकड़े अनन्तिम है

पिछले पांच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर की प्रतिशतता (-) 11.43 प्रतिशत से (+) 0.96 प्रतिशत की रेंज में थी

जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमानों में भी (-) 2.40 प्रतिशत से (+) 0.40 प्रतिशत तक अंतर था।

बीई/आरई/वास्तविक प्राप्तियों में अंतर की व्याख्या करते हुए, मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीमा शुल्क हेतु बीई तथा आरई को कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है जैसे कि जीडीपी में वृद्धि, कर नीति, शुल्क योग्य आयातों के मूल्य में वृद्धि, प्रतिदाय के कारण राजस्व व्यय तथा शुल्क वापसी, कतिपय अवधारणाओं के तहत् शीर्ष अंतराष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दर आदि, पूरे वर्ष के लिए इन कारकों के अंतिम परिणाम पहले से ज्ञात नहीं होते जो बीई/आरई से संबंधित वास्तविक संग्रहण को प्रभावित करते है।

1.9 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत छोड़ा गया सीमा शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई यें दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती है।

अत: छोड़े गए राजस्व को वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क, जो देय होगा, यदि नहीं होता तो छूट अधिसूचना जारी करने के लिए तथा संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया = मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर– शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1:6 सीमा शुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमा शुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियों	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व +प्रतिदाय+ डीबीके	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व. 12	149328	285638	3202	12331	301171	202
वि.व.13	165346	298094	3031	17355	318480	193

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियों	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व +प्रतिदाय+ डीबीके	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व. 14	172033	326365	4501	18539	349405	203
वि.व. 15	188016	465618	5051	27276	497945	265
वि.व. 16	210338	298704	6346	35370	340420	162

स्रोत: संघ प्राप्ति बजट, सीबीईसी डीडीएम, फिरती सैल, सीबीईसी

सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 16 में 162 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्षों के दौरान यह 162 से 265 प्रतिशत के बीच था। वस्तुओं पर छोड़े गए राजस्व के साथ-साथ कुल छोड़े गए राजस्व में वि.व. 15 की तुलना में वि.व.16 में ₹ 4.98 हजार करोड़ से ₹ 3.40 हजार करोड़ तक गिरावट का रूझान था। तथापि, वि.व. 16 में फिरती में 30 प्रतिशत (₹ 8094 करोड़) की वृद्धि हुई है, जबकि प्रतिदाय में 26 प्रतिशत (₹ 1295 करोड़) तक वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2016 तक फिरती अनुसूची के अंतर्गत कवर की गई मदों की कुल संख्या वि.व. 16 के दौरान 87 मदों को जोड़ कर 2459 थी।

वि.व. 16 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 67 प्रतिशत, प्राकृतिक या कृत्रिम मोतियों, कीमती धातु तथा उससे बनी वस्तुओं, खनिज इंधन, एनिमल या वनस्पति वसा/तेल, मशीनरी तथा मैकेनिकल उपकरणों तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी/उपस्कर आदि पर था।

1.10 निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

एडवांस लाइसेंस योजना लाइसेंस जारी होने की तिथि से 36 माह के अंदर निर्धारित निर्यात दायित्व (इओ) को पूरा करने के लिए परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति देती है।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) योजना सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है जो लाइसेंस जारी होने की तिथि से आठ वर्षों की अवधि में पूरा होने हेतु आयातित पूंजीगत माल पर बचाएं गए शुल्क के आठ गुणा के बराबर इओ के विषयाधीन है।

फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु नि: शुल्क विदेशी विनिमय में संपादित निर्यातों के पोतपर्यत नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य के 2/5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज)/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (इपीजेड)/निर्यात उन्मुख यूनिटों (इओयू) को माल तथा सेवाओं के निर्यात हेतु इनपुटों के नि:शुल्क आयातों की अनुमति दी गई है।

निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ गया शुल्क वि.व. 15 के दौरान 49 प्रतिशत की तुलना मे वि.व. 16 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों का 39 प्रतिशत था। वि.व. 16 के दौरान शीर्ष पांच योजनाएं, जिन पर शुल्क छोड़ा गया था, एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/ईएचटी/एसटीपी, सेज, ईपीसीजी तथा फोकस उत्पाद योजना थी। योजनाओं के तहत् छोड़े गए कुल शुल्क (₹ 82890 करोड़) का 88 प्रतिशत (₹ 72828 करोड़) इन पांच योजनाओं के कारण था। (तालिका 1.7)

तालिका 1.7: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

योजना	छोड़ी गई राशि			₹ करोड़.
	वि.व. 15	(कुल की प्रतिशतता)	वि.व. 16	(कुल की पतिशततता)
एडवांस लाइसेंस	23461	26	25625	31
इओयू/इएचटी/एसटीपी	14857	16	15959	19
एस.ई.जेड	8066	9	13593	16
ईपीसीजी	8010	9	10157	9
फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)	10083	11	7494	9
अन्य*	18660	20	10062	12
कुल	91964		82890	

स्रोत महानिदेशालय, डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

*अन्य में डीईपीबी, डीएफआरसी, डीएफईसीसी योजनाएं, लक्ष्य प्लस योजना, विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), भारत योजना से सेवित (एसएफआईएस), डीएफआईए योजना, एफएमएस, स्टेटस होल्डर इन्सेक्टिव स्क्रिप योजना (एसएचआईएस), आदि शामिल है।

वि.व. 16 के दौरान एडवांस लाइसेंस योजना के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के मध्य उच्चतम था। एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/इएचटी/एसटीपी, सेज तथा ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छोड़े गए

राजस्व में वि.व. 15, फोकस उत्पाद योजना को छोड़कर, की तुलना में वि.व. 16 में वृद्धि हुई थी।

1.11 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

सेज अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सेजों के स्थापना हेतु 408 अनुमोदन दिए गए थे जिनमे से 328 अधिसूचित हो चुके है तथा 2 सितम्बर 2016 को 204 प्रचालन में है (**अनुलग्नक 1**)। 2 सितम्बर 2016 तक 4166 यूनिटें अनुमोदित हो गई है। कुल ₹ 3.76 लाख करोड़ का निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 15.91 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। इसमे 2015-16 में ₹ 4.67 लाख करोड़ के निर्यातों के साथ 2014-15 से 0.77 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्शाई है (तालिका 1.8)। निर्यात वृद्धि प्रतिशतता में 2012-13 में 31 प्रतिशत से 2015-16 में 1 प्रतिशत से कम तक की कमी आई है।

तालिका 1.8: वि.व. 12 से वि.व. 16 में सेजों का निष्पादन

वर्ष	निर्यात ₹ करोड़ में	वृद्धि प्रतिशतता
2011-12	3,64,478	15.39
2012-13	476159	31 %
2013-14	494077	4%
2014-15	463770	(-) 6%
2015-16	467337	0.77 %

स्त्रोत: www.sezindia.nic.in

1.12 वि.व. 12 से वि.व. 16 के लिए संग्रहण की लागत

संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर उठाई गई लागत है तथा इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/ जमा खाता में हस्तांतरणों पर किए गए व्यय तथा अन्य व्यय शामिल है।

2015-16 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 1.33 प्रतिशत थी। 2012-13 से 2015-16 की पांच वर्ष की वित्तीय अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे दी गई है (**तालिका 1.9**)।

तालिका 1.9: वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व सह आयात/निर्यात तथा व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा खाता में हस्तांतरण तथा अन्य व्यय	कुल	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व. 12	306	1577	5	1888	149876	1.26
वि.व. 13	315	1653	10	1979	165346	1.20
वि.व. 14	333	1804	5	2142	172033	1.25
वि.व. 15	382	2094	20	2496	188016	1.33
वि.व. 16	412	2351	36	2799	210338	1.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे

सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के संबंध में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.20 प्रतिशत (वि.व. 13) से 1.33 प्रतिशत (वि.व. 16) के बीच थी।

1.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

सीमा शुल्क निर्धारण प्रक्रियाओं का आयातों तथा निर्यातों की तीव्र प्रक्रिया द्वारा व्यापार को सरल बनाने तथा निर्धारणों में अनियमितताओं को न्यूनतम करने के लिए व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किया गया है। आरएमएस, एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, पूर्व परिभाषित जोखिम पैरामीटरों जो तब निर्धारण या जांच या दोनों के विषयाधीन थे, के आधार पर आयात घोषणाओं (माल) पर प्रतिबंध लगाती है।

आरएमएस की दक्षता, दर्शाए गए आऊटलायर्स की यथार्थता पर निर्भर करती है तथा सभी एयर कार्गो, बंदरगाहों तथा भूमि पोर्टों, सेज/इओयू, गैर-ईडीआई पोर्ट को छोड़कर, में प्रणाली आधारित निर्धारणों के कवरेज में वृद्धि करती है। वि.व. 16 में कुल आयात संव्यवहारों में से पिछले वर्ष में 24 प्रतिशत के प्रति विस्तृत निर्धारणों के लिए आरएमएस द्वारा 20 प्रतिशत को चिन्हित किया गया था। इसी प्रकार, वि.व. 16 में आरएमएस द्वारा विस्तृत निर्धारणों के लिए चिन्हित निर्यात संव्यवहार वि.व. 15 में 20 प्रतिशत के प्रति कुल संव्यवहारों का 24 प्रतिशत था।

तालिका 1.10 आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहार

आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहारों की संख्या	वि.व. 15	वि.व. 16
आयात	18,12,765 (24 %)	16,06,930 (20 %)
निर्यात	18,10,718 (20 %)	23,81,803 (24 %)
कुल संव्यवहार (आयात)	75,22,430	80,15,856
कुल संव्यवहार (निर्यात)	92,62,011	97,41,229

स्रोत: # जोखिम प्रबंधन डिविजन, डीआरआई, सीबीईसी, एमओसी तथा उद्यम, भारत सरकार

1.14 आंतरिक लेखापरीक्षा तथा जांच

महानिदेशक लेखापरीक्षा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसकी अध्यक्षता महानिदेशक (लेखापरीक्षा) करता है, इसकी सात जोनल यूनिटें अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में है, प्रत्येक की अध्यक्षता अपर महानिदेशक करता है। डीजीए की प्रत्येक जोनल यूनिट का मुख्य कमिश्नर तथा उनके अंतर्गत कमिश्नरियों की जोनल यूनिटों पर क्षेत्रवार नियंत्रणाधिकार दिए गए है।

1.15 डीजी (लेखापरीक्षा), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

विभागीय लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन तथा अक्षमता का पता लगाता है तथा कमियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करता है। निम्नलिखित तालिका 1.11 वि.व. 12 से वि.व. 15 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियों को दर्शाती है।

तालिका 1.11: वि.व. 12 से वि.व. 15 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वि.व.	निष्पादित लेखापरीक्षाएं	पता लगाया गया शुल्क	वूसला गया शुल्क	सीमा शुल्क प्राप्तियों में पता लगाई गई शुल्क राशि %	पता लगाई गई राशि में से वसूली गई शुल्क राशि %	सीमा शुल्क प्राप्तियों के रूप में वसूली गई शुल्क राशि %
वि.व.12	525406	439	459	0.29	105	0.31
वि.व.13	446911	1824	1058	1.10	58	0.64
वि.व.14	494393	294	223	0.17	76	0.13
वि.व. 15	441068	4.45	3.50	0.002	79	0.001

स्रोत: लेखापरीक्षा महानिदेशक, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर

1.16 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए)

सीमा शुल्क की ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) एक पहल आधारित विश्व की सर्वोत्तम पद्धति है और इसका उद्देश्य आयातों तथा निर्यातों के लिए सुविधा में वृद्धि के लिए विभागों को नम्यता की अनुमति देकर अनुपालन में वृद्धि के परिवेश का सृजन करना है। ओएसपीसीए अपनी प्रवृति से ब्रोड आधारित लेखापरीक्षा है जो प्रणालियों तथा पद्धतियों पर केंद्रित है, यद्यपि शुल्कों, यदि कोई है, के कम उदग्रहण का निर्धारण संव्यवहार आधार पर जारी रहेगा।

अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) विभाग की जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य तत्व है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्राहक, जिसका मूल्यांकन उच्च आज्ञाकारी के रूप में किया गया है, को आरएमएस द्वारा सुनिश्चित सुविधा दी जाएगी ताकि स्वैच्छिक अनुपालन का परिवेश बनाया जा सके। ओएसपीसीए को सभी एसीपी ग्राहकों पर लागू किया गया है।

वि.व. 15 तथा वि.व. 16 के दौरान ओएसपीसीए के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु नियोजित यूनिटों के 22 से 24 प्रतिशत की ही लेखापरीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप मात्र ₹ 8.46 करोड़ के कम उद्ग्रहण का पता चला था जिसमे से ₹ 5.89 करोड़ की वसूली हुई थी।

तालिका 1.12: ओएसपीसीए के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा

वि.व.	यूनिटों की सं. जिनकी लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी	निष्पादित लेखापरीक्षा	पता चला शुल्क ₹ करोड़ में	वसूला गया शुल्क ₹ करोड़ में
वि.व. 15	519	113 (22 %)	4.73	2.38
वि.व. 16	330	80 (24 %)	3.73	3.51

स्रोत: महानिदेशक लेखापरीक्षा, सीमाशुल्क, केंदीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर

1.17 कर अपवंचन तथा जब्ती

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वि.व. 16 में शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या 407 से बढ़कर 631 हो गई थी

तथा मूल्य ₹ 2,926 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,623 करोड़ हो गया था (**अनुलग्नक 2**)।

अपवंचन मामलों में शामिल मुख्य वस्तुए स्वर्ण, नशीली दवाईयां, विदेशी मुद्रा तथा इलेक्ट्रोनिक मदें है।

1.18 आंतरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए), सीबीईसी, सीबीईसी के विभिन्न भुगतान तथा लेखांकन कार्यों की लेखापरीक्षा करता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभिन्न अंग है फिर भी प्र. सीसीए की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 296 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों को लंबित दर्शाया गया जिनका सकल मूल्य ₹ 56363.74 करोड़[10] था।

प्र.सीसीए लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व. 16 तक स्थापना लेखापरीक्षा के बिंदुओं के अलावा निम्नलिखित अनियमिताओं को भी शामिल किया गया था:

क. सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत निकायों से देयताओं की वसूली न करना; ₹44857.23 करोड़।

ख. सरकारी निधि का अवरोधन; ₹ 72.90 करोड़।

1.19 सीएजी की लेखापरीक्षा

सीमा शुल्क राजस्व की सीएजी की लेखापरीक्षा की व्यवस्था महानिदेशकों (डीजीज़)/प्रधान निदेशकों (पीडीज़) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तिया तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007, स्थायी आदेशों तथा लेखांकन मानदंड, दूसरे संस्करण 2002 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है।

1.20 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मौजूदा रिपोर्ट में ₹ 495 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 101 पैराग्राफ तथा ₹ 568 करोड़ के राजस्व प्रभाव के दो विषय विशिष्ट अनुपालन पैराग्राफ है। इसके अलावा, ₹ 6430 करोड़ मूल्य के प्रणालीगत तथा आंतरिक नियंत्रण मुद्दों से

[10] डीजीएसीआर, नई दिल्ली पत्र सं. सीआरए/4-8/विविध पत्राचार/सीएजी हेतु सूचना /16-17/853 दिनांक 21.11.2016

संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सामान्यत: छह प्रकार की अभ्युक्तियां अर्थात गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत उपयोग; अधिसूचना की शर्त जो पूरी नहीं हुई; गलत गणना के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट तथा सीमा शुल्क का गलत निर्धारण थी। विभाग/मंत्रालय ने परिशोधन कार्रवाई की है जिसमे कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा कारण बताओं नोटिसों के अधिनिर्णयन के रूप में 70 पैराग्राफों के मामले में ₹ 19 करोड़ का निधि मूल्य शामिल है तथा उन्होंने 54 मामलों में ₹ 15 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

1.21 सूचना/अभिलेखों तक एक्सेस

राजस्व विभाग, सीबीईसी, वाणिज्य विभाग तथा उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ आईसीईएस 1.5 की सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित एक्सेस का उपयोग किया गया था। अन्य पणधारक रिपोर्टों के साथ सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआरज का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, डीजीएफटी (ईडीआई) डाटा, सेज ऑनलाइन डाटा डीओसी, सीमा शुल्क के वार्षिकआयात/निर्यात डाटा (सीबीईसी) संघ वित्त लेखा, एक्सिम डाटा डीओसी का भी प्रयोग किया गया था।

डाटा निदेशिका के अनुसार 2014-16 की अवधि हेतु आयातों तथा निर्यातों के लिए आईसीईएस 1.5 के संव्यवहार स्तर डाटा को महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी द्वारा कई अनुस्मारकों के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया था। आईसीईएस का सीआरए मॉडयूल, संव्यवहार डाटा के मैक्रो विश्लेषण तथा आवधिक विश्लेषण की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता।

1.22 लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चयनित एवं चर्चा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों की स्थिति

पीएसी ने निर्यात दायित्व यूनिटों (ईओयूज), तथा चर्चा हेतु 'अनन्तिम निर्धारणों' पर तथा अध्याय 71 तथा एक दीर्घ पैराग्राफ पर निष्पादन समीक्षा की है। राजस्व/वाणिज्य विभाग के लिए पीएसी की नई प्रश्नावलियां कर नीति, प्रशासन तथा कार्यान्वयन के स्तरों पर व्यापक आधार पर बनाई गई है। इसमे अंतर-मंत्रालयीन सहयोग, योजना परिणामों के साथ-साथ पूर्व में अपर्याप्त मॉनिटरिंग भी देखी गई है।

1.23 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/फोलो-अप

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) में हमने 639 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.13) जिसमें ₹ 6547 करोड़ शामिल है। सरकार ने ₹ 304 करोड़ मूल्य के 536 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 121 करोड़ की वसूली की।

तालिका 1.13: लेखापरीक्षा रिपोर्टों का फोलो-अप

₹ करोड़

वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूलियां	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 12	121	62	118	59	98	35
वि.व. 13	139	1832	120	95	85	31
वि.व.14	154	2428	137	46	78	17
वि.व. 15	122	1162	91	85	67	23
वि.व. 16*	103	1063	70	19	54	15
कुल	**639**	**6547**	**536**	**304**	**382**	**121**

स्रोत: संबंधित वर्षों की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

* वि.व. 16 के आंकड़े मुद्रण पूर्व के हैं।

अध्याय II

बकायों की वसूली (सीमा शुल्क)

सीमा शुल्क आयातित या निर्यात माल के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 या धारा 16 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि भुगतान किए गए/ उदग्रहित शुल्क को देयता से कम पाया जाता है तब आयातक या निर्यातक से शुल्क की कम उदगृहित/अनुद्ग्रहीत या कम भुगतान की गई/भुगतान न की गई राशि का भुगतान करना अपेक्षित है। इस संदर्भ में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अधिकारियों को आयातक/निर्यातक से कम उदगृहित/उदगृहित न हुई राशि की वसूली के लिए मांग सह कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने की शक्तियां देता है। तब एससीएन का उचित अधिकारी द्वारा अधिनिर्णयन कर दिया जाता है। मूल-मे-आदेश (ओआईओज), या अपील में आदेशों (ओआईए), अधिकरण आदेशों तथा न्यायालय आदेशों के आधार पर विभाग के पक्ष में मांग की पुष्टि के कारण आयातक/निर्यातक से वसूली योग्य राशि बकाया हो गई है।

राजस्व के बकाया निम्नलिखित के परिणामस्वरूप सृजित होते है।

- निर्णायक प्राधिकरण द्वारा मांग की पुष्टि
- अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील का निरस्तीकरण
- पूर्व-जमा की शर्त के साथ स्थगन आवेदन देना
- ट्रिब्युनल, उच्च न्यायालओं तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में आदेश

2.1 सांविधिक प्रावधान

सीमा शुल्क में बकाया की वसूली के साथ डील करने वाले मुख्य सांविधिक प्रावधान निम्नानुसार है:-

(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 ऐसी किसी की वसूली का प्रावधान करती है जिसका उद्ग्रहण नहीं हुआ है या कम उद्ग्रहण हुआ है या गलती से रिफंड हुआ है या यदि किसी देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, आशिंक भुगतान किया गया है या मांग जारी करके और आयातक/निर्यातक का अनुसरण करके गलती से रिफंड हुआ है।

(ii) यदि किसी मामले में धारा 28 के अंतर्गत वसूली नहीं हुई है, तब धारा 142 विभाग को बलपूर्वक कार्रवाई करने की शक्ति देती है जैसाकि चूककर्ता को देय किसी राशि में कटौती करना, किसी चल या अचल सम्पति पर नियंत्रण करना या देयताओं की वसूली हेतु मामले को जिला कलेक्टर को भेजना यदि यह भूमि राजस्व का बकाया हो।

(iii) बकाया वसूली की प्रक्रिया, चूककर्ता आयातक/निर्यातक के प्रति मांग की पुष्टि होने के साथ शुरू हो जाती तथा इसमे कई अपील फोरम शामिल होती है जिसमें आयातक/निर्यातक के साथ-साथ विभाग की अपील के लिए जा सकता है। बकाया वसूली की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रवाह संचित्र में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: बकाया वसूली की प्रकिया

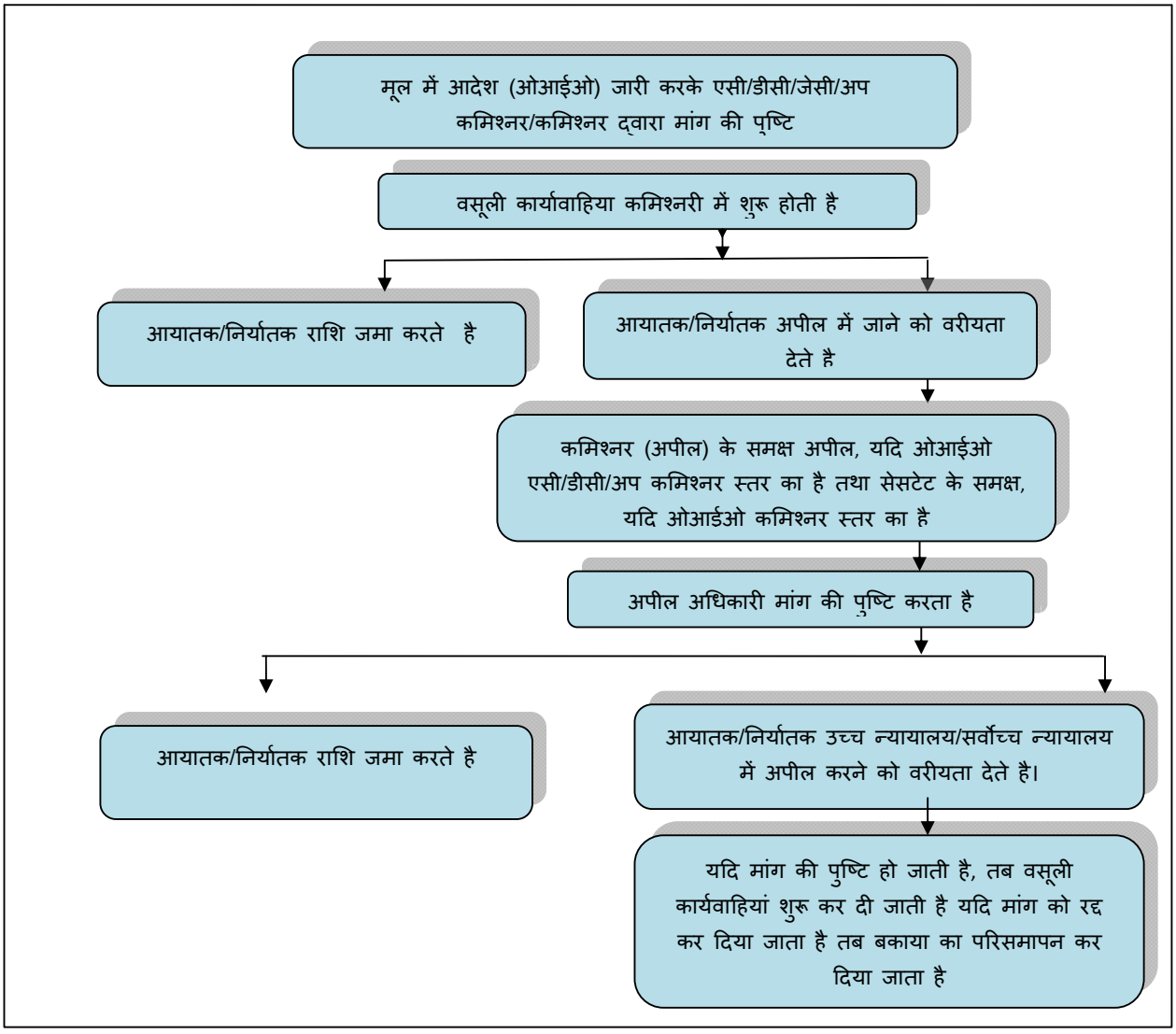

2.2 बकाया का वर्गीकरण

बकाया को मुख्यत: दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि प्राप्य एवं गैर प्राप्य बकाया। सभी रूके बकाया गैर प्राप्य है और प्राप्य बकाया जैसा कि नीचे चार्ट-2 में वर्णन किया गया है आगे प्राप्त बकाया को नियंत्रित गैर-नियंत्रित बट्टे खाते में डालने योग्य के तैयार के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।

चार्ट 2: बकाया का वर्गीकरण

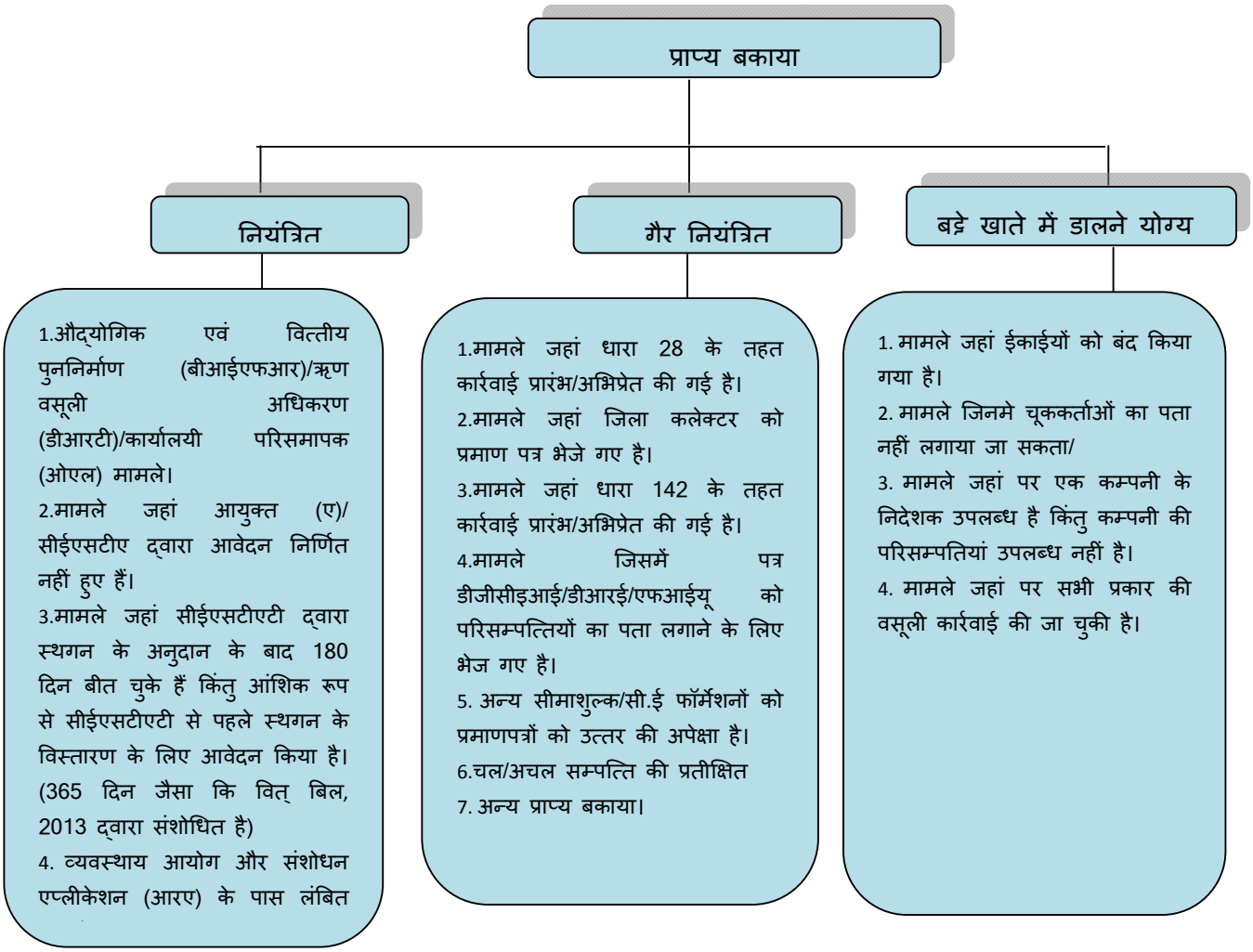

2.3 सांगठनिक ढांचा

सीबीईसी में बकाया की वसूली का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपा जाता है और जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है मुख्य आयुक्त (कर बकाया वसूली) के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत श्रमबल द्वारा निगरानी की जाती है।

क. क्षेत्रीय कार्यालय:

क. **कमिश्नरियों:** बकाया की वसूली समग्र रूप से सीमाशुल्क कमिश्नरियों का क्षेत्राधिकार है। उन्हें कमिश्नरी के भीतर वसूली सेल कार्यान्वयन के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त स्थगन आदेशों की रिहाई, सीईएसटीएटी/न्यायिक मामलों की जल्द सुनवाई, चूककर्ताओं की सम्पत्ति की कुर्की पर कार्रवाई करने और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण (बीआईएफआर)/ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/कार्यालयी परिसमापक (ओएल) आदि के लिए बोर्ड में लम्बित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई और मासिक प्रगति रिपोर्टों को देखे और अनुवर्ती कार्रवाई करने द्वारा वसूली सेल के निष्पादन और प्रगति की निगरानी की कार्रवाई करनी चाहिए।

ख. **वसूली सेल:** प्रत्येक कमिश्नरी में एक वसूली सेल होती है जिसका मुख्य कार्य चूककर्ताओं, कुर्की और सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की सम्पत्ति नोटिस देना और बकाया के संबंध में मुख्य आयुक्त को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

ख. मुख्य आयुक्त- केन्द्रीकृत कर बकाया वसूली (टीएआर)

बोर्ड ने अगस्त 2004में एक केंद्रीकृत श्रमबल का गठन किया था जिसका नेतृत्व दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बडोदरा और नागपुर पर छह नोडल अधिकारियों (कर बकाया वसूली) के साथ नई दिल्ली पर स्थित मुख्य आयुक्त (कर बकाया वसूली) द्वारा किया जाता है श्रमबल को निम्न जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- राजस्व बकाया की सीमा की समीक्षा
- वसूली के लिए कूटनीति का गठन एवं कार्यान्वयन
- सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों की निगरानी

राजस्व बकाया, सीसी (टीएआर) की संवर्धित वसूली ने जून 2015 में सभी मुख्य आयुक्तों को बकाया की वसूलियों के लिए कार्य योजना प्रसारित की थी। कार्ययोजना में निम्न कूटनीति सम्मिलित है:-

क. कमिश्नरी स्तर पर सभी बकायों की संवीक्षा और सभी उचित कार्यवाही को प्रारंभ करना

ख. जहां चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सका, कमिश्नरियों द्वारा मामले को ऐसे चूककर्ता द्वारा स्वगत चल/अचल सम्पत्ति के विवरण एकत्रित करने के लिए आय कर, डीजीएफटी, कम्पनियों के रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य राजस्व विभागों आदि जैसे अन्य विभागों में मामले को उठाना चाहिए और अनुवर्ती कार्रवाई बंद करना और ऐसे मामलों में बकायों की वसूली के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्यायन को सुनिश्चित करना चाहिए।

ग. सभी मामलों के विवरणों को डालने के लिए डाटाबेस तैयार करना जहां सीमाशुल्क अधिनियम के 142 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

अगस्त 2015 से, सीसी (टीएआर) के कार्य एवं जिम्मेदारियों महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को हस्तांरित की गई है।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विनिर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निर्धारित करती है।

i. राजस्व के बकाया की सीमा तथा प्रवृति

ii. सांविधिक प्रावधानों के और बकाया वसूली विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों साथ अनुपालन का स्तर

iii. अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता

2.5 लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा ने मुख्य आयुक्त (टीएआर) दिल्ली, नॉडल अधिकारियों (टीएआर) मुम्बई, नागपुर और सीमाशुल्क देखने वाले कुल 51 कमिश्नरियों में 31 कमिश्नरी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की जैसा कि **अनुलग्नक 3** में विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा ने निहित अवधि 2013-14 से 2015-16 थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि जबकि लेखापरीक्षितअवधि (वि.व. 2012-13 से 2015-16) के दौरान राजस्व बकाया बढ़ गया था, शेषों की वसूली इस अवधि में बहुत अधिक घट गई थी। कमिश्नरियों के बड़े प्रतिशत ने वसूली उद्देश्यों को पूरा करने में कमी को प्रतिवेदित किया जो कि वसूली सेल के मूल आदेश के विलम्ब अथवा गैर अनुमोदन के दृष्टांतों, धारा 142 के तहत् कार्रवाई करने में अपर्याप्तता और विलम्ब और विभाग द्वारा चूककर्ताओं का पता लगाने में निष्फलता द्वारा संयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने अपीलीय प्राधिकरणों को सूचना प्रदान करने में विलम्ब और अपील मामलों की गैर-निगरानी के मामले देखें। राजस्व बकाया को उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से, लेखापरीक्षा ने शुल्क वापसी योजना के तहत् विदेशी मुद्रा की गैर-उगाही से संबंधित और निर्यात बाध्यता प्रवाह प्रामणपत्रों का पता लगाये किना मामलों का गलत निर्णयन देखा गया।

इन अवलोकनों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.6 सीमा शुल्क में राजस्व बकाया

2.6.1 राजस्व बकाया का सीमा

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान सीमाशुल्क के राजस्व बकायों की सीमा और उनकी वसूली का वर्णन नीचे दिया गया है।

तालिका 2.1: 2012-13 से 2014-15 के दौरान सीमाशुल्क के राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूले गए	वर्ष के अन्त में लम्बित बकाया			
			रोके गए	रोके नहीं गए		
				नियंत्रत	अनियंत्रित	
					वसूलीयोग्य	वसूलीयोग्य नहीं
2012-13	12103.40	3477.20	5107.36	3485.43	1730.77	1779.84
2013-14	17986.38	3835.71	8290.67	5264.56	2765.00	1666.15
2014-15	14358.64*	949.65	7286.75	2843.07	4173.60	55.22

स्रोत: पत्र सी.स. सीसी (टीएआर) 48/2015-18015 दिनांक 22.2.2016 महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएस) द्वारा

*कुल राजस्व बकायों में त्रुटि पत्र दिनांक फरवरी 2016, डीजीपीएस द्वारा प्रदान की गई सूचना में देखी गई थी।

सीमाशुल्क का राजस्व बकाया वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 12103 करोड़ से ₹ 14359 करोड़ तक बढ़ गया था। तथापि, उसी अवधि में राजस्व के

बकायों में ₹ 3836 करोड़ से ₹ 950 करोड़ तक लगभग 75 प्रतिशत की भारी कमी दर्शायी।

31 चयनित कमिश्नरियों[11] में से17 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया नीचे दिए गए है।

तालिका 2.2: 2013-14 से 2015-16 के दौरान परीक्षण जांच किए गए 17 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूले गए	वर्ष के अन्त में लम्बित बकाया			
			रोके गए	रोके नहीं गए		
				नियंत्रत	अनियंत्रित	
					वसूलीयोग्य	वसूलीयोग्य नहीं
2013-14	2354.18	547.50	540.91	1345.49	396.38	97.37
2014-15	3666.96	2361.68	1012.46	2169.31	432.77	95.68
2015-16	3804.32	763.71	787.52	2234.55	678.69	103.73

स्रोत: चयनित कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना

यह देखा गया था कि वर्ष के अंत पर सीमा शुल्क का बकाया राजस्व भी इन कमिश्नरियों में 2013-14 की तुलनामें 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा। 2013-14 की तुलना में रोके गए बकाया में 2015-16 में महत्वपूर्ण ढंग से बढ़े।

17 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया ने दर्शाया कि :

- 11 कमिश्नरियों, दिल्ली (निवारक), कोची, आईसीडी बैंगलुरू, मैंगलोर, गोवा, जोधपुर, सीई कोजीकोड, पश्चिम बंगाल (निवारक), विशाखापट्नम, सिलिगुढ़ी (निवारक) और शिलॉग (निवारक) में 2013-14 की तुलना में वसूली 2015-16 में घट गई थी।
- 8 कमिश्नरियों, दिल्ली (हवाई अड्डा), हैदराबाद, सीई त्रिवेंद्रम, जामनगर, कोची (निवारक), पश्चिम बंगाल (निवारक), विशाखापटनम और सीई कोजी कोड, में 2013-14 की तुलना मे 2015-16 में राजस्व बकायों का विलम्बन 100 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया था। लेखापरीक्षा ने चार कमिश्नरियों नामश: सीई त्रिवेन्द्रम (755 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल-निवारक (581 प्रतिशत), कोच-निवारक (458 प्रतिशत) और दिल्ली- हवाई अड्डा (317

[11] केवल 17 कमिश्नरियों ने लेखापरीक्षा की अवधि सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत किया।

प्रतिशत) में राजस्व बकाया में बहुत अधिक वृद्धि देखी। तथापि दो कमिश्नरियों जोकि हैं सीई कोची और जोधपुर में राजस्व बकायों के विलम्ब को घटाया।

- छह कमिश्नरियों जोकि है 2014-15 के दौरान आईसीडी बैगलुरू, सीई कोची, सीई त्रिवेन्द्रम और गोवा, 2015-16 के दौरान कोची-निवारक और शिलॉग निवारक में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक रोके गए बकाया थे।
- 4 कमिश्नरियों के राजस्व बकाया जो कि है निवारक (दिल्ली), जामनगर,मैंगलोर और विशाखापटनम ने मार्च 2016 तक 17 कमिश्नरियों में कुल राजस्व बकायों में 63 प्रतिशत का हिसाब दिया था।

2.7 बकायों की श्रेणियां

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के तहत मार्च 2015 के अंत पर अखिल भारतीय राजस्व बकाया निम्न प्रकार से थे:

तालिका: 2.3: मार्च 2015 तक श्रेणी वार अखिल भारतीय राजस्व बकाया

(₹.करोड़ में)

क्र. सं.	बकाया श्रेणी	मार्च 2015		
		मामलों की संख्या	राशि	बकाया प्रतिशत
1	नियंत्रित बकाया	7947	17087	80.16
2	अनियंत्रित बकाया	16819	2772	13.00
3	बट्टे खाते में डाले गए	8201	1457	6.84
	कुल जोड़	32967	21316	100

स्रोत: पत्र सी सं. सीसी (टीएआर) 48/2015-1805 दिनांक 22.2.2016 में महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन

जैसाकि कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 80 प्रतिशत राजस्व बकाया मार्च 2015 तक नियंत्रित बकाया थे। यह संकेत करता है कि इन बकायों की वसूली संबंधित प्राधिकरणों (अपीलीय प्राधिकरणों/ बीआईएफआर/ऋण वसूली अधिकरण/कार्यालीय परिसमपाक आदि) द्वारा नियंत्रित किये गए थे और यह कि जल्द निपटान के लिए विभाग को प्रबलता पूर्वक इन मामलों को इन प्राधिकरणों के साथ जारी करने चाहिए थे। विभागीय स्तर पर बंद अनियंत्रित बकाया और बट्टे खाते में डाले गए मामलों की ₹ 4229 करोड़ (20 प्रतिशत) थी। मामलों के परिमाण के अनुसार,

मामलों की अधिकतम संख्या जोकि 76 प्रतिशत थी अनियंत्रित बकायों की श्रेणी में थे।

2.8 अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित बकायों का आयु-वार विलम्बन

31 चयनित कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च 2016 तक विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित राजस्व के बकायों का आयु-वार विवरण नीचे दिए गए अनुसार है:-

तालिका: 2.4: मार्च 2016 तक अपीलीय प्राधिकरण में राजस्व बकाया का आयुवार विलम्बन

(₹ करोड़ में)

इनमें लंबित अपील	1 वर्ष या उससे कम (i)		1 से 2 वर्ष (ii)		2 से 5 वर्ष (iii)		5 से 10 वर्ष (iv)		10 वर्ष से अधिक (v)		कुल	
	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
सर्वोच्च न्यायलय	28	27.63	20	0.01	26	7.55	22	9.52	40	4.16	136	48.87
उच्च न्यायालय	520	265.47	91	106.21	147	25.31	263	120.12	86	213.67	1107	730.78
सैसटैट	699	2567.28	521	1798.45	801	332.59	681	265.76	47	12.04	2749	4976.12
कमि. (अपील)	697	76.94	344	105.31	238	57.85	53	16.3	17	0.49	1349	256.89
जे.एस.(आरए)	4	0.13	52	3.69	60	2.76	4	0.21	0	0	120	6.79
कुल	**1948**	**2937.45**	**1028**	**2013.67**	**1272**	**426.06**	**1023**	**411.91**	**190**	**230.36**	**5461**	**6019.45**
पांच वर्ष से उपर के मामलों का अर्धयोग्य (iv + v) = 1213 मामले (₹ 642.27 करोड़)												

स्रोत: चयनित कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ₹ 642.27 करोड़ (10.67 प्रतिशत के राजस्व बकाया वाले 1213 मामले पांच वर्षों से अधिक तक वसूली के लिए लम्बित थे।

2.9 बकाया की वसूली के लिए सांविधिक प्रावधानों, नियमों पद्धतियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन

बकाया की वसूली क्षेत्राधिकार आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। कमिश्नरी के तहत् वसूली सेल कार्यान्वयन के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय परिपत्र (1997) दिनांक 15/2/1997 के अनुसार, सरकारी देय राशि की वसूली के उद्देश्य के लिए प्रत्येक सीमाशुल्क कमिश्नरी में

एक "वसूली सेल" (आरसी) बनाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष सीसी (टीएआर)[12] द्वारा प्रत्येक कमिश्नरी के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। वसूली सेल में निम्न कमियां देखी गई।

2.9.1 वसूली सेल द्वारा वसूली लक्ष्य की गैर प्राप्ति

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए प्राप्ति की तुलना में राजस्व बकाया के सादृश्य में लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 कमिश्नरियों में से क्रमश: 14, 18 और 23 कमिश्नरियों के वसूली सेल में निम्न कमियां देखी गई।

तालिका 2.5: राजस्व बकायों के लक्ष्य एवं प्राप्ति का सात

वर्ष	कमिश्नरियों संख्या जिन्होनें लक्ष्य प्राप्ति की	कमिश्नरियों की संख्या जहां कमी देखी गई	कमी की रेंज (प्रतिशत में)
2013-14	13[13]	14(52 %)	19-100
2014-15	10[14]	18(64 %)	23-100
2015-16	8	23(74 %)	7-100

स्रोत: चयनित आयुक्तों द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई सूचना

जैसाकि देखा जा सकता है, कमिश्नरियों का प्रतिशत जो लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे, 2013-14 से 2015-16 के दौरान 52 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढ़ गया।

इंगित किए जाने पर, कमिश्नरियों ने कहा कि स्टाफ की कमी, अपीलीय प्राधिकरण के साथ बहुत अधिक विलम्बन आदि विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि वर्तमान श्रमशक्ति को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने कुछ मामले दर्शाये जहां नियम एवं पद्धतियों के गैर-अनुपालन के कारण कार्रवाई की कमी कारण जैसा कि नीचे व्याख्या की गई है बकाया का जमाव हुआ।

[12] सीसी (टीएआर) पत्र सी.स. सीसी (टीएआर) 71/टेक/बजट/2014/4556 दिनांक 18.6.15

[13] आई सी.डी.टी.के.डी., लुधियाना, पोर्ट कोलकता, एसीसी,चैन्नई के अतिरिक्त

[14] आई सी.डी.टी.के.डी., लुधियाना, सीई कोचि के अतिरिक्त

2.9.2 वसूली सेल को ऑर्डर-इन-ओरिजनल (ओआईओज) का गैर समर्थन

ओआईओज जैसे ही पारित[15] हो आर्डर-इन-ओरिजनल (ओ-आई-ओज) वसूली सेल द्वारा समर्थित होने चाहिए। वसूली सेल का मुख्य कार्य चूककर्ताओं को नोटिस भेजना, सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री और बकाया के संबंध में मुख्य आयुक्त को अधिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात[16] कमिश्नरियों में 11.96 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 2005-2015 के दौरान परित किए गए 110 ओआईओज़ वसूली सेल द्वारा समर्थित नहीं थे।

वसूली सेल को ओआईओ के गैर अनुमोदन के कारण न केवल वसूली प्रक्रिया मे विलम्ब हुआ बल्कि कमिश्नरियों के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाया।

चार[17] कमिश्नरियों (सीमाशुल्क और सी. उत्पाद शुल्क सहित) यह भी यह देखा गया कि हालॉकि वसूली सेल बनाई गई थी किंतु मामलों का अनुसरण/संबंधित फाइलों का अनुरक्षण केवल डिवीज़नल स्तर पर किया जा रहा था जो कि दर्शाता है कि कमिश्नरियाँ पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थीं।

2.10 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 के तहत कार्यवाही

2.10.1 निर्धारित माँग धारा 142(1)(क) के प्रति वापसी की राशि का गैर-समायोजन

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142(1)(क) कहती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा भुगतेय कोई भी राशि का भुगतान नहीं होता है तो उचित अधिकारी स्वंय कर सकता है या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को देय कोई भी राशि से काटने का आदेश दे सकता है जोकि उचित अधिकारी या सीमाशुल्क का ऐसा कोई अन्य अधिकारी के नियंत्रण में हो।

आयात ॥ कमिश्नरी एनसीएच मुम्बई, मेसर्स उत्तम गलावा स्टील लि. के मामले में दिनांक 30.04.2014 ओआईओ में ₹ 2.23 करोड़ की राशि का

[15] कोलकाता कमिश्नरी स्थायी आदेश सं. 21/व दिनांक 30 जुलाई 1997

[16] कानपुर, मेरठ, नोएड़ा, पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद

[17] कानपुर, मेरठ, नोएड़ा, पटना

अवकल शुल्क सुनिश्चित किया। हालाँकि पार्टी ने कमिश्नरी को (मार्च 2015) 2.68 करोड़ की माँग के प्रति 2.70 करोड़ की प्रतिदाय राशि को विभाजित करने का अनुरोध किया था, विभाग ने सितम्बर 2016 तक माँग के प्रति प्रतिदाय राशि को विभाजित नहीं किया था, फलस्वरूप बकाया की उगाही को धारा 142(1)(क) के तहत एक अवसर का त्याग किया जो कि लंबित रहा।

2.10.2 निरोध सुचनाओं धारा 142(1)(बी) को अनुचित रूप से जारी करना

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142(1)(बी) कहती है कि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त वसूल सकता है या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी को ऐसे व्यक्ति के किसी माल को रोकने और बिक्री द्वारा भुगतेय राशि की वसूली के आदेश दे सकता है जो कि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के नियंत्रण में है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि विरोध सुचनाएँ हस्तरूप से जारी की जा रही है और कार्रवाई के लिए सभी मुख्य कमिश्नरियों को प्रेषित की गई है। शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रणाली में कोई विवरण नहीं डाले गए। विरोध सूचनाएँ आईईसी कोड के विवरणों के बिना जारी किए गए, हालाँकि आयात/निर्यात/प्रतिगम/कमी का व्यापार सम्पूर्ण चक्र आईईसी कोड पर आधारित है। विरोध सूचना पर की गई कार्रवाई के लिए कोई फीडबैक लेखापरीक्षा के दौरान देखा नहीं गया।

ऐसे मामलों में जहाँ नोटिस जारी किए गए थे पार्टियाँ विरोध सूचना के जारी करने के बाद निर्यात में सक्रिय रूप से सम्मिलित थी जो कि संकेत करता है कि सीमाशुल्क विभाग की उनके माल तक पहुँच थी और वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:

दो कमिश्नरियों में जो कि है आईसीडी टीकेडी (निर्यात) और एनसीएच (निर्यात) दिल्ली, को 26.02 लाख की राशि के राजस्व बकाया वाले सात दलों के प्रति विरोध सूचनाएँ जारी की गई थी हालाँकि दल कमिश्नरियों द्वारा निर्यात कर रही थी।

इसके, अतिरिक्त उन मामलों में जहाँ विभाग ने माल को जब्त कर लिया है इन्हें बकाया की उगाही के लिए मुक्त नहीं किया गया था। कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

दो कमिश्नरियों में जो कि है त्रिवेन्द्रम और कांडला लेखापरीक्षा ने देखा कि 4 मामलों सहित 95.34 लाख की वसूली चार से ग्यारह वर्ष बीच जाने के बाद भी जब्त किए गए माल की बिक्री द्वारा उगाहे नहीं गए थे और माल को अप्रयुक्त छोड़े दिया गया जबकि उनकी बकाया की क्षतिपूर्ति के लिए पद्धति के अनुसार नीलामी की जा सकती थी। विभग द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप वसूली में आगे विलम्ब हुआ।

विभाग द्वारा धारा 142(1)(बी) के तहत कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप बकायों की गैर-वसूली/संचयन हुआ।

इंगित किए जाने पर, एनसीएच (निर्यात) प्राधिकरणों ने चार मामलों के संबंध में निर्यात मॉड्यूल चेतावनी जारी की (सितम्बर 2016) और उत्तर दिया की पार्टी द्वारा अपील की फाइलिंग के कारण दो मामलों में चेतावनी को हटा दिया गया।

मुख्य आयुक्त (एनसीएच) नई दिल्ली ने बताया (नवंबर 2016) कि आईईसी कोड को शामिल करने के साथ-साथ अवरोधन नोटिस के संबंध में लेखापरीक्षा को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और आईसी नंबर वाले चूककर्ताओं की निगरानी भी ई-बीआरसी माडयूल के माध्यम से की जा रही है, जिनके प्रति बकाए लम्बित है। अधिकांश मामलों में जहां अवरोधन नोटिस जारी किए जा चुके है उनमें ईआईडी प्रणाली में अलर्ट शामिल किया गया है और इल मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)।

2.10.3 धारा 142(1)(सी) के तहत अनुचित प्रमाणपत्र

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142(1)(सी) कहती है कि यदि ऐसे व्यक्ति से राशि की वसूली नहीं की जा सकती जैसा कि प्रमाणपत्र के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में कहा गया है, ज़िला प्राधिकरणों/सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

25[18] कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 422 मामलों में 240.70 करोड़ की राशि का राजस्व बकाया था तथापि पार्टी द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी किंतु प्रमाणित कार्रवाई नहीं की गई थी।

422 मामलों में से ₹ 13.34 करोड़ का राजस्व बकाया वाले 52 मामलों में गई थी किंतु वहाँ ओ-आईओ जारी होने की तिथि से पर 39 मामलों में 1-3 वर्षों का 10 मामलों में 3-6 वर्षों का और 3 मामलों में 6 वर्षों से अधिक का समय अंतराल था।

समय सीमा की अनुपस्थिति में, सरकारी देय के जमा के लिए पार्टी को नोटिस/पत्र जारी करने में लेखापरीक्षा द्वारा कोई समरूपता नहीं देखी गई। यहाँ तक विरोध नोटिस और/अथवा प्रमाणपत्र थी बिना कोई समय सीमा का अनुसरण किए कमिश्नरियों द्वारा जारी किए गए थे।

कांडला आयुक्तालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि एक मामलें में आयूक्त (अपील) द्वारा मांग को दरकिरनार कर दिया गया है और दूसरे मामलें में रोक लगा दी गई है तबकि एक मामले में रूपये 7.60 लाख की वसूली की गई । बाकी मामलों में जहां भी अपील अवधि समाप्त हो गई है वहां पार्टी को सरकारी बकाए के भुगतान के लिए पत्र लिखे गए हैं । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2017) ।

2.11 चूककर्ताओं का पता लगाना और बकाया को बट्टे खाते में डालना

मंत्रालय ने बकायों की वसूली (परिपत्र 55/2004 दिनांक 19.8.2004 की और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों के समायोजन, सरल बनाने, अनुश्रवण और निरीक्षण के लिए एक केन्द्रीकृत श्रम बल का गठन (अगस्त 2004) किया जिसके ध्यान दिया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई चल अथवा अचल परिसम्पत्तियें का पता लगाया जा सकता है, चुककर्ताओं के सभी ज्ञान पतों पर पूछताछ को पूर्ण करेंगे। पड़ोसी व्यक्तियो, व्यापारिक प्रतिद्वंदी एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों, चाहे चूककर्ता का कोई अन्य व्यापार का स्थान

[18] एसीसी बैंगलुरू, दिल्ली-एनसीएच (निर्यात), एसीसी-मुम्बई अहमदाबाद, एआईयू कोलकाता, चेन्नै समुद्र, गोवा, आईसीडी, बैंगलूरू, आईसीडी-टीकेडी (निर्यात), आईजीआई दिल्ली, आयात-II मुम्बई, जयपुर, जोधपुर, कांदला, कानपुर, कोची, लखनऊ-निवारक, मैंगलोर, मेरठ, नोएडा, पटना, निवारण-डब्ल्यूबी, निवारक-दिल्ली, त्रिवेंद्रम और तुतिकोरीन

भारत में कहीं भी या बैंक खातों आदि के बारे में, ऐसे स्थानों की विस्तृत कार्रवाई के लिए न्यायशील जाँच की जायेगी।

बोर्ड ने पत्र एफ सं. 296/34/2008-सीएक्स-9 दिनांक 20.03.2008 में पद्धतियों को परिचालित किया जिनका बकाया की वसूली के संबंध में अनुसरण किया जाना था जिनका वसूली कठिन हो गई है।

जून 2015 में मुख्य आयुक्त (टीएआर) द्वारा परिचालित कार्ययोजना पर भी चूककर्ताओं से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों में मामले को उठाने पर जोर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने तथापि इन निर्देशों के अनुपालन में निम्न कमियाँ देखी:-

2.11.1 चूककर्ताओं का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा अकर्मणयता

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन में, चूककर्ताओं का पता लगाने के लिए कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है।

23[19] कमिश्नरियों में परीक्षण जाँच ने दर्शाया कि ₹ 261.44 करोड़ के राजस्व बकायावाले "चुकर्ताओं जिनका पता न लगा सके" के 330 मामलों में से ₹ 223.35 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 258 मामलों में या तो सम्पत्ति के स्वामित्व का पता लगाने के लिए कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया या लेखापरीक्षा को दी गई फाइल में ऐसे भौतिक सत्यापनों का कोई विवरण नहीं दिया गया।

केवल कानपुर कमिश्नरी में विभिन्न एजेंसियों को मामलों के लिए मामले बताने के लिए पत्र लिखे गए। बाकि 22 कमिश्नरियों ने या तो मामला केवल कुछ एजेंसियों के पास भेजा या किसी भी एजेंसी को नहीं भेजा।

दो कमिश्नरियों में जो कि है पटना और जेएनसीएच, मुम्बई लेखापरीक्षा ने देखा कि 1.07 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 39 मामलों के बकाया फाइले को पता नहीं लगाया जा सकता था। इनमें से, 30 मामले 1975 से 1984 तक की अवधि से

[19] दिल्ली-एनसीएच (निर्यात), एसीसी-मुम्बई, एसीसी-बैंगलुरू, चेन्नै समुद्र, गोवा, हैदराबाद, आईसीसी बैंगलुरू, आईसीडी-टीकेडी (निर्यात), जोधपुर, कांदला, कानपुर, लखनऊ-निवारक, कोलकाता हवाईअड्डा, कोलकाता-पत्तन, लुधियाना, मैंगलोर, मेरठ, निवारक-दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, तुतिकोरिन और विशाखापट्नम

संबंधित थे। चुँकि अधिनिर्णयन की तिथि से बहुत अधिक समय बीत चुका है यहाँ पर राजस्व के बकाया की धूमिल संभावना थी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मामलों को विभिन्न एजेंसियों में भेजने के लिए, माल के स्वामित्व का पता लगाने परिसरों के भौतिक सत्यापन, आईईसी को चेतावनी देने, अन्य एजेंसियों जैसे कि डीजीएफटी, बैंक, डाक खाना, समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए व्यापार संघ के लिए कोई समय सीमा/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार निर्धारित समय सीमा और कमिश्नरियों द्वारा कार्रवाई की कमी की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बकायों की गैर-वसूली हुई।

2.11.2 चूकर्ताओं के प्रति ऋण वसूली अधिकरण के पहले आवेदन की गैर-फाइलिंग

कोची कमिश्नरी में लेखापरीक्षा ने देखा कि मेसर्स के.के इम्पेक्स, एलूवा के विरूद्ध मामला ₹ 2.11 करोड़ के शुल्क और एकल स्वामी को ₹ 2.11 करोड़ और ₹ 50 लाख के दण्ड को सुनिश्चित करते हुए दिनाँक 3 मई 2011 आर्डर इन ओरिजनल सं. 3/2011 में अधिनिर्णायक था।

मुकदमेबजी के बाद, धारा 142(1) सी के तहत कार्रवाई (ii) चूककर्ता के विरूद्ध 13 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। इसी बीच चूककर्ता ने कम्पनी बंद कर दी थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अरनाकुलम शाखा ने फर्मो की संपत्ति की कुर्की ली और अरनाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वास्तविक आवेदन फाइल किया। चुँकि कम्पनी की संम्पततियों की कुर्की की गई थी, विभाग राजस्व के बकायों के लिए ऋण वसूली अधिकरण के सक्षम आवेदन फाइल करने में असफल रहा।

विभाग ने उत्तर दिया कि मामलों में कानूनी मत प्राप्त करने के लिए कानूनी विभाग को एक कार्यालयी नोट प्रोषित किया।

2.11.3 बट्टे खाते में डालने के लिए कमेटी का गठन न करना

बोर्ड परिपत्र 946/07/2011 दिनांक 1.6.2011 अनुबंध करता कि गैर वसूली योग्य बकायों को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावों की जाँच और प्रदत्त वित्तीय शक्तियों (बोर्ड के परिपत्र दिनांक 21.9.1990) के अनुसार सक्षम

प्राधिकारी को सुपात्र मामले संस्तुत करने के लिए मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों की एक तीन सदस्यों की समित का गठन किया जाऐगा।

परीक्षण जाँच किए गए 31 कमिश्नरियों में बट्टे खाते में डाले जाने के लिए मामलों की तुलना में यह देखा गया था कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान, बट्टे खाते में डालने के लिए 821, 770 और 971 क्रमानुसार अभिज्ञात किए गए थे। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान कोई मामला बट्टे खाते में डाला गया। यहाँ तक कि सीबीईसी परिपत्र आईबिड द्वारा आवश्यक बट्टे खाते में डालने के लिए समिति का गठन भी इन कमश्नरियों द्वारा नहीं किया गया था।

तालिका 2.6: बट्टे खाते में डालने के लिए राजस्व बकायों का सार

(₹ लाख में)

वर्ष	**कमिश्नरियों की संख्या**		**इन कमिश्नरियों में राजस्व बकाया**	**बट्टे खाते में डालने योग्य**			**कुल राजस्व बकाया मामलों का कुल प्रतिशत**
		सं.	**राशि**	**बट्टे खाते में डालने के लिए मामलों की सं.**	**राशि**	**प्रतिशत**	
2013-14	10[20]	3250	208753.50	821	9735.59	25.26 %	5.7 %
2014-15	11[21]	5801	264898.1	770	9568	13.27 %	3.61 %
2015-16	13[22]	10437	378752.5	971	14988.02	9.30 %	3.96 %

स्रोत: चयनित कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई सूचना।

इसे इंगित किए गए जाने पर, सीमाशुल्क कमिश्नरी कोची, त्रिवेन्द्रम और मेंगलोर में, स्वीकार किया कि राजस्व बकायों को बट्टे खाते में डालने में डालने के लिए किसी कमिटी का गठन नहीं किया था। अन्य कमिश्नरियों से उत्तर प्रतीक्षित है।

[20]दिल्ली-निवारक, मैंगलोर, जामनगर, जोधपुर, कोची, कोची-निवारक, सीई त्रिवेन्द्रम, विशाखापट्नम, सिलिगुढ़ी-निवारक, गोवा

[21]दिल्ली-निवारक, दिल्ली-हवाईअड्डा, मैंगलोर, जोधपुर, कोची, कोची-निवारक, सीई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, विशाखापट्नम, सिलिगुड़ी -निवारक, शिलांग-निवारक

[22]दिल्ली-निवारक, दिल्ली-हवाईअड्डा, आईसीडी-टीकेडी, मैंगलोर, जोधपुर, कोची-निवारक, सीई त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, विशाखापट्नम, सिलिगुढ़ी-निवारक, शिलांग-निवारक, प.ब.-निवारक

2.12 अपील मामले

मानक प्रचालन पद्धतियों (एसओपी) (नवम्बर 2015) के अनुसार, अपीलीय फोरम में मुकदमेंबाज़ी पर, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा माँगे गए विवरण और सूचना को शीध्र की प्रस्तुत करना चाहिए। अपीलों की आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए और विभाग को प्रभावी ढंग से प्रत्येक पेश/चरण पर प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन करते हुए पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है।

2.12.1 अपीलीय अधिकारी के विवरण प्रस्तुत करने में विलंब

पाँच[23] कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने कमिश्नर (अपील)/सेसटैट द्वारा मांगे गये विवरण स्पष्टीकरण विभाग ने देर से प्रस्तुत किये और एक मामले के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। कोच्ची कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि एक मामले में विलंब अत्यधिक दस्तावेजीकरण के कारण हुआ था।

2.12.2 मामलों का समूहीकरण

दिनांक 19.8.2004 के बोर्ड के परिपत्र सं. 55/2004 के अनुसार मुख्य विभागीय प्रतिनिधियों (सीडीआर) को काफी राजस्व सहित उक्त मामलों पर मामलों के समूहीकरण को सुनियोजित करना चाहिए और प्राथमिकता पर निपटान के लिए प्राधिकरण को अनुरोध करना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, दो कमिश्नियों (तूतीकोरिन, अहमदाबाद) में सेसटैट के पास लंबित उक्त मामलों के इकट्ठा होना पाया गया था। तूतीकोरिन कमिश्नरी में, यह देखा गया कि सैसटैट के पास ₹ 4.45 करोड़ के राजस्व बकाया सहित 48 मामले लंबित हैं। यद्यपि, विभाग ने प्राथमिकता आधार पर निपटान हेतु इन मामलों के समूहीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर, तूतीकोरिन कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि मामलों का समूहीकरण किया जाएगा।

[23] एसीसी मुम्बई, चेन्नै-समुद्र, जेएनसीएच, कोच्ची और तूतीकोरिन

2.12.3 कमिश्नर (अपील) द्वारा नये आदेश जारी करते हुए धारा 128ए (3) के अंतर्गत प्रावधान की अनुपालना

11 मई 2001 से लागू उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 128ए(3) के संशोधन द्वारा, कमिशनर (अपील) नये अधिनिर्णयन (नये सिरे से) या निर्णय के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी को मामले को अब वापस नहीं भेज सकता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पाद शुल्क (अपील) कमिश्नर, मुम्बई ने उपरोक्त प्रावधान के प्रति 2015-16 के दौरान 38[24] मामलों में नये सिरे से आदेश जारी किये थे। इसमें न केवल अधिनिर्णयन आगे तक विलंबित होगा बल्कि राजस्व बकाया का लंबन बढ़ जाएगा।

2.12.4 अपील मामलों में पूर्व जमा का कम भूगतान

उत्पाद शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129ई अग्रलिखित दरों पर अपील फाईल करते समय मांगे गये शुल्क और या उद्ग्राही जुर्माने की प्रतिशतता के रूप में पूर्व जमा करने को आवश्यक बनाती है:

- शुल्क और/या जुर्माने के 7.5 प्रतिशत पूर्व जमा पर कमिश्नर (अपील) के समक्ष एक अपील फाईल की गई।
- शुल्क और/या जुर्माने के 10 प्रतिशत पूर्व जमा पर न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील फाईल की।

तीन कमिश्नरियों[25] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कमिश्नर (अपील)/सेसटैट में अपील फाईल करते समय 7.5 प्रतिशत/10 प्रतिशत की दर पर आवश्यक जमा के बिना 2014 के दौरान 34 मामलों में अपील फाईल की गई, जिसके कारण ₹ 33.19 लाख की पूर्व-जमा राशि का कम भुगतान किया गया।

2.12.5 अपील मामलों में पूर्व जमा के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 यह दर्शाती है कि सेनवेट क्रेडिट निम्नलिखित के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है-

क) किसी तैयार उत्पाद पर उत्पाद शुल्क; या

[24] मार्च 2016 की एमपीआर के अनुसार

[25] चेन्नै-समुद्र, जोधपूर, लुधियाना

ख) इनपुटस पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि यदि ऐसे इनपुटस को इस प्रकार या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किये जाने के बाद हटा दिया गया है; या

ग) पूँजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि यदि इस प्रकार ऐसे पूँजीगत माल को हटाया गया है; या

घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 16 के उप नियम (2) के अंतर्गत राशि; या

ड़) किसी आऊट पुट सेवा पर सेवा कर।

दो अपीलों[26] मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कमिश्नर (अपील) चंड़ीगढ़ ने अनियमित रूप से ₹ 0.34 लाख के पूर्व जमा के प्रति सेनवेट क्रेडिट को डेबिट किया। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता आवश्यक पूर्व-जमा के प्रति क्रेडिट का समायोजन शामिल नहीं करता।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

2.13 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

निगरानी

2.13.1 विदेशी विनियम वसूली की निगरानी की कमी के कारण ड्राबैक मामलों में बकाया ₹ 46.73 करोड़ के बकाया का संचयन

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने ड्राबैक योजना[27] के अंतर्गत निर्यातित खेपों के संबंध में विदेशी विनियम की गैर-वसूली के मामले में की गई कार्रवाई की कमी के संबंध में चिंता व्यक्त की।

दिनांक 2 फरवरी 2009 के बोर्ड के परिपत्र सं. 5/2009 निर्यात आय प्रेषण की निगरानी के लिए प्रत्येक कमिश्नरी में ड्राबैक सैल के सृजन का परामर्श दिया। विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम (एफइएमए) 1999 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर निर्यात आय की गैर-वसूली के मामले में, ड्राबैक की वसूली की

[26] दि. 14.05.2015 की ओआईओ 29/आईसीडी/एडीसी/एलडीएच/2015 और 15.05.2015

[27] पीएसी तेहरवीं लोक सभा, इक्सठवीं रिपोर्ट और दिनांक 18 जनवरी (उप-पैरा 2) के बोर्ड के परिपत्र एफ सं. 609/119/2011-डीबीके

जानी है जैसी कि ड्राबैक नियमावली 1995 के नियम 16ए के अंतर्गत परिकल्पना की गई है।

दिनांक 18.1.2011 के परिपत्र वित्त मंत्रालय ने ड्राबैक की वसूली के लिए विधिवत और समयबद्ध रूप से विदेशी विनियम मामलों के गैर-वसूली के निर्णय के लिए उत्पाद शुल्क कमिश्नरी ने निर्देश दिये।

लेखापरीक्षा में मौजूदा प्रावधानों/निर्देशों की और दो कमिश्नरियों में पीएसी द्वारा जताई गई चिंताओं की अननुपालना देखी गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

आईसीडी तुगलकाबाद की लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित 75 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 5.85 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 19 मामलों में, नोटिस/निर्णय लेने के मामलों में ड्राबैक सैल होने के बावजूद में काफी विलंब हुआ। इनमें से, निर्धारित तिथि से एससीएन के जारी करने में विभाग द्वारा विलंब 4 मामलों में 1-4 वर्ष, 12 मामलों में 4-8 वर्ष और 3 मामलों में 8 वर्षों से अधिक था।

मुम्बई (एसीसी-निर्यात) में, ₹ 40.88 करोड़ के राजस्व बकाया ड्राबैक मामलों में विदेशी विनियम की गैर-वसूली के कारण 919 मामलों में लंबित था और इन मामलोंका अधिनिर्णयन काफी विलंब के बाद किया गया।

तथ्य यह है कि विधिवत, समबद्धता के लिए एमओएफ निर्देश (एफ सं. 609/59/2012-डीबीके दिनांक 27.11.2015) के बावजूद ड्राबैक की गैर-वसूली के मामले पाये गये और पूर्णत: प्राप्ति हेतु वसूली/गैर-वसूली के विवरण फीड करने और विदेशी विनियम की गैर-वसूली के मामलों में ब्याज सहित ड्राबैक की वसूली की सांविधिक आवश्यकता के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की।

2.13.2 इओडीसी[28] स्थिति की निगरानी के बिना अग्रिम लाइसेंस मामलों का अधिनिर्णयन

डीजीएफटी द्वारा शुल्क छूट/कटौती योजना तैयार की जाती है और उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों में ग्रुप 7 द्वारा शुल्क कटौती/छूट योजनाओं का कार्यान्वयन/निगरानी की जाती है।

[28] निर्यात दायित्व शोधन प्रमाणपत्र

प्रक्रिया संस्क.I की हैंडबुक के अनुसार, अग्रिम लाइसेंस धारकों को इओडीसी प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) को निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होते हैं। आरएलए द्वारा जारी किये गये इओडीसी पोस्ट/इडीआई द्वारा उत्पाद शुल्क को सौंपी जाती है और डीजीएफटी की वेबसाइट में भी प्रकाशित की जाती है। इओ को पूर्ण न करने के मामले में, आयातक को ब्याज सहित उत्पाद शुल्क जमा कराना आवश्यक होता है।

एसीसी बैंगलुरू और एसी (निर्यात) दिल्ली में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने निर्यात दायित्व पूरा न करने के लिए 2013-14 के दौरान पाँच मामलों में निर्णय लिया और ₹ 1 करोड़ का शुल्क/जुर्माना लगाया गया। महानिदेशक, विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) की वैबसाईट से इन लाइसैंस की इओडीसी स्थिति के क्रॉस-चैक करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये लाइसैंस पहले ही प्राप्त किये जा चुके थे और इओडीसी अधिनिर्णयन से पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समय सहयोग की कमी के साथ-साथ डीजीएफटी से प्राप्त इओडीसी पर निगरानी में और समयबद्ध कार्रवाई करने में विफलता के कारण राजस्व बकाया का अनावाश्यक संचयन हुआ, जिसकी वसूली अनिश्चित थी। इसके बावजूद, अनावश्यक अभियोग और अपीलीय प्राधिकारी के बोझ से बचा जा सकता था।

2.13.3 अपील मामलों की निगरानी न करना

दिनांक 19.08.2004 के मंत्रालय परिपत्र सं. 55/2004 ने परिकल्पित किया है कि क्षेत्रीय मुख्य कमिश्नर सैसटैट पहले लंबित ₹ 1 करोड से अधिक के सभी बकाया की पहचान करेगा जहां विभाग के पास मजबूत मामला है और सफलता के तर्कसंगत अवसर है। सभी ऐसे मामलों के विवरण संबंधित नोडल अधिकारी को भेजे जाएंगे जो इन मामलों की नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करेगा कि जहां भी आवश्यकता हो, आवश्यक आवेदन आऊट ऑफ टर्न सुनवाई और पूर्व निर्णयों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और इस उद्देश्य के लिए वह क्षेत्राधिकारी मुख्य कमिश्नर ओर संबंधित मुख्य विभागीय प्रतिनिधि (सीडीआर) के बीच सहयोग करेगा। कार्यान्वयन योजना की संवीक्षा नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक महीने में की जाएगी ताकि किसी त्रुटि या विलंब का तुरंत समाधान किया जा सके।

मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की संवीक्षा से पता चला कि 14[29] कमिश्नरियों ने नियमित रूप से अपील/स्थगन मामलों की निगरानी नहीं की; पूर्व सुनवाई/स्थगन लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। 5[30] कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 180 मामलों, जिनको सेसटैट/कमिश्नर (अपील) द्वारा निपटाया गया था, वे अब भी सेसटैट में लंबित दिखाये गये थे।

उत्पाद शुल्क कमिश्नर (निवारण), अमृतसर में, यह पाया गया कि ₹ 21.50 लाख के राजस्व बकाया वाले तीन मामलों में 1987 और 1990 के दौरान सेसटैट द्वारा स्थगन दिया गया था और 26 से 29 से अधिक वर्षों के बाद भी लंबित है।

विभाग ने उत्तर दिया कि वर्तमान में, विभिनन अपीलीय प्राधिकरणों जैसे सेसटैट आदि के पास लंबित इतने पुराने मामलों की वर्तमान स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई कार्यात्मक प्रोग्राम/सॉफ्टवेयर नहीं है।

नोयडा कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि पार्टियों को अपील मामलों की मौजूदा स्थिति प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे पता चलता है कि विभाग के पास अपील किये गये मामलों की अद्यतित स्थिति जानने का कोई तंत्र नहीं है।

गोवा कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने विभागीय अपील की वापसी के लिए मार्च 2016 में सेसटैट में मिश्रित आवेदन फाईल किये थे, यद्यपि सैसटैट नवम्बर 2015 में पहले ही मामले का निर्णय कर चुका था। इससे यह ज्ञात होता है कि विभाग नवम्बर 2015 में जारी किये गये सेसटैट आदेश के प्रति सजग है।

[29] अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नै समुद्र, गोवा, हैदराबाद, जोधपुर, जेएनसीएच, कोच्ची, मेरठ, मुंबई (आयात-II, निर्यात) नोयडा, तुतीकोरिन, विशाखापटनम

[30] एसीसी बैंगलुरू, चेन्नै (6+6), आईसीडी बैंगलुरू, मैंगलोर (121) और तुतीकोरिन (6+41)

2.14 आंतरिक नियंत्रण

2.14.1 पूर्व जमा के भुगतान के लिए डाटा बेस/रिकार्ड का गैर-अनुरक्षण

दिनांक 5 जनवरी 2015 के परिपत्र सं. 993/17/14-सीएक्स के अनुसार, प्रत्येक कमिश्नरी की समीक्षा सैल को निर्दिष्ट प्रोफार्मा में किये गये पूर्व-जमा के रिकॉर्ड का डाटा अनुरक्षित करता होता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 31 कमिश्नरियों में से 20[31] कमिश्नरियों में, पूर्व जमा किया गया डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया है।

सीई और उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, त्रिवेंद्रम ने उत्तर दिया कि अदा किये गये पूर्व-जमा कमिश्नर (अपील) के पास रखे गये हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कमिश्नरी को भी किये गये पूर्व-जमा के डाटाबेस रखने आवश्यक होते हैं।

एसीसी मुम्बई ने उत्तर दिया कि जनवरी 2015 से पंजिका तैयार की जानी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिपत्र के अनुसार पंजिका तैयार नहीं की गई है। लुधियाना कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मई 2016) कि आयुक्तालय ने जनवरी 2016 के बाद से तैयार किये गये रिकार्डों को ध्यान में रखते हुए 18 मई 2016 से विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा पूर्व जमा के रिकॉर्ड के डाटाबेस अनुरक्षित करने आरंभ कर दिये हैं और उक्त के अद्यतन की प्रक्रिया भी प्रगति अधीन हैं।

पूर्व-जमा हेतु अलग पंजिका/डाटाबेस के गैर-अनुरक्षण के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा था कि सभी अपीलकर्ताओं ने पूर्व जमा की आवश्यक राशि जमा की थी।

2.14.2 मंत्रालय/बोर्ड को प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट में गलत-सूचना देना

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राजस्व बकाया के समेकित आंकड़ें एमपीआर द्वारा मंत्रालय/बोर्ड को सूचित किये गये थे। यद्यपि नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 13 कमिश्नरियों में ₹ 1296.52 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 740 मामले

[31] अहमदाबाद, एसीसी बैंगलोर, दिल्ली (निवारण, एयरपोर्ट, एनसीएच-निर्यात, आइसीडी (निर्यात)-टीकेडी), गोवा, आईसीडी, बैंगलोर, जोधपुर, कांडला, कोच्ची, कोलकाता पोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट, लुधियाना मैंगलोर, मुम्बई (इंपोर्ट-II, जेएनसीएच) नोयडा और त्रिवेंद्रम

मंत्रालय/बोर्ड को प्रस्तुत की गई एमपीआर में सूचित (4 मामलों की ओवर-रिपोर्टिंग सहित) नहीं किये गये थे, जिसमें रिपोर्टिंग तंत्र की विश्वसनीयता पर संदेह होता है।

- कांडला कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में काफी अधिक विभिन्नता पाई गई और 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए एमपीआर में दर्शाई गई।
- अहमदाबाद, कांडला, जोधपुर, मुम्बई (आयात-II, एसीसी, जेएनसीएच) और गोवा कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वसूली पंजिका नियमित रूप से अनुरक्षित/अद्यतित नहीं है।
- पटना कमिश्नरी में एमपीआर के विभिन्न विवरण में अंतर देखा गया था।
- दिल्ली जोन के अंतर्गत छ: कमिश्नरियों[32] में कमिश्नर (अपील के पास लंबित रखे गये एमपीआर में ₹ 173.37 करोड़ के 231 मामलों का पता चला। यद्यपि, कमिश्नर (अपील) द्वारा सूचित किये गये संबंधित आंकडों में ₹ 185.62 करोड़ के 1710 मामले थे। इस प्रकार, ₹ 12.25 करोड़ वाले 1479 मामलों में महत्वपूर्ण अंतर था। इससे जोन में संप्रेषण की कमी का भी पता चलता है।
- आयात कमिश्नरी, मुम्बई ने कमिश्नर (टीएआर) को सूचित किया (2015) कि ₹ 44.18 करोड़ राशि वाले 1045[33] मामले 'बट्टे खाते में डालने के लिए उपयुक्त' थे। यद्यपि, कमिश्नरी द्वारा मार्च 2016 के एमपीआर में 'बट्टे खाते में डालने के लिए उपयुक्त' के रूप में कोई मामला नहीं दर्शाया गया था।

2.15 निष्कर्ष

उत्पाद शुल्क में राजस्व के बकाया लगभग 50 प्रतिशत तक जा चुके थे परंतु बकाया की वसूली को बढ़ते हुए बकाया के बावजूद यथोचित महत्व नहीं दिया जा रहा था। राजस्व बकाया की वसूली अधिक बकाया की सीमित श्रेणी राशि में सुरक्षित रखा गया था जो यह दर्शाती है कि विभाग को संबंधित प्राधिकरणों

[32] दिल्ली-निवारक, एनसीएच आयात दिल्ली, आईसीडी-टीकेडी (आयात), आइसीडी-टीकेडी (निर्यात, आईसीडी-पीपीजी, एयरपोर्ट-दिल्ली

[33] कमिश्नर (टीएआर) के पत्र के अनुसार

के साथ इन मामलों पर विचार करना चाहिए था। विशेष संस्थागत प्रबंधन जैसे वसूली सैल और टाक्स फोर्स के सृजन ने राजस्व बकाया की वसूली की सीमा को सुधारने पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला। वास्तव में, कुछ कमिश्नरियों में, ये बकाया लेखापरीक्षा में कवर की गई तीन वर्ष की अवधि के दौरान कई गुणा बढ़ चुके हैं।

बकाया की निगरानी के संबंध में बोर्ड के विस्तृत निर्देश, प्रभावी कदम उठाने जैसे पूर्व निपटान के लिए अनुरोध, मामलों का समूहीकरण और चूककर्ताओं की ट्रेसिंग पर तुरंत कार्रवाई तथा सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए अपील को अंतिम रूप देना या स्थगन लेना आदि की अनुपालना नहीं की गई।

31 कमिश्नरियों की नमूना जांच से लेखापरीक्षा ने ₹ 1297 करोड़ वाले सुव्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण कमियों सहित ₹ 566 करोड़ मूल्य वाले मामले पाये। ड्राबैक मामलों की गैर-निगरानी के कारण बकाया या संचयन, इओडीसी स्थिति की निगरानी के बिना अग्रिम लाइसेंस मामलों के गलत अधिनिर्णय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक रिपोर्ट में कमियां अविश्वसनीय निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लक्षण हैं।

अध्याय III

सीमा शुल्क विभाग के निवारक कार्य

प्रस्तावना

भारत के 17 राज्यों में 92 जिलों के साथ जुड़ी 14,880 किमी स्थल सीमा और 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश (यूटीज़) से जुड़ी 5,422 किमी तटरेखा है। इसके अतिरिक्त, भारत की कुल 1197 द्वीपसमूहों की 2094 किमी अतिरिक्त तटरेखा भी है। वास्तव में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा को छोड़कर, देश के अन्य सभी राज्यों में एक या अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटरेखा है और सीमा प्रबंधन के मद्देनजर महत्वपूर्ण राज्यों के रूप में माना जा सकता है।

इस प्रकार, कार्यविधि की दो मुख्य धाराओं के लिए दो स्कंदों में उत्पाद शुल्क श्रमबल मशीनरी को बांटना आवश्यक हो गया है। एक स्कंद राजस्व के संग्रहण के कार्य से जुड़ी है जबकि दूसरी को संबंधित वैधानिक कार्यान्वयन का कार्य दिया गया है। इस प्रकार, आयुक्तालयों, समुद्रीपत्तनों, ड्राई पोर्ट (आईसीडी और सीएफएस) भूमि उत्पाद शुल्क स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए सुरक्षात्मक ढांचा अस्तित्व में लाया गया। कुछ विशेष सुरक्षा कमिश्नरियां और जोन तस्करी रोकने के साथ-साथ विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और उत्पाद शुल्क अपवंचन के गलत उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई है।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है सुरक्षा स्कंद, विभिन्न हतोत्साही करने वाले तरीके जैसे गुप्तचर नेटवर्क रखना, मुखबिर तैयार करना, जब्ती के लिए तलाशी करना, वर्जित माल की जब्ती और दोषी का हिरासत में लेने आदि द्वारा तस्करी कार्यकलापों को रोकने में शामिल होता है। निवारक स्कंद के अंतर्गत विभिन्न अन्वेषण इकाइयां कार्य करती है, जो तस्करी गतिविधियों को रोकने के एकल उद्देश्य हेतु एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करती है।

3.1 संरचना और कार्य

उत्पाद शुल्क, अधिनियम, 1962 और उत्पाद शुल्क निवारक मैन्यूल द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के निवारक कार्य शासित होते हैं। ये कार्य मुख्यत: निवारक कमिश्नरी द्वारा किये जाते हैं जो केवल पूर्णत: तस्करी गतिविधियों

को रोकने के लिए है। इसके अतिरिक्त, अन्य कमिश्नरी जो मुख्यत: माल के आयात और निर्यात पर शुल्क के निर्धारण और संग्रहण से और अपनी अन्वेषण इकाईयों में व्यापार सुगमता भी देने से संबंधित हैं। सामान्यत: 13 निवारक कमिश्नरी और 57 उत्पाद शुल्क कमिश्नरी वाली उत्पाद शुल्क विभाग के निवारक स्कंद के संगठनात्मक संरचना **अनुलग्नक 4** में दी गई है।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

उत्पाद शुल्क विभाग के निवारक कार्यों की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि क्या:

i. उत्पाद शुल्क विभाग की निवारक इकाईयों के पास दिये गये नियमों के अनुसार श्रमबल, उपस्कर आदि के लिए उपयुक्त संसाधन हैं, जिनसे तस्करी, वाणिज्यिक धोखा-धड़ी और कर अपवंचन रोकने की आवश्यकता है।

ii. नियम और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध संसाधन लगाये गये हैं।

iii. अन्वेषण संग्रहण निवारक कार्यों की सहायता में प्रयुक्त किया जाता है और क्या जांच, जब्ती और अधिनिर्णयन दिये गये प्रावधानों के अनुसार की गई है।

iv. निगरानी सहयोग, सूचना नेटवर्क और तंत्र उत्पाद शुल्क विभाग के निवारक कार्यों के लिए मौजूद है।

3.3 कार्यक्षेत्र और कवरेज

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के उद्देश्य हेतु, लेखापरीक्षा ने वि.व. 2013-14 से 2015-16 की अवधि कवर की। चयन मानदंड और कमिश्नरियों की कवरेज नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों की कुल सं.	निवारक कमिश्नरियां			निवारक कमिश्नरियों से अलग		
	सं.	चयन की प्रतिशतता	चयनित	सं.	चयन की प्रतिशतता	चयनित
70	13	100	13	57	50 (न्यूनतम 2 और अधिकतम 4)	25

पृथ्वी, वायु और समुद्र जैसे विभिन्न स्तर कमिश्नरियों की चयन में शामिल होते हैं। चयनित कमिश्नरियों में, 15% मामलों में न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 की लेखापरीक्षा की गई है।

3.4 वित्तीय व्यवस्था

प्राप्त की गई सूचना के आधार पर, 13 निवारक कमिश्नियों में से 8* निवारक कमिश्नरियों के वित्तीय प्रबंधन नीचे दर्शाये गये हैं।

ग्राफ 1: निवारक कमिश्नरियों के वास्तविक व्यय
(₹ लाख में)

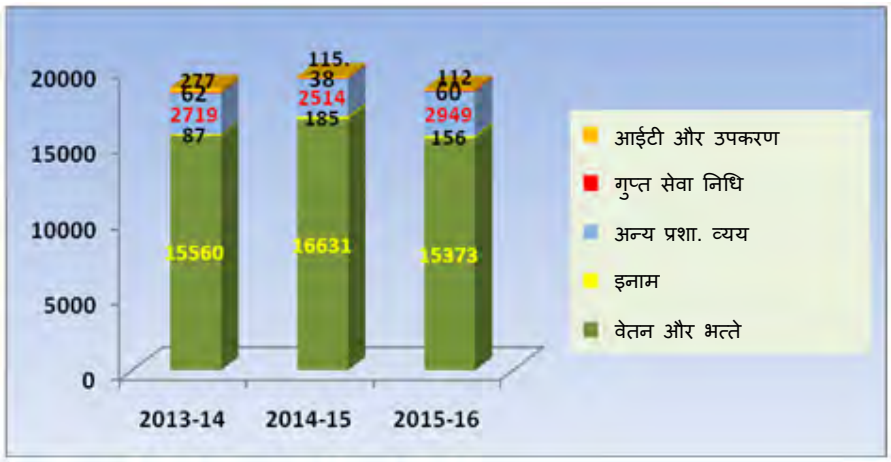

- 2013-16 के दौरान कुल व्यय में से, वेतन भाग 84 प्रतिशत, अन्य प्रशासनिक व्यय 14 प्रतिशत, आईटी और उपस्कर 0.9 प्रतिशत, प्रतिफल 0.75 प्रतिशत और एसएसएफ 0.28 प्रतिशत था।
- वि.व. 2014-15 और 2015-16 के दौरान शीर्ष उपस्करों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने निर्धारित मानकों सहित जहां भी नियम विनिर्दिष्ट हैं। निवारक कार्यों के निष्पादन के निर्धारण के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के रिकॉर्डों की जांच की।

* भुवनेश्वर और जोधपुर कमिश्नरियों ने डाटा प्रस्तुत नहीं किया और जामनगर, शिलांग और कोलकाता कमिश्नरियों में, शीर्ष वार डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

आगामी पैराग्राफ में मुख्य निष्कर्ष पर चर्चा की गई है।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विस्तृत रूप से उत्पाद शुल्क विभाग निवारक कार्यों में समुद्र गश्त, भूमि गश्त, अन्वेषण प्रणाली, खोज जब्ती, जांच और अधिनिर्णयन प्रक्रिया और जब्त का निपटान और जब्त किया गया माल शामिल होता है।

3.6 श्रमबल

सभी निवारक कमिश्नरियों के संबंध में 31 मार्च 2016 तक पदस्थ व्यक्ति और रिक्तियों के साथ-साथ संस्वीकृत पदों की स्थिति और 16 अन्य उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों से प्राप्त किया गया डाटा नीचे तालिका में दर्शाया गया है। इसमें मरीन स्टाफ के पद शामिल नहीं है।

तालिका 3.2: श्रमबल

ग्रुप	संस्वीकृत पद		पदस्थ व्यक्ति		रिक्तियां		रिक्तियों की प्रतिशतता	
	निवारक कमि.(13)	अन्य कमि.(16)	निवारक कमि.	अन्य कमि.	निवारक कमि.	अन्य कमि.	निवारक कमि.	अन्य कमि.
ग्रुप क	200	216	124	138	76	78	38	36
ग्रुप ख	3291	2767	1958	1585	1333	1182	41	43
ग्रुप ग	2324	1584	1721	679	603	905	26	57

i. निवारक कमिश्नरी में, ग्रुप क श्रेणी के अंतर्गत कोचीन में रिक्तियां 85 प्रतिशत (एसएस-26, एमआईपी-4) और ग्रुप ख के अंतर्गत रिक्तियाँ 77 प्रतिशत (एसएस-407, एमआईपी-92) थी।

ii. भुवनेश्वर कमिश्नरी में, ग्रुप ख श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियां 86 प्रतिशत (एसएस-157, एमआईपी-22) और ग्रुप ग के अंतर्गत 72 प्रतिशत थी।

iii. निवारक कमिश्नरी में ग्रुप ग श्रेणी के अंतर्गत, नई दिल्ली में, रिक्तियां 76 प्रतिशत थी जबकि निवारक कमिश्नरी लखनऊ में 62 प्रतिशत से अधिक पद पाई गई थी (एसएस-157, एमआईपी-255)

3.6.1 मरीन स्टाफ की कमी

दिनांक 8 अप्रैल 2008 के पत्र सं. 446/2/2008-एमओ के रसद निदेशालय ने **अनुलग्नक 5** में दर्शाये श्रेणी-I,II,III जहाजों के लिए विशेष चालक दल (तकनीकी और संचालन स्टाफ दोनों) को निर्दिष्ट किया है।

9 कमिश्नरियों से प्राप्त डाटा से ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2016 तक मरीन स्टाफ के सभी स्वीकृत 520 पदों के प्रति 313 पद रिक्त थे। गोवा और कोलकाता कमिश्नरी में रिक्तियों की प्रतिशतता क्रमश: 30 से 84 प्रतिशत की सीमा तक थी। कांडला कमिश्नरी में, स्कीपर और स्कीपर मेट की कमी के कारण उपलब्ध पट्रोलिंग बोट (संख्या में 4) भी कार्य नहीं कर रही थी। मैंगलोर कालीकट और गोवा कमिश्नरियों में, स्कीपर/इंजीनियर की 100 प्रतिशत रिक्तियां थी और मुम्बई कमिश्नरी में ये 93 प्रतिशत थी। मरीन स्टाफ की रिक्तियों की स्थिति के कमिश्नरी वार विवरण **अनुलग्नक 6** में दिये गये हैं।

3.6.2 श्रमबल की तैनाती

मानव संसाधन (एचआर) की तैनाती के लिए विभाग की नीति कार्यात्मक भूमिकाओं और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। इसे विभाग की मूल क्षमता का विकास करना चाहिए। निवारक कार्यों के लिए अधिक दक्ष श्रमबल की आवश्यकता होती है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निवारक स्कंद के तैनाती की अवधि केवल छ: महीने/ एक वर्ष थी। तैनाती अवधि का कम समय होने के कारण जिम्मेदारी का और निपुणता का स्तर कम ही रहा।

समुद्र पट्रोलिंग

3.6.3 कम/खराब पट्रोलिंग निष्पादन

बोर्ड दिनांक 04.09.2006 के अपने पत्र सं. 384/108/25-कस (एएस) के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उत्पाद शुल्क मरीन जहाज प्रतिदिन प्रति जहाजों का 4 से 6 घंटे के लिए समुद्र पट्रोंलिंग करके अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। जहाजों को दिन के अलग-अलग समय पर तैनात करना पड़ता है ताकि सदा एक अप्रत्याशित संभावना बनी रही।

रसद निदेशक (डीओएल), नई दिल्ली ने 2008 में देश में विभिन्न कमिश्नरियों पर 109 पट्रोलिंग जहाज तैनात किये। 2008 में डीओएल द्वारा खरीदे गये 109 जहाज/बोट 24 श्रेणी-I, 22 श्रेणी-II और 63 श्रेणी-III के जहाज थे। **अनुलग्नक 7** में इन जहाजों/बोटों की विशिष्टताएं दी गई हैं।

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2015-16 अवधि के लिए मुम्बई, गोवा, मैंगलोर, चेन्नै, कोचीन, त्रिच्ची, कालीकट, कोलकाता, शिलांग, कांडला, जामनगर, विजाग, भुवनेश्वर और पटना कमिश्नरियां के अंतर्गत 102[34] जहाजों के पेट्रोलिंग रिकॉर्डों की समीक्षा की और यह सूचित किया गया कि 102 पोतो में से केवल 58 पट्रोलिंग पोत ही परिचालन में थे इन पोतो की निष्पादित पट्रोलिंग की दोबारा परीक्षण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार केवल 6 से 7 प्रतिशत ही पट्रोलिंग की गयी थी । नीचे दी गयी तालिका में निष्पादित पट्रोलिंग को दर्शाया गया हैः

तालिका 3.3: समुद्र पट्रोलिंग निष्पादन

वर्ष	परिचालित पट्रोलिंग नावों की संख्या	आवश्यक घंटो की कम से म सं.=(परिचालित नावें*4घंटे*365 दिन)	पैट्रोलिंग के घंटो की वास्तविक सं.	पेट्रोलिंग का %	सागर पेट्रोलिंग के परिणाम			
					जांच की गयी नावो की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की सं.	जब्ती माल की सं.	जब्त किये गये माल का मूल्य (लाख में)
2013-14	58	84680	5988	7.1	1153	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	58	84680	5116	6.00	605	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	58	84680	4791	5.7	499	शून्य	शून्य	शून्य

3.6.4 पोतो का अनुचित रखरखाव और मरम्मत

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच किये गये 102 पोतो में से, 44 पोत परिचालन में नहीं थे। चेन्नई कमिश्नरी में, 17 अप्रैल, 2009 से 3 पोत अ-परिचालित थे और सभी श्रेणी-III पोतो (संख्या में 13) पटना कमिश्नरी को

[34] 109 जहाजों में से पुणे कमिश्नरी के अंतर्गत 8 जहाज हैं, जो नमूने में नहीं है और सीपीसी जमुना नमूने में शामिल 1997 में खरीदे गये जैसा कि कोलकाता कार्यालय द्वारा दर्शाया गया है।

आवंटित किये गये थे और निवारक कमिश्नरी, पं. बंगाल 2009 से अपरिचालित थे। 63 श्रेणी-पोतो के संबंध में रखरखाव और मरम्मत को मुम्बई कमिश्नरी के द्वारा एक मामलें में निदर्शित किया गया है।

निवारक कमिश्नरी, मुम्बई में, पैट्रोलिंग पोत (करंजा) 19.03.2007 रसद निदेशालय और मैसर्स ब्राउनसविक एशिया पैसेफिक ग्रुप (मरकरी मरीन सिगांपुर पैट्रो, लि, सिगांपुर) के बीच हस्ताक्षरित संविदाओं के अनुसार अधिप्राप्त श्रेणी-III के 63 पोतों में से एक था। मैसर्स मरकरी मरीन, सिंगापुर को वारंटी अवधि के प्रथम वर्ष को छोड कर सलंग्न प्रस्ताव के अनुसार पांच वर्षों के लिए वार्षिक मरम्मत संविदा प्रदान की गयी थी।

मैसर्स एसमारीयों एक्सपोर्ट इन्टरप्राइजेस, सिकन्दराबाद नाव निर्माता द्वारा पोतो की दैनिक एएमसी करने के लिए नामित किया गया था। इन श्रेणियों के पोतो के लिए एएमसी को एफ. सं. 446/23/2010-एमओ/394 दिनांक 07.03.2011 के माध्यम से डीओएल द्वारा निरस्त किया गया था एएमसी प्रदाता के द्वारा कमिश्नरी को सूचित करने के साथ कि श्रेणी-III अ और श्रेणी-III ब की कोई भी नावे मैसर्स एसमारीओ एक्सपोर्ट इन्टरप्राइजेस को सौपी नहीं जानी चाहिए थी। डीओएल ने अपने पत्र सं. दिनांक 04.05.2012 के माध्यम से श्रेणी III पोतो के मरम्मत के कार्य को स्थानीय स्तर पर कराने और जब तक नई एएमसी को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक कमिश्नरी के स्वयं के बजटीय प्रॉवधान से कराने का सुझाव कमिश्नरी को दिया था।

अक्टूबर/नवम्बर 2013 में, श्रेणी-III पोत करंजा मे कुछ तकनीकी दोषो का पता लगाया गया। तदनुसार, सेवा शुल्क के निविदा मांग उद्धारण को 22.11.2013 को मंगाया गया था। निविदा के उत्तर में, मैसर्स/एसमारीओं से केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी जबकि देश में उपरोक्त मैसर्स एसमारीयो एक्सपोर्ट इन्टरप्राईजेस प्रा. लि. ही पोतो में इंजन फिट करने के लिए केवल एक प्राधिकृत विक्रेता सेवा प्रदाता एजेंट था। अन्ततः मरम्मत का कार्य मैसर्स एसमारीयों इन्टरप्राइजेस को आवंटित किया गया था और कांजरा पोत दो वर्षों की अवधि के बाद अक्टूबर 2015 में परिचालन में लाया जा सकता था।

इस मामले में 2011 के बाद से स्पष्ट रूप से डी ओ एक ने श्रेणी III के जहाजों की ए एम सी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

3.6.5 पोतो की तैनाती

सीमा शुल्क निवारक नियमावली के अनुसार, सीमा शुल्क (प्रतिबंधक) के कमिश्नर सागर के ऊपर निगरानी के लिए जवाबदेय है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 भारत में और भारतीय जल सीमा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करती है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 106 निर्दिष्ट करती है कि सीमा शुल्क अधिकारी को भारतीय जल सीमा में किसी भी पोत को खोजने और

रोकने का अधिकार है। सीमा शुल्क अधिनियम के 2(28) धारा के अनुसार, भारतीय जल सीमा से तात्पर्य महाद्वीपीय जल-सीमा भूभागीय समुद्र की धारा 5 के अन्तर्गत भारत के विस्तार से है, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 और कोई भी खाड़ी, उपसागर, बंदरगाह, छोटी एवं ज्वारीय नदी सम्मिलित है,

इसे देखते हुए, लेखापरीक्षा ने निवारक कमिश्नर मुम्बई में पोतो की तैनाती को सत्यापित किया और यह पाया था कि सभी श्रेणी-I और श्रेणी-II पोतो (संख्या में 6) को केवल मुम्बई में तैनात किया गया था। मुम्बई के बाहर अर्थात दहानु, वसई मोरा, रिवानडा और श्रीवर्द्धन बदरंगाह पर श्रेणी-III पोतो को तैनात किया गया था। डीओएल प्राधिकार, मुम्बई ने बताया था कि श्रेणी-III नावें कठोर जल में परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं थी जिसका अर्थ है कि एक समुद्र स्थिति[35] में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी यद्यपि ये नावें खराब मौसम परिस्थिति में पैट्रोलिंग के लिए उपयुक्त नहीं थी और इन क्षेत्रों में श्रेणी I एवं II पोत तैनात किये गये थे, जिसे समुद्री-सीमा के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रभावी पैट्रोलिंग के लिए कवर नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर में बताया कि श्रेणी I और II को उथले पानी में परिचालित नहीं किया जा सकता और उनके परिचालन के लिए उचित लंगर घाट की आवश्यकता है। ये सुविधाएं केवल मुम्बई बंदरगाह क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं और इसी कारण केवल श्रेणी III पोत ही मुम्बई क्षेत्राधिकार के बाहर परिचालित किये गये थे। विभाग ने सभी जहाजों की प्रभावी पैट्रोलिंग में सहायता करने के लिए मुम्बई बंदरगाह के बाहरी क्षेत्रों पर घाटों को उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र समुद्रतटीय बोर्ड से पत्राचार किया था।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा तथ्यों की पुष्टि करता है कि मुम्बई के बाहर अधिक प्रभावी पैट्रोलिंग नहीं की गयी थी।

3.6.6 लंगर डालने का स्थान

पैट्रोलिंग कर रहे पोतो के अवस्थान के लिए एक स्थान आवश्यक है वहां जहां से आवागमन में कोई व्यवधान नहीं हो और व्यवहार्य इनपुट की प्राप्ति होने

[35] जब समुद्र शांत (लहरदार) है और लहरों की ऊँचाई 0.0 से 0.1 मीटर के बीच है

पर कम से कम प्रतिक्रिया समय लगें। पोतो के संबंध में लंगर डालने का स्थान बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास 102 पोतो में से 43 पोतो के संबंध में लंगर डालने के लिए कोई भी स्थान नहीं था मुम्बई, मैंगलोर, कालीकट, कोलकता और पटना कमिश्नरियों के तहत जांच किये गये पोतो के स्वतन्त्र आवागमन और इसके उचित अनुरक्षण को सीमित किया गया। मुम्बई कमिश्नरी के संबंध में विवरण नीचे दिये गये है।

निवारक कमिश्नरी, मुम्बई में पैट्रोलिंग पोतो को 6 इंद्रा-डॉक (6 आईडी) पर लगंर डाले गये थे जो कि जलबंधक और तुफान मार्ग के अन्दर था जिसे व्यावसायिक पोतो के आवागमन के मामलें में खोला और बंद किया गया था। इस प्रकार प्रभावित समुद्रीय पैट्रोलिंग को जिसे व्यावसायिक पोतो के आवागमन के समय के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। समय में समायोजन करना पोतो के स्वतन्त्र आवागमन को बाधित करता है और आश्चर्य के तत्व का अविज्ञा करता है। निवारक कमिश्नरी मुम्बई ने पोतो के लिए सुरक्षित बर्थिंग स्थान उपलब्ध कराने के लिए बंदरगाह प्राधिकरण को आग्रह किया है। बहुत से संप्रेषण के बाद विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 16) नौका घाट सं.-4 कमिश्नरी को मार्च 2015 में पोतो की बर्थिंग के लिए आवंटित किया गया था, जो कि इन्दिरा डॉक के बाहर है और पैट्रोलिंग के लिए खुले समुद्र के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है। यद्यपि, कुछ निश्चित और परिचालन कठिनाई को ध्यान में रखते हुए परिचालन की उपयुक्तता से बर्थिंग का यह स्थान भी निगरानी में है।

3.6.7 स्थल पैट्रोलिंग

सीमा शुल्क निवारक नियमावली के अनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) स्थल निगरानी के लिए जवाबदेह है जो कि तस्करी के रोकथाम के लिए, विदेशी मुद्रा के सरंक्षण, घरेलू उद्योग की सुरक्षा, मानव, स्वास्थ जानवर और पौधे के जीवन आदि के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निवारक कमिश्नरी, अमृतसर में श्रम शक्ति और वाहनों की मांग की लेखापरीक्षा में कवर की गयी अवधि के दौरान भुमि पैट्रोलिंग नहीं की गयी यद्यपि पंजाब राज्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में है और तस्करी गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील है। जैसा नीचे निदर्शित किया गया है।

सीबीईसी की शस्त्र नीति के प्राधिकार के सं. 441/8/डीपीओ (एएस) 88 दिनांक 31.8.1995 के अनुसार, एक निवारक पैट्रोल दल में अधीक्षक या इससे ऊपर के ग्रेड के एक अधिकारी की अध्यक्षता मे कम से कम तीन सशस्त पुरूषों का होना चाहिए।

सिपाहियो/हवलदार सीमा शुल्क अधिकारियों की देखरेख के अन्तर्गत तस्करी विरोधी अभ्यास के

हिस्से के रूप में संवेदनशील कस्बो आदि की पैट्रोलिंग करना, आवक और जावक यात्रियों पर नजर रखना, खुफिया जानकारी एकत्र करना आदि का कार्य करते हैं।

अमृतसर, पठानकोट और जम्मू के सीमाशुल्क निवारक डिविजन के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों की जांच परीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सीमा शुल्क निवारक कमिश्नरी, अमृतसर के क्षेत्राधिकार के तहत 16 सीमा शुल्क निवारक केन्द्र (सीपीएस) और 2 व्यापार सुविधा केन्द्र (टीएफसी) थे। आगे यह देखा गया कि सीपीएस अखनूर, राजौरी, आर.ए पुरा, सम्भा, पठानकोट और गुरदासपुर में केवल एक अधीक्षक ही नियुक्त था और कोई भी हवलदार और इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं थे।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया था कि 10 सीपीएस के लिए केवल 6 वाहन ही उपलब्ध थे। पर्याप्त वाहनों और मानव शक्ति अर्थात् इंन्सपेक्टर और हवलदार की अनुपस्थिति में, किसी भी सीपीएस में कोई भी पैट्रोलिंग नहीं की गयी थी और इसीलिए पिछले तीन वर्षों में सीपीएस द्वारा कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया था।

बोर्ड को भूमि पैट्रोलिंग के लिए निवारक कार्यों को मजबूत करने के लिए मानको को नियत करने पर विचार कर सकता है।

3.7 गैर-परिचालन/निरपेक्ष दूरसंचार उपकरण

(i) निवारक कमिश्नरी, मुम्बई में दूरसंचार उपकरणों का पूर्णता आभाव था। सभी एचएफ सेट (संख्या में 8) परिचालन में नहीं थे और सभी वीएच एफ सेट (संख्या में 113) 20-25 वर्ष पुराने थे और संतोषजनक दीर्ध अवधि संचार के लिए विश्वसनीय नहीं थे। अतः पैट्रोलिंग नाव और सब-स्टेशन और डिवीजनों के बीच साथ-ही मुख्यालय नियंत्रण कक्ष के साथ कोई प्रभावी संचार नहीं था।

(ii) यद्यपि रसद निदेशालय के साथ वर्ष 2011 के बाद पत्राचार किये गये थे, लेखापरीक्षा की तिथि तक कमिश्नरी को कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, अभिलेखों से यह पता (डब्लूपीसी) को स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में ₹ 2.30 लाख का भुगतान किया था।

(iii) मैंगलोर कमिश्नरी में 2006 के बाद के उपलब्ध संचार उपकरणों के 41 सेटों में से 15 सेट गैर-परिचालित और दोष पूर्ण है। विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है।

3.8 पुराने और अप्रचलित आयुध और गोला-बारूद

14 कमिश्नरी की लेखापरीक्षा से प्राप्त सूचना के से पता चलता है कि निवारक विंग को 1702 आयुध (बन्दूक, पिस्टल, रिवाल्वर और राइफलें) और 40588 गोला बारूद उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से 454 आयुध और 100

गोलाबारूद परिचालन में नहीं थे। आगे देखा गया कि निवारक कमिश्नरी, अमृतसर और मैंगलोर कमिश्नरी के अनुसार 103 एसएलआर/एलएमजी जिसमें से 25 एसएलआर/एलएमजी परिचालन में नहीं थे। लेखापरीक्षा ने विभाग से आयुधो की अन्तिम सर्विस की तिथि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, हालांकि विभाग द्वारा डेटा प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

3.9 तस्करी को रोकने के लिए अपर्याप्त तस्करी विरोधी उपकरण।

सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, की धारा 100 के अनुसार, उपयुक्त अधिकारी को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जो बोर्ड के लिए और बोर्ड से उतारा गया है, उसकी खोज करने का अधिकार है। सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 103 आगे विशिष्ट अधिकारी को छुपाये गये माल के लिए संदिग्ध व्यक्तियों के शरीरो के एक्स-रे और स्क्रीन करने का अधिकार देता है और सीबीईसी के परिपत्र 23/2006-सीमा शुल्क दिनांक 25 अगस्त 2006 के अनुसार, एक्स-रे और अन्य गैर-हस्तक्षेप करने वाली जांच तकनीको के माध्यम से आयात/निर्यात कंसाइनमेंट की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग किया जाना आवश्यक था (एनआईआई तकनीकें)।

लेखा-परीक्षा ने चंडीगढ़, कोलकता, बैंगलोर और लखनऊ कमिश्नरी में अपर्याप्त/ गैर उपलब्धता का पता लगाया था। अमृतसर और लुधियाना कमिश्नरी के मामलें मे एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

(i) लुधियाना कमिश्नरी में लेखापरीक्षा से पता चला कि एअर कार्गो कोम्प्लेक्स के अधीन विभाग में और अमृतसर के लुधियाना रेल कार्गो आयत और निर्यात भाग मे किसी भी एक्स-रे मशीन को स्थापित नहीं किया गया था। अमृतसर के रेल कार्गों लुधियाना से मुख्य आयात/निर्यात पाकिस्तान और अफगानिस्तान को किये जाते हैं। सावधानी से की गयी कार्गो की मैनुअल जांच से कार्गों की स्कैनिंग के वांछित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है।

ii) अमृतसर कमिश्नरी में लेखापरीक्षा से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान सीमा पर 2,19,527 संख्या के ट्रकों की आवागमन था फिर भी वहां आईसीपी अटारी पर पूर्ण ट्रक स्कैनर प्रतिस्थापित नहीं किये थे। पूर्ण ट्रक स्कैनर के आभाव में कर्मचारियों द्वारा और केवल ज्ञात कैबिटीस से ट्रैको की मैनुअली तालाशी ली जा रही थी।

जैसा कि ट्रको में कैविटीस की प्रकृति और संख्या असंख्य हैं और कर्मचारी ट्रको की संरचनात्मक और सामग्री डिजाइन के विषय मे तकनीकी अनुभव नहीं रखते है, मैनुअल एक असतत ढंग से तलासी से ट्रकों की स्कैनिंग से वांछित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आईसीपी अटारी में अपर्याप्त तलाशी और स्कैनिंग व्यवस्थताओं से तस्करी के लिए वर्जित शस्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक, नकली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) आदि कुटील तत्वों के द्वारा इसका दुरूपयोग किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आईसीपी अटारी पर लचीला फाइबर ऑप्टिक स्कोप, वीडियो स्कोपस और आईओएन स्कैनर (मादक दवाऐं विस्फोटकों और मादक पदार्थों के लिए) भी उपलबध नहीं है। विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है।

iii) आईसीपी अटारी, एलसीएस अटारी रेल और श्री गुरू राम दास जी अर्न्तराष्ट्रीय विमान पतन, अमृतसर पर (एसजीआरडीजीआई) सीमा शुल्क निवारक कमिश्नरी अमृतसर, के अन्तर्गत, लेखापरीक्षा से आगे पता चला कि स्टेशनों पर केवल एक्स-रे मशीनों और मैटल डोर डिटेक्टर ही लगाये गये थे और मादको और विस्फोटको का पता लगाने के लिए कोई भी मशीन/कोंटरापैशन नहीं लगाया गया था विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है।

3.10 खुफिया प्रणाली का कार्य-निष्पादन

सीमाशुल्क नियमावली के अनुसार प्रत्येक कस्टम घर की अपनी अलग पहचान है जो कि अपनी स्वयं की असूचना पद्धति विकसित कर सकते है और अपनी संरचनाओं के मापको जैसे आसूचना के नेटवर्क, बाजार शक्ति, वित्तीय पहलुओं, मुखबिरो की पद्धति और पृष्ठ भूमि, पर्यावरण ताकतों आदि को विकसित करते है। आसूचना प्रणाली के व्यापक पहलूओं और मूलभूत आवश्यकताओं को निम्नानुसार होना चाहिएः

क) मुखबिरो का संवर्धन

ख) सूचना को एकत्र करना

ग) असूचना प्रतिवेदनों का संग्रहण

घ) जांच करना, प्रत्यक्ष पूछताछ करना

ङ) पोतो/वाहनो/एअरक्राफ्ट, और असूचना कार्य से संबंधित विभिन्न अन्य कर्तव्यों, कब्जे और तलाशियां करना।

3.11 असूचना/सूचना प्राप्त करना और एकत्र करना

30 कमिश्नरीयो से लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा के अनुसार अन्तिम तीन वर्ष के दौरान अनवेषण के लिए चयनित और प्राप्त/एकत्र असूचना के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.4 : असूचना ईकाईयो और यूनिफार्म बैच का कार्य निष्पादन

वर्ष	प्राप्त असूचना की सं.	अन्वेषण के लिए चयनित मामलों की संख्या	अन्वेषण से पहले समाप्त मामलों की सं.	अन्वेषण के बाद समाप्त मामलों की सं.	जब्त किये माल का मूल्य (₹ करोड़ में)	निवारक कार्यों के आदेश पर प्राप्त राजस्व (₹ करोड़ में)
2013-14	5127	4957	562	4673	563	101
2014-15	6175	5658	718	5533	1315	113
2015-16	7434	6638	920	6368	771	187

लेखापरीक्षा में पाया गया कि

i. अहमदाबाद, कांडला, जामनगर, विमान पत्तन और एअर कार्गो काम्प्लैक्स बैंगलुरू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता कमिश्नरी में लेखापरीक्षा में कवर की गयी अवधि के दौरान कोई भी असूचना इनपुट प्राप्त नहीं हुआ था।

ii. निवारक कमिश्नरीयों/सीमा शुल्क विभाग के अन्य कमिश्नरीयो की निवारक विंगस के अपने डीबीएमएस नहीं है। असूचना ईकाईयां अन्य एजेन्सियो जैसे-डीआरआई, डीजीओवी आदि से प्राप्त चेतावनियों और प्राप्त इनपुटों के आधार पर कार्य करती है और असूचना ईकाईयों में नियुक्त अधिकारियों को अपने असूचना नेटवर्क को विकसित करने, बाजार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए स्वयं के प्रयासो को विकसित करने की आवश्यकता है।

iii. नियुक्ति, क्षमता का विकास, जनशक्ति के कौशल उन्नयन के लिए युक्ति पुर्वक प्रबंधंन और एक महत्वपूर्ण असूचना प्रणाली की निगरानी के लिए एचआर प्रणाली की निगरानी के लिए कोई भी एचआर प्रबंधन नीति (मानव संसाधन) नहीं थी।

iv. मुखबिरो का संवर्धन पूर्णरूप से अनुपस्थित था।

v. लेखापरीक्षा में उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि अन्य विभागो से प्राप्त सूचना पर आधारित कोई भी मामला आरंभ नहीं किया गया था यह दर्शाता है कि विदेशी व्यापार के क्षेत्र में धोखाधडी की संभावना के विषय में

इन विभागों जैसे-मादक पदार्थों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीएन), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केन्द्रीय आर्थिक असूचना ब्यूरो (सीईआईबी), के बीच कोई भी आदान-प्रदान नहीं था, जामनगर, कांडला और अहमदाबाद कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा में आगे पाया गया सीसीओ/डीआरआई से वि.व 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राप्त 845 चेतावनियों पर कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।

3.12 कारण बताओ नोटिस/अधिनिर्णय

तलाशी जब्ती और जांच पूरा होने के बाद, संबंधित दलो को कारण बताओ नोटिस जारी (एससीएन) किया जाता है और अधिनिर्णय के लिए अधिनिर्णय देने वाले प्राधिकारी को मामला हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

3.12.1 समय पर कारण बताओ नोटिस (एससीएन) ना जारी करना

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के 110 (2) के प्रॉवधानो के अनुसार, जहां किसी माल को जब्त कर लिया गया है वहां के जब्त होने के छः महीनों के अन्दर यदि धारा 124 के खण्ड (अ) के तहत उसके संबंध में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है।तो जिस व्यक्ति के कब्जे से माल को जब्त किया गया है उस व्यक्ति को वापस किया जायेगा।

तीन कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा में निवारक मामलों से संबंधित 56 मामलों मे निर्धारित समय से ऊपर एससीएन गैर-निर्गमन पाया गया था। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत एससीएन की गैर-निर्गमन के एक मामले के परिणामस्वरूप ₹ 49.26 लाख के राजस्व की हानि को नीचे दर्शाया गया है:

सीमा शुल्क के निवारक प्रधान अधीक्षक, दिल्ली के कार्यालय की लेखापरीक्षा में देखा गया, मैसर्स शिव शक्ति टेड्रिंग के मामलें में, एससीएन के निर्गमन में विलम्ब के कारण, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जब्त किया गया माल बिना शर्त के निर्गत किये गये थे। यद्यपि जब्त करने की तिथी से छः महीने के अन्तर्गत एससीएन जारी नहीं किया गया था और जब्त करने की एक वर्ष की अवधि के बाद के लिए कोई भी अधिनिर्णय पास नहीं कया गया था। उसके बाद पास किये गये अधिनिर्णय आदेश के अनुसार, जब्त किये गये माल का मूल्य ₹ 84.41 लाख था और आयातकर्ता पर कुल ₹ 49.26 लाख बकाया थे। बकाया वसूल नहीं गये थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.26 लाख परिहार्य हानि हुई थी।

3.12.2 लम्बित अधिनिर्णय के कारण राजस्व का अवरोधन

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9) के अनुसार मिथ्या विवरण और मिली-भगत ओर तथ्यों को छिपाने के कारण कम उदग्रहण और गैर-उदग्रहण के मामलें में 12 महीने और कम शुल्क उदग्रहण और गैर-उदग्रहण के लिए अधिनिर्णय आदेश पारित करने के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गयी है। बोर्ड के परिपत्र सं. 03/2007 दिनांक 10.01.207 (एफ. स. 401/243/2006-सीमा शुल्क III के अनुसार मामलों के अधिनिर्णय के लिए समय अवधि निम्न प्रकार हैः

(i) एक अपर/ज्वांइट कमिश्नर और सीमा शुल्क आयुक्त की सक्षमता के अन्तर्गत अधिनिर्णय लेने के मामलों के लिए कारण बताओ नोटिस की सेंवा की तिथि से एक वर्ष;

(ii) सीमा शुल्क उपायुक्त और सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त की सक्षमता के अन्तर्गत अधिनिर्णय लेने के मामलों के लिए, कारण बताओं नोटिस की सेवा की तिथि से छः महीने;

यदि किसी विशेष मामलें में निर्धारित समय अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता, अधिनिर्णयन अधिकारी को उपरोक्त समय-सीमा के पालन को बाधित करने वाली उन परिस्थतियों के संबंध में अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को सूचित करना होगा, और पर्यवेक्षी अधिकारी इन प्रकार के मामलों के निस्तारण के लिए उपयुक्त समय सीमा को नियत और उसी अनुसार अपने निस्तारण की निगरानी करेगा।

लेखापरीक्षा ने 14 कमिश्नरियों में पाया था कि 31 मार्च 2016 से ₹1860.44 करोड़ के 964[36] मामले उपरोक्त निर्धारित समय सीमा अवरूद्ध राजस्व के अतिरिक्त अधिनिर्णय के लिए लम्बित थे। 964 मामलों में से, 57 मामले ₹ 79.56 करोड़ मूल्यराशि सहित 4 निवारक कमिश्नरियों में लम्बित हैं। 22 वर्षों से लम्बित चल रहा एक मामला नीचे दर्शाया गया हैः

> पं, बंगाल, सीमा शुल्क निवारक कमिश्नर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सन्दर्भ सं. एस 12(IV) (टी) 565/76पी (11.02.1977 को निर्गत एससीएन) का मामला 22 वर्षों से अधिनिर्णयत नहीं किया जा सकता है फाइल 2013 तक उपेक्षित पडी हुई थी।
> विभाग ने (अगस्त 2016) मामलें में चूक की पुष्टि की थी और बताया था कि मामले को अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किये जा रहे है।

[36] लम्बित 1 मामला> 22 वर्षों, 2 मामले> 9 वर्षों, 1 मामला> 2 वर्षों, और 960 मामले>1 वर्ष

इसके आगे, कलीकट कमिश्नरियों के 54 मामलों में और जोधपुर, लखनऊ और पटना निवारक कमिश्नरियों का, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनिर्णय में विलम्ब 15 दिनों से लेकर 30 महीनो के बीच था।

इस पर यह इंगित किया जा रहा है (मई-जून 2016), जोधपुर निवारक कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जून 2016) कि विलम्ब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ था हांलाकि, विभाग ने अपरिहार्य परिस्थतियों को निर्दिष्ट नहीं किया था। कलीकट कमिश्नरी और लखनऊ निवारक कमिश्नरी का उत्तर प्रतिक्षित है।

निर्धारित समय सीमा से परे अनिर्णय के लिए लम्बित मामलें की शीघ्रता से अधिनिर्णयत और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है।

3.13 जब्त और कब्जे मे लिये माल के निस्तारण के लिए निगरानी और नियंत्रण तन्त्र

निस्तारण नियमावली धारा 110(1ए) के साथ पठित जब्त और कब्जे में लिये गये माल के निस्तारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। नियमावली जब्त और कब्जे में लिये गये माल को चार श्रेणियों[37] मे वगीकृत करता है। (श्रेणी-I,II,II एवं IV)

सीबीईसी अपने अनुदेश में (450/97/2010- सीमा शुल्क IV, दिनांक 22 जुलाई 2010) विनिर्देशित किया कि प्रत्येक सीमा शुल्क विन्यास सभी गैर-मंजूर/दावारहित कार्गों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक बार व्यापक समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगा और लम्बित कार्गो की उम्र के हिसाब से ब्रेक-अप के साथ निस्तारण में हुई प्रगति के लिए पूछताछ करेगा जो कि 31 दिसम्बर 2016 को निस्तारण के लिए तैयार थे।

विनिर्देशन के अनुसार नियमित आधार पर इस प्रकार के कार्गो के शीघ्र निस्तारण को आश्वस्त करना कमिश्नरियों का उत्तरदायित्व था। सीबीईसी के अनुदेशो के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि माल की बहुत बडी मात्रा निस्तारण के लिए लम्बित पडी हुई थी, लाल चंदन की चोरी, जब्ती और कब्जे मे लिये माल के गैर-निस्तारण के कारण राजस्व की हानि, गैर-मंजूरी

[37] सर्कुलर F No. 711/31/83-LC(AS) dated 22.05.1984

प्राप्त/दावा रहित/छोडे हुए माल की गैर-मंजूरी के कारण अवरूद्ध राजस्व नीचे वर्णित है जो कि उचित निगरानी और नियंत्रण तन्त्र की अनुपस्थिति को निर्दिष्ट करता है।

3.13.1 जब्ती और कब्जे में लिए माल का लम्बित मामला

विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक लेखापरीक्षा किये गये 38 में से 26 कमिश्नरियों में (श्रेणी-I,II,III और IV) कुल अ-निस्तारित माल का मूल्य ₹ 2706.45 करोड़ था। कमिश्नरियों की धारित राशियां चैन्नई[38] ₹ 859.99 करोड़, हैदराबाद[39] ₹ 423.35 करोड़[40] मुम्बई(40)₹ 353.16 करोड़ और सिलोंग ₹ 308.33 करोड़ थी।

आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 305.96 करोड़ मूल्य के माल निस्तारण के लिए तैयार होने के बाद भी निस्तारित नहीं किये गये थे और छः कमिश्नरियों में, ₹ 11.87 करोड़ मूल्य के माल के 9 मामलों में निस्तारण समय पर नहीं किया गया था परिणामस्वरूप समय बीतने के कारण उस माल के मूल्य मे हानि हुई थी। दो मामलों को नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

दृष्टान्त- 1:

पं. बंगाल, निवारक सीमा-शुल्क कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक वाहन 1987 में जब्त किया गया था और 1805 किग्रा. के औषधीय पाउडर के परिवहन के वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मामलें को 1989 में अधिनिर्णयत किया गया था। यद्यपि, अन्तिम अधिनिर्णयन आदेश (1989 में) के बावजूद विभाग 2015 में वाहन को निस्तारित कर सकता था। 2014 में इसके मूल्य निर्धारण के समय, 27 वर्षों की चूक के बाद, ₹12 लाख की जब्त मूल्य के विपरीत ₹25000/-पर वाहन का मुल्य नियत किया था।

जब्त वाहन के शीघ्र निपटान पर विनिर्देशों के गैर-अनुपालन, के परिणामस्वरूप ₹11.75 लाख तक के राजस्व की हानि हुई। उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी, 2016) कि मूल रूप से आदेश और अन्य अनिवार्य आदेशों की गैर-उपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ था।

[38] चैन्नई-III, समुद्र सीमा शुल्क: ₹ 172.86 करोड़ और चैन्नई-I, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्र: ₹ 687.13 करोड़

[39] निवारक कमिश्नरी,, विजयवाडा: ₹ 423.35 करोड़

[40] विमानपतन कमिश्नरी, मुम्बई: ₹ 271.79 करोड़ और निवारक कमिश्नरी, मुम्बई: ₹ 81.37 करोड़

दृष्टान्त- 2:

निवारक कमिश्नरी मुम्बई में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक नाव के अर्थात एमवी शालीमार-I रीवान्डा सर्कल में 28 अप्रैल 2011 को गुप्त रूप से डीजल तेल (34.05 मि.ट.) की तस्करी करते हुए जब्त किया गया था जब्त माल का मूल्य ₹ 14.50 लाख आंका गया था और पोत का ₹ 1.5 करोड़ मूल्य आंका गया था। तदनुसार, उपरोक्त जब्त नाव को कब्जे में लिया गया था और निस्तारण आदेश 31 जुलाई 2014 को जारी किये गये थे। निस्तारण आदेश मे व्यक्त किया गया था कि जंग और जल धाराओं के कारण नाव दो-तीन स्थानों पर क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही थी और डीजल छोटी नदी में रिसना शुरू हो गया था। निस्तारण आदेश के प्राप्त होने के बाद, सरकारी मूल्यांकन ने ई. निलामी के लिए एचएसडी स्टॉक के मूल्यांकक का संचनालन करने की व्यवस्था की थी। यद्यपि, मूल्यांकन प्रमाणपत्र में मूल्यांकक ने विक्रय कीमत 'शून्य' दर्शायी थी और कहा था कि वहां एचएसडी तेल नहीं था और भण्डारण कम्पार्टमेंट समुद्र के जल से भरे हुए थे। मार्च 2015 में, यह बताया गया कि 3 वर्षों के दौरान एचएसडी तेल समुद्र में बह गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.50 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है।

3.13.2 भण्डार में असंगति

लेखापरीक्षा ने दो कमिश्नरियों के अन्तर्गत `126 लाख के समाहित राजस्व के 2 मामलों में कब्जे में लिये और जब्त माल के भण्डार में अंसगति को पता लगाया था।

एक मामलें का नीचे दृष्टान्त दिया गया हैः

गोवा कमिश्नरी में, मार्च 2016 के महीने के लिए एमटीआर के अनुसार 31 मार्च 2016 तक 28.12 किग्रा, भार का सोना निस्तारण के लिए पड़ा हुआ था। जबकि सौंपी गयी रिपोर्ट दिनांक 11/05/2016 के अनुसार 23.9 किग्रा. भारित सोना ही केवल निस्तारण के लिए पडा हुआ था और 1 अप्रैल से 11 मई 2016 तक कोई निस्तारण नहीं हुआ था। इस प्रकार ₹126 लाख मूल्य के 4.19 किग्रा. के सोने की असंगति थी, विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है ।

3.13.3 लाल चंदनों की चोरी के कारण राजस्व की हानि

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2016) कि जवाहर लाल नेहरू सीमाशुल्क घर (जेएनसीएच), मुम्बई के तीन[41] सीएफएसस से ₹ 13.53 करोड़ मूल्यराशि के 79645 किग्रा. की लाल चन्दन की चोरी हुई थी जो असाधारण ईकाईयों द्वारा जब्त कर लिये गये थे और अभिरक्षको के पास रखे गये थे। इसके अलावा

[41] पंजाब कनवेयर लिमिटेडः 30660 किग्रा., बाजार मूल्य ₹ 5.21 करोड़, डीबीसी बंदरगाह रसद लिमिटेड 36.29 मि.ट. बाजार मूल्य ₹ 6.17 करोड़ एण्ड डीआरटी रसदः 12695 किग्रा., बाजार मूल्य 2.16 करोड़

विभाग द्वारा सीएफएस मैसर्स पंजाब कनवेयर लिमिटेड के एक मामलें में ₹ 5.21 करोड़ के लाल चन्दनों के बाजार मूल्य को वसूला गया था। यद्यपि, विभाग ने सीएफएस के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, दो सीएफएसो से चोरी के शेष मामलों में, लेखापरीक्षा के समय तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गयी थी (अगस्त, 2016) परिणामस्वरूप ₹ 8.32 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी। विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया (मार्च, 2014/सितम्बर, 2015) कि कोलकाता में पैट्रापोल सीमा शुल्क सर्कल पर ₹ 76.09 लाख मूल्य के विविध माल की चोरी हुई थी और विभाग द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गयी परिणामस्वरूप ₹ 76.09 लाख की हानि हुई। उत्तर में (नवम्बर 2015), विभाग ने बताया कि घटना के तुरन्त बाद एफआईआर दायर की गयी, यद्यपि अब तक (जून, 2016) कोई वसूली नहीं हुई है।

3.13.4 गैर-मंजूर/दावा रहित/छोडे हुए माल की गैर-मंजूरी के कारण राजस्व का अवरोधन

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के प्रॉवधान के अनुसार, गैर-मंजूर, दावा रहित और छोडा हुआ माल संबंधित अधिकारी की आज्ञा के साथ और आयातक के नोटिस के बाद निस्तारित किया जा सकता है। जेएनसीएच, मुम्बई की लेखापरीक्षा में पाया गया कि गैर-मंजूर/दावा रहित माल ₹ 392.40 करोड़ के अंकित मूल्य के साथ 31 मार्च 2016 तक निस्तारण के लिए विभिन्न सीएफएसो में पड़े हुए थे। उत्तर में (नवम्बर 2016), विभाग ने बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के तहत माल के शीघ्र निस्तारण के लिए बहुत से उपाय किये गये है।

3.13.5 माल सूची प्रबंधन

जेएनसीएच, मुम्बई की लेखापरीक्षा में माल-सूची प्रबंधन मे कमी पायी गयी जैसा नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

जेएनसीएच, मुम्बई में सीएफए के साथ सरंक्षक की भुमिका निभाती हुए निजी संस्थाओं के द्वारा प्रबन्धित किया जाता है और निस्तारण विभाग निस्तारण आदेश प्राप्त होने के बाद कार्य करता है। जब्त और कब्जें में लिये गये माल की श्रेणी के अनुसार रिपोर्ट नहीं बनायी गयी थी और न मॉनीटर की गयी थी। यहां तक की एक विशेष तिथि पर निपटान के लिए पड़े माल के कुल मूल्य को प्रर्दशित करने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं थी। इसके परिणामस्वरूपः

(i) विभाग 31 मार्च, 2016 को निपटान के लिए पड़े माल की कुल अंकित मूल्य का पता लगाने में सक्षम नहीं था। विभाग ने सूचित किया था कि निपटान खंड में उपलब्ध विभिन्न सीएफएसो में पड़े हुए जब्त/कब्जे में लिए माल के विवरणो को निहित करती हुई केन्द्रीकृत सूची नहीं थी। आगे, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि अभी 'अन-क्लीयरड कार्गो (यूसीसी)' नाम से एक सोफ्टवेयर बनाया गया है जो कि शीघ्र ही प्रचालन में आ जायेगा जिससे किसी भी स्तर पर निपटान के लिए तैयार काग्रो के लंम्बित रहने पर सोफ्टवेयर के माध्यम से मॉनीटर किया जा सकता है।

(ii) जल्द नष्ट होने वाले माल के गैर निपटान के कारण राजस्व की हानि हुई जिसे नीलामी में विक्रय किया जा सकता था और राजस्व प्राप्त किया जा सकता था। विभाग ने बताया कि वहां जल्द खराब होने वाले माल के प्रेषण थे जिसे निलामी में विक्रय किया जा सकता था। उन्हें कब्जा की गयी ईकाईयों के समय से निपटान आदेश नहीं भेजे गये जिससे परन्तु विक्रय नहीं किया जा सकता था। उत्तर में (नवम्बर 2016), विभाग ने कहा कि जल्द नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में, सीमा शुल्क माल के साथ निपटान करने वाली केवल एक एजेंसी नहीं है बल्कि इसके लिए माल की प्रकृति के कारण जैसे एफएसएसएआई/एक्यू/पीक्यू/एडीसी विभिन्न एनओसीओ की आवश्यकता है।

(iii) लाल चंदन अप्रैल 2005 मे कब्जे में लिया गया और उसके बाद ₹ 164.89 करोड़ की मूल्यांकित राशि 31 मार्च 2016 तक निपटान के लिए विभिन्न सीएफएस पर पड़े पड़ी रही थी। उत्तर में (नवम्बर 2016), विभाग ने कहा कि जेएनपीटी पर जब्त/कब्जे में लिए लाल चंदन से संबंधित कंटेनरों को सूचीबद्ध करने का काम पूरा कर लिया गया है और विभाग को लाल चंदनों के निपटान के लिए मुख्य वन सरक्षंक, नागपुर, महाराष्ट्र से एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि वन्य-जीव उत्पाद के निपटान के लिए उपयुक्त/सक्षम प्राधिकारी प्रतीत होता है। लाल चंदन कंटेनरो की माल सूची को अभिरक्षा में लेने के लिए वन प्राधिकारी को भेजा गया है।

तीन सीएफएसो पर रक्तचंदन की चोरी की चर्चा पैरा सं. 3.13.3 में की गयी है।

₹ 392.40 करोड़ मूल्य के गैर-मंजूर/दावा रहित माल 31 मार्च 2016 तक निपटान के लिए लम्बित है जैसा पैरा 3.13.4 मे चर्चा की गयी थी।

माल के निपटान के लिए जवाबदेही नियत करने और निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार माल के गैर-निपटान के लिए कारणों, जब्त और कब्जे में लिए माल की श्रेणी वार रिपोर्ट बनाने के लिए निगरानी तन्त्र को मजबूत बनाया जा सकता है।

3.14 निष्कर्ष

सीमा शुल्क विभाग के निवारक कार्यों की अनुपालन लेखापरीक्षा से अनुपालन तन्त्र संसाधनो की अपर्याप्तता की कमियों का पता चलता है। पर्याप्त स्टाफ की कमी, पेट्रोल वेसल के लिए बर्थिंग स्पेस और भूमि गश्त के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखना गश्त में कमी का कारण हो सकता है।

कमिश्नरी के निवारक आसूचना कार्य कई कमियों जैसे पुराने/गैर-प्रचालित दूरसंचार उपकरणों, अपर्याप्त तस्करी रोधी उपकरण, पुराने गोला बारूद, आसूचना कार्यो के लिए प्रशिक्षित स्टाफ के कम अनुपात के साथ स्टाफ का उच्च टर्नओवर और तस्करी रोधी कार्यों में लगी अन्य सरकारी एजेंसियों और अन्र्त विभागीय आसूचना आपरेशन के साथ घटिया समन्वय से प्रभावित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सिस्टम्स जो निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में अशक्त थे, जैसा विभाग द्वारा जब्त और पकड़े गए माल के निपटान की प्रणाली के निर्धारण से देखा जा सकता है, जिसे अभिलेखों के उचित अनुरक्षण की कमी द्वारा वर्णित किया गया था। न्यायिक निर्णय में काफी विलम्ब के कई मामले थे जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ। प्रक्रियागत चूकों के कारण माल के निपटान में विलम्बों के परिणामस्वरूप भण्डारण जगह का अवरोधन और सार्वजनिक राजकोष की हानि हुई। 38 कमिश्नरियों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने ₹ 5133 करोड़ तक के प्रणालीगत और आन्तरिक नियंत्रण कमियों के मामलों के साथ ₹ 1.75 करोड़ तक के मामले पाए।

अध्याय- IV

शुल्क छूट/ रियायत योजनाएं

सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इनपुट एवं पूंजीगत माल के आयात के लिए संपूर्ण अथवा सीमा शुल्क के भाग की छूट दे सकती है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातक विशिष्ट शर्तों का पालन करने के साथ साथ निर्धारित निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने का वचन देते हैं, जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उदग्रहणीय हो जाती है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (अप्रैल 2014 से मार्च 2016) 35 मामले पाए गए जिनमें ₹ 461.66 करोड का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल था जहां शुल्क छूट ईओज/शर्ते पूरी किए बिना लाभ लिया गया था। इनमें से तेरह मामलों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है और 22 मामले जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और की गई वसूलियों/वसूली कार्रवाइयॉ **अनुलग्नक 8** मे उल्लिखित हैं।

4.1 विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3के अन्तर्गत प्रतिफल/प्रोत्साहन योजनाएं

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अत्यधिक उपयोग

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 एएए के अनुसार एक व्यक्ति को जारी एक साधन अधिनियम या विनियमन विदेशी व्यापार (विकास और अधिनियम) 1992 के प्रयोजन के लिए मिलीभगत या जान बूझकर गलत बयान या तथ्यों के दमन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था ऐसे साधन का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, नियमों या उसके तहत जारी अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति जिसे वह साधन जारी किया गया था, के अलावा अन्य द्वारा उपयोग किया गया था, साधन के ऐसे उपयोग पर लगने वाले शुल्क को कभी भी छूट प्राप्त या डेबिट नहीं माना जाएगा तथा यह शुल्क उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा जिसे यह साधन जारी किया गया था। उन व्यक्तियों जिन्हें साधन जारी किया गया था पर वसूली की कार्रवाई अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत वास्तविक आयातक पर की गई कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जाती है।

महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी), विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी 2009-14) के अध्याय 3 के अन्तर्गत विभिन्न संयुक्त महा निदेशक विदेशी व्यापार कार्यालयों (जेडीजीएफटीज) के माध्यम से विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं जैसे विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीके जीयूवाई), फोकस मार्केट योजना (एफएमएस), फोकस प्रोडक्ट योजना (एफपीएस), स्टेटस होल्डर इन्सेंटिव योजना (एसएफआईएस) के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप या लाइसेंस जारी करता है। यह स्क्रिपस आसानी से हस्तांतरित की जाती है और इनका उपयोग माल के आयात के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना उपलब्ध क्रेडिट की सीमा तक किया जा सकता है। निर्यात लाभ योजना के प्रकार पर शिपिंग बिलों के मूल्य के आधार पर फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित किया जाता है।

उपलब्ध क्रेडिट के उपयोग के लिए, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र के रूप में जारी) संबंधित आयात द्वारा हाथ से सीमा शुल्क हाऊस में पंजीकृत किया जाता है जिसके लिए यह जारी किया जाता है।

सीमाशुल्क हाऊस में, स्क्रिपों के हाथ से पंजीकरण के दौरान, निम्नलिखित अनिवार्य विवरण अर्थात स्क्रिप संख्या, स्क्रिप की तिथि, पंजीकरण का पोर्ट, आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) एफओबी मूल्य, अनुमत क्रेडिट का मूल्य को भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के लाइसेंस पंजीकरण माडयूल में प्रविष्ट किया जाता है। सफलतापूर्वक वैधीकरण पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक पंजीकरण संख्या सृजित की जाती है और प्रत्येक एकल स्क्रिप को दी जाती है। यह पंजीकरण संख्या आयातकों द्वारा स्क्रिप के प्रति किसी भी पोर्ट पर सभी अनुवर्ती आयातों के लिए उद्धृत की जाती है।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी डाटा का विश्लेषण किया (31 मार्च 2015 तक) और सीमाशुल्क विभाग (आईसीईएस) द्वारा अनुरक्षित लाइसेंस डेबिट विवरण (31 मार्च 2015 तक) जो विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 के अन्तर्गत जारी साधन के संबंध में शुल्क क्रेडिट के अत्यधिक उपयोग के बारे निम्नलिखित विधियों के प्रयोग द्वारा स्क्रिप/स्क्रिप के प्रयोग के पंजीकरण के हेर फेर के माध्यम से बताता हैः

(क) स्क्रिप तिथि बदल कर पहले से ही प्रयुक्त स्क्रिप का पुनः पंजीकरण और उपयोग करना,

(ख) पंजीकरण के पोर्ट को परिवर्तित कर पहले से प्रयुक्त स्क्रिप का पुनः पंजीकरण और उपयोग,

(ग) स्क्रिप धारक को जारी न की गई शुल्क स्क्रिप का बहुल पुनः पंजीकरण,

(घ) अनुमत क्रेडिट से अधिक मूल्य के लिए क्रेडिट स्क्रिप का पंजीकरण

(ङ) टेलिग्राफिक रीलीज एडवाइज (टीआरए) जारी करने के बाद शुल्क क्रेडिट को दोनों रजिस्ट्रेशन के वास्तविक पोर्ट और अन्य पार्टों पर पूर्ण रूप से उपयाग करना।

मामला नीचे दर्शाया गया है:

4.1.1 भिन्न तिथियों के साथ स्क्रिपों (लाइसेंस) के पुनः पंजीकरण द्वारा शुल्क क्रेडिट का उपयोग

डीजीएफटी डाटा/लाइसेंस डेबिट विवरण के विश्लेषण से लेखापरीक्षा ने शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों के मामले पाए जो पहले से पंजीकृत थे और एक पोर्ट पर उनका उपयोग हुआ था, को भिन्न तिथियों के साथ पुनः पंजीकृत किया गया था और देश के विभिन्न पोर्टों पर माल के आयात पर सीमाशुल्क के भुगतान के लिए दोबारा उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने विभाग से सत्यापित किया कि पुनः पंजीकरण, पंजीकरण के पोर्ट के अलावा अन्य पोर्टों के माध्यम से माल के आयात के लिए उन स्क्रियों के प्रति जारी किसी टेलीग्राफिक रीलीज एडवाइज (टीआरए) के कारण नहीं था।

लेखापरीक्षा ने प्रारंभ में चेन्नई (सी) सीमा शुल्क कमिश्नरी को पुनः पंजीकृत स्क्रिपों के ऐसे 135 मामलों के बारे में बताया था (नवम्बर 2015)। चेन्नई (सी) सीमा शुल्क कमिश्नरी ने कहा (जनवरी 2016) कि वास्तविक लाइसेंस गलती से परिवर्तित संख्या के साथ पंजीकृत हो गए थे और दोहरीकरण के कारण निर्धारित सीमा से आगे शुल्क क्रेडिट का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ था।

दो[42] स्क्रिप जिनमें कुल ₹56.30 लाख का वास्तविक शुल्क क्रेडिट शामिल था, मूल रूप से चेन्नई सी और तूतीकोरीन सीमा शुल्क में पंजीकृत था को समान/भिन्न राशि के लिए भिन्न स्क्रिप तिथियों के साथ ₹ 530.44 लाख की कुल राशि के लिए आईसीडी, तुगलकाबाद में पुनः पंजीकृत और ₹ 527.67 लाख तक उपयोग किया गया था। ऐसे अधिक उपयोग की आईसीडी तुगलकाबाद द्वारा पुष्टि की गई थी (जनवरी 2016) और यह भी कहा गया था कि 2009 की अवधि से आगे के लिए एफटीपी के अध्याय 3 के तहत जारी लाइसेसों के दुरूपयोग से संबंधित मामला पहले से ही आईसीडी, तुगलकाबाद के विशेष जांच और आसूचना शाखा (एसआईआईबी) द्वारा जांच के अधीन था।

लेखापरीक्षा ने बाद में 7 पोर्टों में शुल्क क्रेडिट के अधिक उपयोग के इसी प्रकार के 29 मामले पाए जिनमें ₹ 3.59 करोड़ शामिल था, जिसे कमिश्नरियों को बताया गया था। अतः 31 मामलों में, ₹ 8.87 करोड़ की राशि के शुल्क क्रेडिट का अधिक उपयोग पाया गया। बाकी मामलों में कमिश्नरी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। (दिसम्बर 2016)।

4.1.2 भिन्न पोर्ट कोड के साथ स्क्रिपों के पुनः रजिस्ट्रेशन द्वारा शुल्क क्रेडिट का उपयोग

22 पोर्टों के 46 मामलों में, यह पाया गया कि लाइसेंस पोर्ट कोड परिवर्तित कर दूसरी बार पुनः पंजीकृत किए गए थे और आयात के लिए प्रयुक्त किए गए जिसमें ₹ 17.73 करोड़ तक का अधिक शुल्क क्रेडिट शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पुष्टि हेतु संबंधित कमिश्नरियों को मामले के विवरण सूचित किए थे (नवम्बर 2015 और फरवरी 2016)।

---

[42] दिनांक 7.12.2009 स्क्रिप सं.3510028447 जेडीजीएफटी महुरै द्वारा जारी ₹ 4.79 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए को स्क्रिप तिथि 7.12.2011 बदल कर ₹ 478.93 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

₹ 51.51 के शुल्क क्रेडिट के लिए जेडीजीएफटी, चैन्नई द्वारा दिनांक 25.5.2012 को जारी स्क्रिप सं.410138357 को स्क्रिप तिथि बदल कर 25.07.2012 ₹ 51.51 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

सत्यापन के बाद, तूतीकोरिन कमिश्नरी ने कहा (मार्च/अक्तूबर 2016) कि ₹1.57 करोड़ के कुल मात्रिक मूल्य की दो[43] स्क्रिपों, जिन्हें तूतीकोरिन कमिश्नरी में उपयोग किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अनियमित रूप से आईसीडी तुगलकाबाद में पंजीकृत किया गया था और शुल्क अपवंचन को वसूल किया जाना अपेक्षित है। तभी से मामला आगे की कार्यवाही हेतु तुगलकाबाद कमिश्नरी को संदर्भित किया गया है (मार्च 2016)।

बकाया 44 मामलें जिनमें 21 पोर्ट शामिल है के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

4.1.3 स्क्रिप धारक को जारी न किए गए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के बहुल पुनः पंजीकरण

47 मामलों में आईसीडी तुगलकाबाद में वास्तविक स्क्रिप के पंजीकरण के बाद स्क्रिप धारकों ने उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग किया, और उसी पोर्ट (आईसीडी तुलगकाबाद) में एक से अधिक स्क्रियों का पंजीकरण किया। ऐसे स्क्रिपों को उन्हें जारी वास्तविक स्क्रिप संख्या के समान या भिन्न शुल्क क्रेडिट के साथ पिछली कुछ संख्याओं को बदल कर पंजीकृत किया गया था और ₹ 16.26 करोड़ तक की सीमा के लिए आयातों के लिए प्रयोग किया गया था। कमिश्नरी का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.1.4 उपयुक्त क्रेडिट से अधिक मूल्य के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का पंजीकरण

6 मामलों में, आईसीडी तुगलकाबाद में पंजीकृत स्क्रिप स्वीकार्य क्रेडिट से अधिक के लिए पंजीकृत आयात करने के लिए उपयोग किया गया। ऐसे अत्यधिक शुल्क क्रेडिट का उपयोग ₹ 2.29 करोड़ तक का था।

---

[43] ₹ 11.10 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए जेडीजीएफटी, मदुरै द्वारा दिनांक 12.11.2012 को स्क्रिप सं.3510039803 जारी की थी और उसे आईसीडी तूतीकोरीन में पंजीकृत किया गया था को आईसीडी तुगलकाबाद के पोर्ट कोड बदलकर ₹ 111 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

₹ 4.58 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए जेडीजीएफटी, मदुरै द्वारा दिनांक 11.12.2012 को स्क्रिप सं.3510039804 जारी की गई और आईसीडी तूतीकोरीन में पंजीकृत किया गया था, आईसीडी तुगलकाबाद का पोर्ट कोड बदल कर ₹ 45.81 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए पुनः पंजीकृत किया गया था।

6 मामलों में से, 5 मामलों में, स्क्रिप आईसीडी तुगलकाबाद में वास्तविक या अन्तरीय शुल्क क्रेडिट के साथ, उन्हें जारी वास्तविक स्क्रिप संख्या की अन्तिम संख्या को बदल कर दोबार पंजीकृत किए गए थे, और ₹ 2.33 करोड़ तक का क्रेडिट उपयोग किया गया था।

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) ने उक्त मामलों को लेखापरीक्षा निष्कर्ष सहित आंशिक रूप से सहमति के रूप में कहा है (दिसंबर 2016) कि प्रणाली की विफलता या प्रणाली की सत्यापन की कमी के कारण शेयरों की जालसाजी के खाते की ओर इशारा करते है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रणों में कमी है जिससे प्रणाली में दुरूपयोग की संभावना हुई । लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी प्रणाली में जारी लाईसेस संख्या एक, दस अंकीय अद्वतीय संख्या है । जबकि आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन में यह सुनिशिचित करने के लिए काई इनपुट नियंत्रण तंत्र नहीं है कि वैध लाईसेंस संख्याओं के लिए पंजीकरण हेतु केवल 10 अंकीय संख्या ही अनुमत की जाए । प्रणाली में वैध लाईसेस संख्याओं के रूप में पंजीकरण हेतु 10 अंकों से अधकि/कम की संख्याओं, अक्षरांकीय वर्ण, विशेष अक्षरों की अनुमति दी गई । इन कमियों के कारण, प्रणाली देसरे या अनुवर्ती पंजीकरण के दौरान डयूटी क्रेडिट की किसी भी राशि से पंजीकरण के पोर्ट या वास्तविक लाईसेंस तिथि बदलकर पहले से पंजीकृत लाईसेंस संख्या को पुन: पंजीकृत करने की अनुमति देती है । प्रणाली में मौजूद उपरोक्त कमियों का फायदा उठाया गया था और डयूटी क्रेडिट लाईसेंस का कई पोर्टों में, मुख्य रूप से आईसीडी, तुगलकाबाद में अत्यधिक दुरूपयोग किया गया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया में योजना के दुरूपयोग के लिए आयातक की जालसाजी को प्रणाली के सत्यापन की बजाय कारण बताने को इस प्रणाली की कमियों के निरंतर दुरूपयोग करने हेतु दर्शाती है।

यह चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय में लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया है (जनवरी 2017) कि अब भी प्रणाली पहले से ही पंजीकृत लाइसेंस की पुन: पंजीकरण की अनुमति देता है जिससे विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किए गए लाइसेंस के गलत उपयोग के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है जो भारत सरकार के राजस्व हेतु हानिकारक है

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा है कि अलग- अलग तारीखों में लाईसेंसों का पुन: पंजीकरण करके डयूटी क्रेडिट के प्रयोग से संबंधित लेखापरीक्षा में बताये

गये 31 मामलों में से 15 में अधिक प्रयोग नहीं किया गया था । मंत्रालय के अनुसार डीजीएफटी, लुधियाना ने अनजाने में अनवरूद्ध लाईसेंस संख्याओं के प्रति मैनुअल स्प से लाईसेंस जारी किये । इसके फलस्वरूप यह लाईसेंस संख्या अन्य निर्यातकों द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदनों हेतु एक साथ उपयोग की जा रही थी जिसके कारए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां एक ही लाईसेंस संख्या दो निर्यातकों के नाम पर हो गई।

मैनुअल रूप से लाईसेंस संख्या अनजाने में जारी करने के बारे में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन करता है कि प्रणाली केवल गलत प्रयोग हेतु अति संवेदनशील है।

4.1.5 टेलिग्राफ्रिक रीलीज एडवाइज (टीआरए) जारी करने के बाद पंजीकरण के वास्तविक पोर्ट में स्क्रिपों का दुरूपयोग

एक सीमा शुल्क पोर्ट से दूसरे पोर्ट में स्क्रिप में उपलब्ध क्रेडिट की राशि को हस्तांतरिक करने के लिए एक टीआरए जारी किया जाता है, जहां स्क्रिप धारक अन्य पोर्ट के माध्यम से आयात के लिए शेष क्रेडिट का उपयोग करने का इरादा रखता है। टीआरए प्राप्तकर्त्ता पोर्ट में निर्यातकों को स्क्रिप को पुनः पंजीकृत करने और टीआरए के अनुसार उस स्क्रिप में उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के प्रारंभिक पोर्ट में स्थानांतरित शुल्क क्रेडिट राशि उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि पूरा क्रेडिट या उसका भाग नए पोर्ट को पहले से ही स्थानांतरित किया जा चुका था।

डीजीएफटी/सीमाशुल्क डाटा और आईसीईएस 1.5 के लाइसेंस प्रबन्धन माडयूल की जांच से पता चला कि 12 लाइसेंसो में जहां टीआरए जारी किया गया था, आयाताकों द्वारा पंजीकरण के वास्तविक पोर्ट में ₹ 4.22 करोड़ तक के क्रेडिट का दुरूपयोग किया गया था इन सभी 12 लाइसेंसों में पूरा शुल्क क्रेडिट, जो पहले से पुनः पंजीकृत पोर्ट में स्थानांतरित था का उपयोग किया गया था।

उदाहरण के लिए ₹62.71 लाख के शुल्क क्रेडिट के साथ दिनांक 23.3.2010 को स्क्रिप सं. 3010066055 को प्रारंभ में लुधियाना पोर्ट (आईएनएलडीएच6) (पंजीकरण सं./3010066055/दिनांक 23-3-10) पर पंजीकृत किया गया था। स्क्रिप धारक ने चेन्नई पोर्ट (आईएनएमएए 1) के लिए ₹62.71 लाख के पूरे शुल्क क्रेडिट के लिए टीआरए प्राप्त किया और चेन्नई में स्क्रिप को पुनः

पंजीकृत किया (पंजीकरण सं. 46012/214-10) और ₹ 62.71 लाख के लिए आयात द्वारा क्रेडिट का उपयोग किया। चूंकि पूरा क्रेडिट पहले ही चेन्नई पोर्ट को स्थानांतरित किया गया था, लुधियाना पोर्ट पर कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होना चाहिए था। तथापि, स्क्रिप धारक सिस्टम में अपर्याप्त वैधीकरण नियंत्रण के कारण लुधियाना पोर्ट पर भी आयात और ₹ 62.71 लाख का उपयोग कर सका।

कमिश्नरी को मार्च/सितम्बर 2016 में इसके बारे में सूचना दी गई थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

अतः विभाग के आईसीईएस और डीजीएफटी सिस्टम में इनपुट वैधीकरण नियंत्रण की कमी और विभागयी अधिकारियों द्वारा शुल्क स्क्रिपों के पंजीकरण/डेबिटिंग की अप्रभावी मानीटरिंग के परिणामस्वरूप ₹ 51.70 करोड़ तक के शुल्क क्रेडिट का अधिक/अनियमित उपयोग हुआ।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा है (दिसम्बर 2016) कि डीआरआई को डीजीएफटी से केन्द्रीय रूप से प्राप्त उपयुक्त डेटाडंप के साथ सभी ईडीआई पंजीकरणों (पहले का वर्शन आईसीएस 1.0 की हिस्ट्री सहित) का एक बार मिलान करने के लिये कहा है । यह प्रयोग ऐसे पत्तनों से विवरण मांगकर मैनुअल स्थानों को कवर करने के लिये है । तदनुसार डीआरआई ने एफटीपी के अध्याय-3 के अन्तर्गत जारी सभी कंपनियों के शेयर के डेटाडंप उपलब्ध कराने हेतु डीजीएफटी के समक्ष मुददा उठाया जो अभी प्रतिक्षित है ।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि डीजी- सतर्कता ने मामले में अधिकारियों की भागीदारी जानने के लिये मामले में सतर्कता की जांच भी की ।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)

4.2 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी)

निर्यात देयता पूरा न करना

एफटीपी, 2004-09 का पैराग्राफ 5.1/5.2 सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात अनुमत करता है बशर्ते निर्यात देयता लासेंस जारी करने की तिथी से आठ वर्षों की अवधि में ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के आठ गुना के बराबर हो। प्रक्रियाओं की हैंडबुक (एचबीजी) खण्ड-I 2004-09 का पैराग्राफ 5.8.3 अनुबंधित

करता है कि निर्यात देयता ब्लाक-वार पूरी करना आवश्यक है और यदि किसी विशेष ब्लाक वर्ष की निर्यात देयता निर्धारित अनुपात में पूरी नहीं की गई हो तो लाइसेंस धारक ब्लाक वर्ष के तीन महीने के अन्दर, ब्याज सहित निर्यात देयता के पूरा न किए गए भाग पर सीमाशुल्क का भुगतान करेगा।

4.2.1 मैं. भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस लिमिटेड (भेल), बैंगलुरू को दिनांक 11 अगस्त 2006 को पीसीजी लाइजेंस (सं. 0730004439) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), बैंगलुरू द्वारा विनिर्माण और उत्पादों के निर्यात हेतु पूंजीगत माल के आयात और लाइसेंस जारी होने की तिथि से आठ वर्षों में ₹ 5.79 करोड़ तक के निर्यात उत्पादों को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो काम्पलैक्स (एसीसी), बैंगलुरू (बांड सं. 200223582 दिनांक 25 अगस्त 2006) के माध्यम से पूंजीगत माल के आयात के प्रति (अगस्त से अक्तूबर 2006) लाइसेंसी द्वारा ₹ 86.46 लाख के शुल्क की बचत हुई। तथापि, लाइसेंसी निर्यात देयता अवधि (अगस्त 2014) की समाप्ति के बाद भी कोई निर्यात करने में विफल रहा। तदनुसार बचाया गया ₹ 86.46 लाख का शुल्क, ब्याज (₹ 1.32 करोड़) सहित वसूली योग्य था।

बताए जाने पर (अक्तूबर 2015) सीमाशुलक विभाग (एयरपोर्ट और एयर कार्गो कमीश्नरी) और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकार (आरएलए) बैंगलुरू ने आयातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया (क्रमशः फरवरी/अप्रैल 2016)। राजस्व विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि लाइसेंस धारक को जारी एससीएन, न्यायिक निर्णय के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.2.2 लघु उद्योग (एसएसआई) यूनिटों के लिए, 3 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते एक निर्यात देयता पूरी करने के बाद (ईओ) लाइसेंस जारी करने की तिथि से 8 वर्षों की अवधि में बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बारबर (योजना के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल पर) यदि योजना के अन्तर्गत ऐसे आयातित पूंजीगत का माल लैंडड सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो और ऐसे आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, एफटीपी के पैराग्राफ 5.9 के अनुसार, निर्यात में वृद्धि के दृष्टिगत फास्ट ट्रेक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए यदि विशिष्ट ईओ का 75 प्रतिशत ईओ अवधि के (अर्थात 4 वर्ष) आधे या आधे से कम में पूरा किया जाता है, बाकी ईओ माफ कर दिया जाएगा और प्राधिकार छोड दिया जाएगा।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकार (आरएलए), सूरत ने (अप्रैल/मई 2011, अगस्त 2013) मैं. रचित क्रिएशन, मै. शिव क्रिएशन और मै. मीनाक्षी टेक्सटाइल को 'निर्यात देयता निर्वाह प्रमाण पत्र' (ईओडीसी) उनके चार ईपीसीसी प्राधिकारों के लिए जारी किया जिसमें क्रमशः ₹ 10.06 लाख (₹ 4.12 लाख+ ₹ 5.94 लाख), ₹ 17.03 लाख और ₹ 8.01 लाख की बचत राशि शामिल थी, जिसके लिए विशिष्ट निर्यात देयता अर्थात ₹ 60.40 लाख, ₹ 102.23 लाख और ₹ 48.09 लाख निर्धारित की गई थी अर्थात शुल्क बचत राशि का 6 गुणा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्यातकों को भी अन्य ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए गए थे जिससे ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत ₹ 50 लाख तक के आयातित पूंजीगत माल का कुल सीआईएफ मूल्य बढ़ गया था। तदनुसार, ईओ को आरएलए द्वारा निर्धारित 6 गुणा के बजाय शुल्क बचाव राशि के 8 मदों की दर पर निर्धारित किया जाएगा। अतः ईओ अवधि के चार वर्षों तक तीन प्राधिकरों (एफटीपी का पैराग्राफ 5.9) पूरे किए गए 75 प्रतिशत पर विचार करते हुए और वैधता अवधि (8 वर्षों) तक एक प्राधिकार के संबंध-में पूर्ण ईओ के संबंध से निर्यात देयता के गलत निर्धारण के कारण ₹ 53.86 लाख की कुल निर्यात देयता कम पूरी हुई थी।

इस बारे में बताए जाने पर (अप्रैल/मई/नवम्बर 2014) आरएलए, सूरत ने कहा (मई 2014) कि 100 प्रतिशत निर्यात देयता की कमी को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। तथापि, अक्तूबर 2015 और जनवरी 2016 में इन मामलों की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए जारी अनुस्मारकों के बावजूद, आरएलए ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

अनियमित ऋणमुक्ति के कारण शुल्क वसूली न करना

4.2.3 एचबीपी, खण्ड-I, 2004-09 के पैराग्राफ 5.7.1. के अनुसार, ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत जारी एक लाइसेंस के प्रति निर्यात देयता (ईओ) पूरी करने के लिए शिपिंग बिलों को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है, उसमें ईपीसीजी प्राधिकार संख्या और निर्यात की तिथि और समय का पृष्ठाकंन होना चाहिए। तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2002 के डीजीएफटी नीति परिपत्र सं. 7/2002 की शर्तों में ऐसी प्रक्रियागत चूकों को माफ किया जा सकता है सीधे निर्यात के मामले में, (i) एक स्वतंत्र सीए द्वारा यथा प्रमाणित एक शपथ पत्र/वचन बद्धता, जिसमें घोषणा की गई हो कि एक विशेष ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति ईओ को पूरा करने के लिए निर्यात, किसी अन्य, ईपीसीजी लाइसेंस को पूरा करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा (ii) लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त ईसीसीजी लाइसेंसों की सूची और (iii) ईपीसीजी के अन्तर्गत आयातित मशीनरी के प्रयोग द्वारा शिंपिग बिल के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के विनिर्माण की प्रस्तुती/सत्यापन के अधीन होगी।

मै. वेदान्त अल्यूमिनियम लिमिटेड ने ''केलसीनेड एल्यूमिना'' के निर्यात के लिए क्षेत्रीय जेडीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 मार्च 2005 को जारी उनके ईपीसीजी लाइसेंस सं. 0530138258 के प्रति कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के माध्यम से आयातित (मई 2005) उनके पूंजीगत माल पर ₹ 243.03 लाख की शुल्क छूट का लाभ लिया। ईपीसीजी लाइसेंस पर छूट के समय लाइसेंस धारक ने दिनांक 11 जुलाई 2002 के डीजीएफटी नति परिपत्र सं. 7/2002 के अनुरूप एक शपथपत्र उसके ईओ के निर्यात के लिए किन्तु उन्हें जारी ईपीसीजी लाइसेंसों की सूची के बिना, प्रस्तुत किया था। तदनुसार, ईपीसीजी लाइसेंस जोन, जेडीजीएफटी के कार्यालय नई दिल्ली द्वारा उसके ईओ की ऋण मुक्ति के लिए शिपिंग बिल (एसबी) के अन्तर्गत निर्यात पर विचार करते हुए निर्मुक्त किया गया था। जोनल जेडीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र निर्यात देयता निमुक्ति प्रमाणपत्र (ईओडीसी) के आधार पर कोलकाता सीमा शुल्क प्राधिकारी ने और लाइसेंसी द्वारा निष्पादित बांड और बैंक गारंटी (बीजी) को रद्द कर दिया।

तथापि, शिंपिंग बिल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि केलसिनेटड एल्यूमिना (26250 एमटी) के निर्यात की पूरी मात्रा को जनवरी 2005 के दौरान जोनल जेडीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा जारी अन्य तीन ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति ईओ की निर्मुक्ति के लिए प्रयोग किया गया था। अतः उक्त एसबी में निर्यात की कोई शेष मात्रा नहीं बची थी जिसे मार्च 2015 में जारी आपत्ति वाले ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति ईओ की निर्मुक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता था। अतः लाइसेंस धारक द्वारा प्रस्तुत एसबी के आधार पर ईपीसीजी लाइसेंस की ऋण मुक्ति और बांड/बीजी का रद्दीकरण अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 3.45 करोड़ के साथ ₹ 2.43 करोड़ की शुल्क बचत राशि की वसूली नहीं हुई।

जोनल जेडीजीएफटी, नई दिल्ली प्राधिकार ने कहा (जुलाई 2016) कि लाइसेंस धारक को ₹ 2.43 करोड़ के शुल्क के भुगतान करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है। सीमा शुलक कमिश्नरी से उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2016)

4.3 विशेष आर्थिक जोन (सेज)/ निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू)

दिनांक 16 मई 2005 की अधिसूचना सं. 45/2005-सीशु के अनुसार, विशेष आर्थिक जोन (सेज) में उत्पादित या विनिर्मित और एफटीपी 2004-09 के प्रावधान के अनुरूप भारत में किसी अन्य जगह प्रस्तुत सभी माल पूरे अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) से छूट प्राप्त है, जो सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अंतर्गत उद्ग्राह्य है, बशर्ते ऐसे माल पर राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर या मूल्य संवर्धन कर से छूट नहीं दी गई है। सीबीईसी ने दिनांक 30 दिसम्बर 2013 के परिपत्र सं. 44/2013 सीशु द्वारा वर्गीकृत किया कि एसएडी सेज यूनिट से उनके डीटीए यूनिट को माल के स्टाक स्थानांतरण पर देय है क्योंकि माल के ऐसे हस्तांतरण पर कोई एसटी/वीएटी उदग्रहाय नहीं था।

इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए के परन्तुक (i) के अनुसार धारा 5ए के तहत जारी शुल्क छूट अधिसूचनाओं का

लाभ एक सेज में उत्पादित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान से लाए माल पर लागू नहीं होगा जब तक कि उक्त छूट अधिसूचना विशिष्ट रूप से सेज यूनिट में विनिर्मित ऐसे माल की छूट के लाभ का विस्तारण प्रदान करें।

4.3.1 घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) बिक्री पर शुल्क छूट का गलत अनुदान

फाल्टा सेज के सीमाशुल्क विंग पर डीटीए बिक्री बिलों की प्रविष्टि की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. लिंक पेन एंड प्लास्टिक लिमिटेड और दो अन्य सेज यूनिटों ने फाल्टा सेज से अपने माल को अपनी स्वयं की डीटीए यूनिटों में एसएडी के भुगतान के बिना, दिनांक 16 मई 2005 की अधिसूचना सं. 45/2005-सीशु के तहत शुल्क छूट का लाभ लेकर मंजूरी दी (जनवरी 2013 से दिसम्बर 2014)। तथापि, बिक्री बीजकों की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि सेज यूनिटों ने बिक्री बीजकों पर वैट उदग्रहण के लिए प्रावधान किया था किन्तु यह स्पष्ट था कि ऐसी बिक्री पर कोई वैट संग्रहित नहीं किया गया था क्योंकि बिक्री बीजकों पर उद्धृत वैट संख्या खरीददारों की थी (अर्थात् उनकी डीटीए यूनिटें)। इससे पता चलता है कि लेन देन स्टाक हस्तांतरण की प्रकृति के थे, जो एसटी/वीएटी के भुगतान से छूट प्राप्त थे, जिनके लिए उपरोक्त अधिसूचना/सीबीईसी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उक्त सेज यूनिट को ₹ 1.61 करोड़ का एसएडी भुगान अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त, डीटीए बिक्री बिलों की प्रविष्टि की नमूना जांच से पता चला कि उपरोक्त यूनिट ने भी सीवीडी छूट दिनांक 17 मार्च 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012-सीई को क्रम सं. 325(ii) का लाभ लेकर यथा मूल्य शुल्क की 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी का भुगतान नहीं किया। तथापि, चूंकि यह अधिसूचना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 5ए के अन्तर्गत जारी की गई थी, जो सेज यूनिट में विनिर्मित माल और डीटीए में मंजूरी पर शुल्क छूट नहीं देती, उपरोक्त उल्लिखित डीटीए बिक्री पर ₹ 5.10 करोड़ की सीवीडी छूट का अनुदान भी केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5(ए) के प्रावधानों की शर्तों में गलत था। अतः इन कारणों से कुल ₹ 6.71 करोड़ का सीमा शुल्क कम लगाया गया था।

इस बारे में बताए जाने पर (फरवरी 2015), फाल्टा सेज प्राधिकारियों ने एसएडी छूट के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2015/अप्रैल 2016) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग कम कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में हैं।

तथापि सीवीडी की गलत छूट के लिये वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि शुल्क सेज अिधनियम की धारा 30 के साथ पठित सेज नियमावली,2006 के नियम 47(1) और 37(4) के अनुसार प्रभारित किया गया है जो निर्धारित करती है कि डीटीए में क्लियर माल की जांच सीमाशुल्क अधिनियम और नियमों के अनुसार की जानी चाहिये और यह आयात के समय प्रभारित आयात शुल्क से अलग नहीं हो सकता ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीवीडी की वसूली या छूट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है । तत्काल मामले में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई ने डीटीए में बिक्री के लिए सेज में उत्पादित या निर्मित माल को सीवीडी की उगाही छूट नहीं दी है ।

4.3.2 नकारात्मक शुद्ध विदेशी विनियम (एनएफई) अर्जन के बावजूद डीटीए बिक्री की अनुमति

एफटीपी- (2009-14) खण्ड-I के पैराग्राफ 6.8(ए) के अनुसार, रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोडकर निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू) सकारात्मक शुद्ध विदेशी विनिमय (एनएफई) को पूरा करने की शर्त पर रियायती शुल्कों के भुगतान परन घरेलू टैरिफ एरिया (डीटीए) में निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकती है। तथापि, एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-एच के पैराग्राफ (एच) के अनुसार, डीटीए बिक्री हकदारी तभी अर्जित होगी यदि यूनिट ने संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर ली है। फाल्टा सेज और कोलकाता-III केन्द्रिय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक ईओयू मै. स्मिताभ इंटरकोन प्रा. लिमिटेड ने 1 सितम्बर 2011 से पांच वर्षों के लिए अपने स्वीकृति पत्र (एल ओपी) का नवीकरण किया। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए ईओयू की वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों (एपीआर) में प्रदान किए गए सांख्यिकीय डाटा की संवीक्षा और वित्तीय वर्ष 2011-12 (1 सितम्बर 2011 से) के लिए यूनिट द्वारा प्रदत्त आयात/निर्यात डाटा से पता चला कि यूनिटों

का संचित एनएफई एन सभी वर्षों में नकारात्मक था किन्तु एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अन्तर्गत ईओयू को उनकी डीटीए बिक्री पर शुल्क छूट लाभ का ₹ 77.42 लाख गलती से अनुमत किया गया था।

इस बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2015), फाल्टा सेज, सहायक विकास आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने ईओयू का आयात/निर्यात डाटा प्रस्तुत किया (मई 2016) और सूचना दी कि इन डाटा के आधार निर्यात देयता की पांच वर्षों की अवधि की पूर्णता पर ईओयू का एनएफई सकारात्मक था और अतः यूनिट द्वारा डीटीए बिक्री सही थी।

दोनों विभागों को सूचना दी गई (मई 2016) कि उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिशिष्ट-14-1-एच के पैराग्राफ । (एच) के प्रावधानों के अनुसार ईओयू की डीटीए बिक्री हकदारी पर सकारात्मक संचित एनएफई की प्राप्ति पर वार्षिक आधार पर निर्णय लिया जाता है जबकि विभागों द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकीय डाटा के आधार पर वि.व 2011-12 से 2013-14 के लिए ईओयू की संचित एनएफई नकारात्मक थी। तदनुसार, वि.व 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ईओयू डीटीए बिक्री के लिए योग्य नही था, जिसके लिए डीटीए बिक्री पर ली गई शुल्क छूट ₹ 77.42 लाख वसूली योग्य थी। इसके अलावा, विकास आयुक्त फाल्टा सेज और कालकाता-III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

4.3.3 सीएसटी की गलत प्रतिपूर्ति

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.11(सी)(i) के साथ पठित परिशिष्ट 14-आई-आई एचबीपी का पैराग्राफ प्रावधान करता है कि ईओयू भारत में विनिर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा और ईओयूज, ईओयू योजना के अनुसार माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीद पर उनके द्वारा दत्त सीएसटी की पूरी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

उपायुक्त (डीसी), कोचीन विशेष आर्थिक जोन (सीसेज), कोचीन ने दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 1/2014 द्वारा कर्नाटक और केरल में सभी ईओयूज को सूचना दी कि सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन देते समय

ईओयू/सेज/एसटीपी/ईएचटीपी यूनटि से की गई खरीद के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए किसी दावे को वरीयता नहीं दी जाएगी।

एक ईएचटीपी यूनिट के मैं. ब्लूम एनर्जी इंडिया (प्रा.) लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा पर यह पाया गया कि ₹ 75.47 लाख तक की सीमा के सीएसटी दावों (अप्रैल 2010 से जून 2012) की गलत तरीके से प्रतिपूर्ति की गई थी क्योंकि अधिप्राप्ति डीटीए यूनिट से नहीं किन्तु मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एमईपीजेड) में मै. एवालोन टेकनालाजि प्रा. लिमिटेड से की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.47 लाख के सीएसटी की अननुमत प्रतिपूर्ति हुई।

इस बारे में बताए जाने पर (मार्च 2016)। साफ्टवेयर टेकनालजी पार्कस आफ इंडिया (एसटीपीआई), बैंगलुरू प्राधिकारियों ने ₹ 18.42 लाख की वसूली के बारे में बताया (जुलाई 2016) आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

4.4 अग्रिम अधिकार योजना

एफटीपी 2004-09 और 2009-14 की अग्रिम अधिकार (एए) योजना और शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) योजना लागू करने के लिए जारी सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संलग्न शर्तों के अनुसार आयातक, योजना के तहत आयातित सामग्री की मंजूरी के समय, सीमा शुल्क सहायक/उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूति या ऋण पत्र के साथ बांड निष्पादित करेगा, जो उसे एक राशि ब्याज सहित शुल्क के बराबर होगी, की मांग पर भुगतान के लिए बाध्य होगा, किन्तु, जिनमें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नही किया गया था पर आयातित सामग्री पर छूट हेतु होगी। इसके अलावा, यह अनुबंधित किया गया है कि आयातक को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर अथवा परिणामी उत्पादो का निर्यात करके स्वीकृत विस्तारित अवधि के अन्दर लाइसेंस में निर्दिष्ट ईओ को पूरा करना तथा ईओ के पूर्ण करने हेतु स्वीकृत अवधि समाप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सहायक/उप आयुक्त की संतुष्टि के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) द्वारा जारी ईओडीसी के रूप में निर्यात दायित्व करने के प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते है।

4.4.1 निर्यात दायित्व को पूरा न करने पर शुल्क तथा ब्याज की वसूली के लिए बांड/बैंक गारंटी का लागू न होना

चेन्नई (समुद्र), सीमाशुल्क के ग्रुप 7 में अनुरक्षित बांड रजिस्टरों की संवीक्षा पर यह पाया गया (नवम्बर 2015) कि आरएलए, कोयम्बटूर, चेन्नई, पुदुचेरी तथा मदुरै द्वारा 2009-10 के दौरान जारी एएज तथा डीएफआईए के प्रति किए गए आयातो के 53 मामलो में, बांड सम्बंधित आरएलएज से ईओडीसी की प्रस्तुति न होने के कारण अभी तक निराकरण के लिए लम्बित है। इन 53 मामलों में ईओ अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा ईओडीसी प्रस्तुति हेतु दो से अधिक वर्षों के लिए लम्बित है।

48 मामलों में किए गए निर्यातों का कुल मूल्य ₹ 1529.67 करोड़ आकलित किया गया तथा सम्मिलित शुल्क ₹ 382.42 करोड़ था। बांड/बैंक गारंटी को उन आयात के पूर्वोक्त प्रावधानो के अनुसार राजस्व प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया था जिसके लिए ईओडीसी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जेडीजीएफटी, पुदुचेरी ने कहा (मई 2016) कि निर्यात दायित्व पूरा न करने के लिए ब्याज के साथ निर्यात दायित्व/शुल्क के भुगतान के समर्थन में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए दो मामलों (मै. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रिज लि. तथा मै. मेनेटेक इलेक्ट्रानिक्स) के संदर्भ में दस्तावेज मांगे गए थे।

जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर ने कहा (अप्रैल 2016) कि चार मामलो के संदर्भ में अधिनिर्णय आदेश जारी किया गया है/जारी करने के अन्तर्गत है तथा शेष दो मामलों में, मामले को नियमित करने के लिए ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान हेतु फर्मो को पत्र भेजे गए थे।

चेन्नई (समुद्र) प्राधिकारियों ने कहा (जुलाई 2016) कि मै. भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (भेल) के 14 लाइसेंसो में से, 2 लाइसेंसो (मै. पेट्रो अरलडाइट प्राइवेट लिमिटेड) में मांग नोटिस जारी किया गया है; बीजी को जनवरी 2017 तक बढाया गया तथा विभिन्न आयातको से संबंधित शेष 39 लाइसेंसो में, मांग नोटिस जारी किया गया है तथा ईडीआई सिस्टम में अलर्ट पुट इन किया गया है।

आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.5 सर्वड फ्रोम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस)

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.4 के अनुसार एचबीपी खण्ड-1 के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदात्ता सर्वडफ्रोम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी विनियम के 10 प्रतिशत के समान शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार है। एफटीपी के पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार 'सेवा प्रदाता' का तात्पर्य भारत से भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभेक्ता को 'सेवा' की आपूर्ति करने वाला एक व्यक्ति है। इसलिए, पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार सेवा प्रदाताओं को एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट की मंजूरी देते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवाएं भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ताओं को दी गई थी।

4.5.1 एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत स्वीकृति

मै. वीआईटी यूनिवर्सिटी, वेल्लूर को 'अधिक शैक्षणिक सेवा' देने के लिए अर्जित मुक्त विदेशी विनियम के लिए ₹ 195.84 लाख का एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किया गया। संवीक्षा से पता चला कि बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र गैर आवासीय भारतीय (एनआरआई) से विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहित 'फीस' के प्रति था। हालांकि, विद्यार्थियों जिनसे विदेशी मुद्रा में फीस एकत्र की गई थी, की सूची से उनकी राष्ट्रीयता अथवा आवास की स्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता।

चूंकि विश्वविद्यालय ने पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का दावा किया था, अत: विद्यार्थियों की राष्ट्रीयता सुनिश्चित किए बिना शुल्क क्रेडिट की अनुमति क्रमानुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप एसएफआईएफ के तहत ₹ 1.48 करोड़ तक शुल्क क्रेडिट की गलत स्वीकृति हुई थी जो ब्याज के साथ वूसली योग्य था।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 17 मामलो में एप्लीकेशन की बिक्री से आय पर ₹ 0.40 लाख तक शुल्क क्रेडिटभी सही नहीं था क्योंकि एप्लीकेशनो

की लागत सेवाओं की सीमा के अन्तर्गत नहीं आती तथा इसीलिए यह ब्याज के साथ वूसली योग्य थी।

इस विषय को बताए जाने पर (फरवरी 2015) आरएलए, चेन्नई ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि मामले को निर्णय के लिए उनके मुख्यालयो में भेजा गया था। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016) ।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.5.2 अनुचित मदो को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट देना

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.16.1(बी) के अनुसार, पैराग्राफ 3.16.4 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्थिति धारक वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान किए निर्यात का एफओबी मूल्य एक प्रतिशत पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। इसके अलावा, एचबीपी खण्ड -1 , 2009-14 के पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र 2010-11 से 2012-13 के दौरान किए निर्यातो पर स्टेटस होल्डर इन्सेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस) के पात्र होंगे। उक्त प्रावधानो के अनुसार आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 28 तथा 29 के अन्तर्गत आने वाले मूल रसायन (फार्मा उत्पादो को छोड़कर) तथा एचबीपी के पैराग्राफ 3.10.8 में विनिर्दिष्ट अनुसार रसायन और संबंद्ध उत्पाद एसएचआईएस के तहत क्रेडिट अनुदान के पात्र है।

मै. ओरन हाइड्रोकार्बन प्रा. लिमिटेड को क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण (आरएलए), चेन्नई द्वारा क्षेत्र ''मूल रसायन (फार्मा उत्पादो को छोड़कर)'' के तहत अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक की समयावधि के दौरान किए निर्यातो हेतु ₹1.92 करोड़ के लिए एक एसएचआईएस स्क्रिप जारी की गई (अप्रैल 2013)।

लेखापरीखा ने पाया कि कम्पनी ने विभिन्न अध्याय/टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले माल का निर्यात किया था जो न तो 'मूल रसायन क्षेत्र' के अन्तर्गत न ही 'रसायन तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र' के अन्तर्गत निर्दिष्ट थी तथा उसने एसएचआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2015), सीमा शुल्क विभाग ने कहा (अक्तूबर 2016) कि लाइसेंस का उपयोग (₹ 1.84 करोड़) केवल ₹ 8 (अक्तूबर 2016 तक) के उपलब्ध शुल्क क्रेडिट के साथ किया गया था। आरएलए, चेन्नई से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.5.3 लेट कट की वसूली न होना

प्रक्रिया हैंडबुक (एचबीपी) खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.6 (बी) के अनुसार, एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट के आवेदन को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित विदेशी विनियम के लिए सम्बद्ध माह /तिमाही/छमाही /वर्ष के अन्त से 12 माह के अन्दर फाइल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एचबीपी, खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार, जब भी शुल्क तिथि की समाप्ति के पश्चात आवेदन प्राप्त किया जाए तो ऐसे आवेदन पर लागू 2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दर पर लेट कट लगाने के पश्चात विचार किया जाएं।

यह पाया गया कि मै. फादर मूल्लर चेरिटेबल इंस्टिटयूशन तथा छ: अन्यें को जारी 15 एसएफआईएस स्क्रिप में, पूर्वोक्त प्रावधानो के अनुसार शुल्क क्रेडट के लिए आवेदन की विलम्बित प्रस्तुति के लिए ₹15.49 लाख की लेट कट राशि को उदग्रहित नहीं किया गया। लेट कट के उदग्रहण में चूक के परिणामस्वरूप स्क्रिप धारको को ₹15.49 लाख का अधिक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी हुआ।

इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 2015/जनवरी 2016), आरएलए (जेडीजीएफटी बैंगलुरू) ने मै. इंडफ्रेश लिमिटेड से ब्याज सहित ₹ 0.41 लाख की लेट कट राशि वसूली की (फरवरी 2016)। शेष छ: इकाईयो से ₹ 15.17 लाख का वूसली विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.6 फोकस उत्पाद योजना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009-14 के अध्याय 3 के तहत एक निर्यात संवर्धन योजना, फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), प्रक्रिया हैंडबुक (एचबीपी) खण्ड-I के परिशिष्ट 37डी की तालिका 1 में सूचीबद्ध उत्पादो के निर्यात के

लिए मुक्त विदेशी विनियम में वसूली किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 2/5 प्रतिशत के समान शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है।

4.6.1 एफपीएस योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट की स्वीकृति

दिनांक 31 दिसम्बर 2012 (यथा संशोधित) के पब्लिक नोटिस 42 (आरई 2012)/2009-14 के अनुसार आईटीसी -एचएस कोड 94049099 के अन्तर्गत आने वाले 'हस्तनिर्मित पफस/बेड की सामग्री, कुशन' आदि को 1 जनवरी 2013 से किए निर्यात के लिए परिशिष्ट 37डी की तालिका 1 की क्रम संख्या 583 के तहत एफपीएस में 2 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस लाभ की मंजूरी दी गई है।

मै. रागा टेक्सटाइल इंडिया प्रा. लिमिटेड तथा 34 अन्य निर्यातको को एफपीएस के तहत 'पॉलीस्टर/कॉटन से भरे हुए पावर लूम सीट पेड तथा कॉटन पावर लूम यार्न डायड कुशन' के निर्यात पर एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत बोनस अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट की स्वीकृति दी गई। जनवरी 2013 से जनवरी 2015 तक की समयावधि के दौरान किए गए निर्यातो के लिए 55 स्क्रिपो में बोनस शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया।

लेखापरीक्षा ने यह बताया कि निर्यातित मदे पावर लूम उत्पाद थे तथा बेर्डिग, कुशन आदि की हस्तानिर्मित मद/आर्टिकल नहीं थे। इसलिए, ये उपरोक्त परिशिष्ट 37डी के अनुसार अतिरिक्त बोनस क्रेडिट हेतु अयोग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.43 लाख के अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हुई।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2016), डीजीएफटी, कोयम्बटूर ने कहा (मार्च से जून 2016) कि 35 स्क्रिप के संदर्भ में, बाद में जारी लाइसेंसो में समायोजन के तरीके से ₹9.77 लाख के ब्याज सहित ₹ 45.34 लाख अधिक शुल्क की वसूली की गई। शेष 20 स्क्रिपो के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

4.7 वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहनात्मक योजना (आईईआईएस)

4.7.1 आईईआईएस के तहत मंजूर अधिक लाभ

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 3.14.4 (बी) के अनुसार, एक आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारक निर्यात के एफओबी मूल्य पर 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक की समयावधि की तुलना में 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक की समयावधि के दौरान प्राप्त की गई निरन्तर बढोतरी पर 2 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), नई दिल्ली ने निर्देश दिया (दिनांक 16 अक्तूबर 2014 की एफ.स. 01/61/180/एएम 13/पीसी3/657) कि 2012-13 की अगली तिमाही (अर्थात जनवरी से मार्च 2013) के लिए वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहनात्मक योजना (आईईआईएस) के लाभ को वृद्धि के 25 प्रतिशत अथवा मूल्य में ₹ 10 करोड़ की वृद्धि जो भी कम हो, तक सीमित किया जाएगा।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण (आरएलए), जयपुर ने जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक की तुलना में जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक की समयावधि के दौरान वृद्धि के लिए मै. ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जयपुर को ₹ 29.77 लाख के लाभ के लिए एक आईईआईएस अधिकार पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त डीजीएफटी निर्देश के अनुसार, स्वीकार्य लाभ ₹ 7.55 लाख निकलता है। इस प्रकार, मै. ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जयपुर को ₹ 22.22 लाख का अधिक लाभ दिया गया जो वसूली योग्य है।

इसे आरएलए, जयपुर को नवम्बर 2015 में बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)।

अध्याय V

सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

हमने अभिलेखो (फरवरी 2015 से मार्च 2016) की नमूना जांच से सीमा शुल्को के गलत निर्धारण के ₹17.48 करोड़ के कुल राजस्व वाले 29 मामले पाएं। इनमें से 14 मामलो की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है तथा 15 मामलो जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है तथा वसूली की गई है/वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है, को **अनुलग्नक** 9 में वर्णित किया गया है।

5.1 लागू एन्टी डंपिंग शुल्क के उदग्रहण के बिना स्वीकृत आयात

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां भारत को किसी देश से किसी वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया जाएं तो केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा भारत के अन्दर ऐसी वस्तु के आयात पर एन्टी डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगा सकती है। तदनुसार, एडीडी को 'हेक्सजामिन', 'मीथइलीन क्लोराइड', एल्बेन्डाजोत, इलेक्ट्रॉनिक केलकुलेटर, 'एल्यूमिनियम एलॉय व्हीलस' तथा फिनोल जैसे माल पर समय समय पर तब लगाया गया जब इन्हें साउदी अरब, चीन, सिंगापुर, यूएसए, यूरोपिय संघ तथा ताइवान जैसे निर्दिष्ट देशो से आयात किया गया था।

निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 6.23 करोड़ की लागू एडीडी राशि का उदग्रहण किए बिना इन निर्दिष्ट देशो से मैं. आशीष लाइफ साइंस प्रा. लिमिटेड तथा 28 अन्यों द्वारा आयातित ऐसे माल के 67 प्रेषणो को मंजूरी दी।

मंत्रालय/आईसीडी तुगलकाबाद/जेएनसीएच, मुम्बई प्राधिकरणो ने हेक्सामीन, इलेक्ट्रानिक केलकुलेटर तथा 'एल्यूमिनियम एलोय व्हीलस' के आयात के संदर्भ में एक आयातक को कम प्रभार सह मांग नोटिस के अलावा ₹ 1.33 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

जेएनसीएच प्राधिकारियों ने 'पालीप्रोपलीन' के आयात के संदर्भ में कहा कि दिनांक 5 जुलाई 2016 की अधिसूचना संख्या 29/2016 सी.शु. (एडीडी) द्वारा सीबीईसी (बोर्ड) ने 'पालीप्रोपलीन बीडस' को एडीडी लगाने से बाहर रखा था, इसलिए एडीडी दिनांक 8 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा लागू नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 8 मार्च 2016 की अधिसूचना संख्या 7/2016-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन 5 जुलाई 2016 (अधिसूचना संख्या 29/2016-सी.शु. (एडीडी)) से लागू हुआ जबकि माल को 10 मार्च 2016 से 29 मार्च 2016 तक आयात किया गया था जिसके दौरान अधिसूचना संख्या 7/2016-सी.शु. (एडीडी) लागू था तथा तदनुसार माल एडीडी का दायी था।

10 आयातको द्वारा आईसीडी तुगलकाबाद, जेएनसीएच, न्हावा-शेवा, मुम्बई से किए गए आयात के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.2 गोदाम में रखे माल (लिकर) के निपटान में विलम्ब के कारण राजस्व का संग्रहण न होना

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(1)(बी) के साथ पठित धारा 2 के अनुसार, यदि गोदाम में रखे माल को निर्धारित अवधि के अन्दर न हटाया जाए तो उपयुक्त अधिकारी को शुल्क के भुगतान की तिथि तक देय ब्याज सहित ऐसे माल के कारण प्रभार्य शुल्क की पूर्ण राशि की मांग करनी है। मांग की गई राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में उपयुक्त अधिकारी को माल को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना तथा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 72 के प्रावधानो के अनुसार माल की नीलामी करके शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई करना अपेक्षित है। यदि ऐसी वूसली मांग से कम हो तो आयातक सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत आगे वूसली कार्रवाई के लिए उत्तदायी होगा ।

जेएनसीएच तथा एनसीएच के निपटान अनुभाग की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2001-02 से 2013-14 तक की समयावधि से संबंधित लिकर के 157 बांड/लॉट (जेएनसीएच में 103 तथा एनसीएच में 54) अनुबंधित गोदामो में पड़े थे। इसके अलावा, ₹5.65 करोड़ के शुल्क अंश सहित ₹ 3.53 करोड़ के 136 लॉट/बांड में बांड सेक्शन पर समाप्त बांड पर कार्रवाई करने तथा माल की नीलामी करने के लिए निपटान सेक्शन के निपटान आदेश जारी करने में असामान्य विलम्ब देखा गया जिसके परिणामस्वरूप समय बीतने के साथ माल तथा इसके वाणिज्यिक मूल्य का ह्रास हुआ।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2016) जेएनसीएच प्राधिकारियों ने कहा (अप्रैल 2016) कि 28 बांड/लॉट का पहले ही निपटान हो गया था, 2 बांड/लॉट पुन:

निर्यात हेतु प्रक्रिया के अधीन है तथा 1 बांड जिसमें शुल्क का भुगतान किया गया है, निपटान के अन्तर्गत है। तथ्य यह है कि ₹ 1.65 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले शेष 105 लॉट/बांडो के लम्बित निपटान पर ₹2.64 करोड़ का शुल्क जारी नहीं किया गया। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.3 डीटीए मंजूरी पर एन्टी डंपिंग शुल्क का उदग्रहण न होना

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए की उप धारा 2ए अनुबंधित करती है कि एक्सपोर्टिड ओरिएन्टिड यूनिट (ईओयूज) द्वारा आयातित माल एडीडी से छूट प्राप्त है। यदि आयातित माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के अन्दर मंजूरी दी जाए या ऐसे माल जिसे डीटीए के अन्दर मंजूर किया गया है के निर्माण में उपयोग किया जाए जो एडीडी माल का जब भारत में उसका आयात किया गया था तब उस पर उदग्राहण रूप में स्वीकृत अथवा उपयुक्त माल के उस भाग पर लगाया जाना चाहिए। दिनांक 24 जुलाई 2008 की परिपत्र संख्या 12/2008-सीशु. के पैराग्राफ 10 के तहत समान प्रावधानो का वर्णन किया गया था। तदनुसार आयात के समय माल पर छोडे गए एडीडी के समान राशि को भी किसी माल के निर्माण हेतु उपयुक्त माल की समान मात्रा पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसे डीटीए के अन्दर अथवा माल की ऐसी मात्रा जिसे डीटीए के अन्दर मंजूर किया गया है, पर स्वीकृत किया गया है।

सिंगापुर [अधिसूचना संख्या 119/2010-सीशु. (तालिका की क्रम संख्या 19)] से उत्पादित तथा निर्यातित 'पालीप्रोपलीन' (सीटीएच 39021000 अथवा 39023000) दिनांक 19 नवम्बर 2010 में निर्धारित दर पर एडीडी के लिए उदग्राहय है।

दमन कमिश्नरी के तहत मै. फाइबरवेब इंडिया प्रा; लिमिटेड, एक ईओयू 'पालीप्रोपलीन' से 'स्पन बांड नॉन वोवन फेब्रिक्स' (अध्याय 56) का निर्माण करने में संलग्न है। ईओयू ने मै. एक्सॉन मोबाइल केमिकल्स एशिया पेसिफिक, सिंगापुर से पालीप्रोपलीन का आयात किया तथा घरेलू बाजार से पालीप्रोपलीन की भी खरीद की। इकाई ने 7369.89 एमटी निर्मित माल, अपशिष्ट/स्क्रैप की निकासी की थी तथा इन माल में उपयुक्त पालीप्रोपलीन की मात्रा पर एडीडी के भुगतान के बिना 2009-10 से 2013-14 तक की समयावधि में डीटीए में

₹ 78.22 करोड़ मूल्य को अस्वीकृत किया था। चूंकि इकाई ने एडीडी हेतु उदग्राहय पालीप्रोपलीन (सीटीएच 39021000) का आयात किया था परन्तु यह ईओयू में छूट हेतु पूर्वोक्त प्रावधानो के अनुसार डीटीए में स्वीकृत माल के निर्माण में उपयुक्त पालीप्रोपलीन के भाग पर एडीडी के लिए उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के एडीडी का उदग्रहण नहीं हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2015), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि कारण बताओं नोटिस का निर्णय किया गया है (फरवरी 2016) तथा इकाई ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की थी जो लम्बित है। हालांकि इकाई ने ₹ 1.07 लाख जमा किए थे (मई 2016)। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.4 संस्वीकृत फिरती का अनियमित नियमितीकरण

सीमा शुल्क, केन्दीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर फिरती नियमावली, 1995 के नियम 16ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रक्रियाओं को आरबीआई द्वारा किसी विस्तारण के अधीन विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के अन्तर्गत स्वीकृत अवधि के अन्दर न किया जाए तो किसी निर्यातक को भुगतान की गई फिरती (डीबीके) वसूलीयोग्य होती है। वसूली के लिए उक्त अवधि 31 मार्च 2013 से पूर्व 12 माह तथा इसके पश्चात दिनांक 20 मई 2013 की आरबीआई ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 105 तथा दिनांक 20 नवम्बर 2014 की परिपत्र संख्या 37 द्वारा निर्दिष्ट रूप में 9 माह थी। यह परिणाम निकलता है कि यदि आरबीआई द्वारा निर्यात वसूली अवधि को बढाया न जाए तो निर्यात डीबीके के भुगतान हेतु अयोग्य हो जाता है।

फिरती के भुगतान से संबंधित फिरती शिपिंग बिल तथा फिरती स्क्रोल के साथ आरबीआई, कोलकाता से प्राप्त दिसम्बर 2014 तक समाप्त अर्द्धवार्षिक के लिए निर्यात विदेशी विनियम बकाया विवरण (एक्सओएस) की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 90.48 लाख की फिरती सहित कोलकाता एयरपोर्ट कमिश्नरी से 53 (तरेपन) शिपिंग बिलो (फरवरी 2013 से जून 2014 तक की समयावधि हेतु) के माध्यम से निर्यातित माल के संदर्भ में पूर्ण निर्यात प्रक्रियाएं निर्यात की

तिथि से बारह से अधिक माह अथवा आरबीआई द्वारा विस्तारित अवधि के पश्चात भी प्राप्त नहीं की गई।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2016), विभाग ने ₹11.09 लाख की पूर्व /अंशत: वसूली के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए (मई 2016) तथा यह सूचित किया (जून 2016) कि फिरती की शेष राशि को निर्यात प्राप्ति में विलम्ब की अवधि हेतु फिरती राशि पर ब्याज की वूसली करके निर्यातको द्वारा प्रस्तुत किए गए ई-बीआरसी प्रमाण पत्र के आधार पर नियमित किया गया था।

विभाग द्वारा प्रस्तुत ई-बीआरसी की प्रति की संवीक्षा से पता चला कि 29 शिपिंग बिलो के संदर्भ में, निर्यात प्राप्ति पूर्वोक्त परिपत्रो के तहत आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्यात प्राप्ति की स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया परन्तु आरबीआई द्वारा मंजूर निर्यात प्राप्ति अवधि के विस्तार हेतु लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। आरबीआई द्वारा स्वीकृत किए जा रहे किसी विस्तार के अभाव में, पूर्वोक्त नियम 16ए जो आनुपातिक फिरती की वसूली को न्यायसंगत ठहराती है, के अनुसार ऐसी निर्यात प्राप्ति फिरती के दावे को अयोग्य बनाती है। इसलिए, निर्धारित नियमो/प्रावधानो/निर्देश के उल्लंघन में निर्यात प्राप्ति में विलम्ब की अवधि के लिए ऐसी फिरती राशि पर ब्याज की वसूली करके सीमाशुल्क विभाग द्वारा ₹50.43 लाख की संस्वीकृत फिरती राशि का नियमितीकरण अनियमित था।

इसे बताए जाने पर (जून/जुलाई 2016), सीमाशुल्क विभाग ने आपतिजनक मामलो में फिरती की वसूली के लिए जारी पत्र होने तथा इन निर्यातको के फिरती के वितरण को रोकने की सूचना दी (जुलाई/अगस्त 2016)। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.5 सुरक्षा शुल्क का उदग्रहण न होना

5.5.1 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की निर्दिष्ट टैरिफ मदो के अन्तर्गत आने वाली 'सीमलेसटयूब, पाइप ऑफ आयरन, निर्दिष्ट माप तथा विशेषता का एलॉय अथवा गैर एलॉय स्टील 13 अगस्त 2014 जब विकसित देशो तथा चीन से आयात किया गया, से प्रभावी मूल्यवर्धत 20 प्रतिशत की दर पर सुरक्षा शुल्क आकर्षित करता है।

मै. इमरसन क्लाइमेट टेक्नोलाजी (इंडिया) लिमिटेड तथा तीन अन्यो ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से 'सीमलेस टयूबस, पाइपस' के एक प्रेषण का आयात किया था (अगस्त से नवम्बर 2014) । आयातित माल को सीटीएच 73041910, 73041990 तथा 73042990 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा सुरक्षा शुल्क के उदग्रहण के बिना मंजूर किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹23.44 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाने पर, जेएनसीएच प्राधिकारियों ने मैसर्स एस्टीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को कम प्रभार सहित मांग नोटिस जारी करने के बारे में बताया (नवम्बर 2016) जो निर्णयाधीन है ।

अन्य दो आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2017) ।

5.5.2 'निर्दिष्ट कार्बन चेन लेन्थ के साथ सेचूरेटिड फैटी, एल्कोहल' तथा सीमाशुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 382370 के अन्तर्गत आने वाली मदे सुरक्षा शुल्क आकर्षित करती है।

मै. चेमो इंडिया तथा दो अन्य आयातको ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से सीटीएच 38237090 के अन्तर्गत वर्गीकृत 'औद्योगिक फैटी एल्कोहल' के तीन प्रषणो का आयात किया था (अक्तूबर 2014/अक्तूबर 2015)। माल को ₹10.80 लाख की राशि जिसमें ₹1.42 लाख का ब्याज सम्मिलित है, के सुरक्षा शुल्क का उदग्रहण किए बिना मंजूर किया गया।

इसे विभाग को दिसम्बर 2015 में बताया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.6 दर के गलत अनुप्रयोग के कारण अधिक फिरती भुगतान

1 अक्तूबर 2011 (दिनांक 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना संख्या 68/2011-सीशु. (एनटी)) से प्रभावी फिरती अनुसूची के अनुसार, फिरती अनुसूची उप शीषर्क संख 520905, 520906, 520907 एवं 521103 के तहत वर्गीकरणीय कॉटन डेनिम फेब्रिक्स निर्यात के एफओबी मूल्य के 4.7 प्रतिशत /5 प्रतिशत की दर पर फिरती के पात्र थे चाहे सेनवेट सुविधा का लाभ लिया गया है अथवा नहीं। उक्त फिरती दरो को 1 अक्तूबर 2011 से इसे प्रभावी करते हुए दिनांक 28 अक्तूबर 2011 की अधिसूचना संख्या 75/2011-सीशु.

(एन.टी.) द्वारा संशोधित किया गया जबकि फिरती उपक्रम संख्या 520905बी, 520906बी, 520907बी एवं 521103बी के तहत उक्त वर्णित मदो के संदर्भ में फिरती दर को तब एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर संशोधित किया गया जब सेनवेट सुविधा का लाभ उठाया गया था।

सीमा शुल्क कमीश्नरी (रक्षात्मक), पश्चिम बंगाल के तहत फिरती मामलो की संवीक्षा से पता चला कि मै. अरविन्द लिमिटेड ने 4.7/5 प्रतिशत की अधिक दर पर 16 बिलो के माध्यम से किए "कॉटन डेनिम फेब्रिक्स' के निर्यात (अक्तूबर /नवम्बर 2011) के लिए फिरती को सवीकृत किया था हालांकि निर्यातित माल के लिए सेनवेट क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया है, यह तथ्य सही है जिसे निर्यातको द्वारा अपनी एआई -। में घोषणा के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.55 लाख तक फिरती का अधिक भुगतान हुआ था जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (मार्च/मई 2015/जुलाई 2016), मंत्रालय ने एक निर्यात प्रेषण के संदर्भ में ब्याज सहित ₹ 2.81 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2016) तथा यह कहा कि मांग की पुष्टि के प्रति निर्यातक की अपील लम्बित है। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.7 ब्याज की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

दिनांक 13 मई 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002-सीशु. (एनटी) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 47(2) के अनुसार, जहां आयातक उस तिथि जिससे उसे शुल्क के भुगतान हेतु बिल की प्रविष्टि वापिस की जाती है, से पांच दिनो (अवकाश का छोड़कर) के अन्दर उप धारा (1) के तहत आयात शुल्क का भुगतान करने में विफल होता है तो वह ब्याज का भुगतान करेगा, वह कथित शुल्क के भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 का संशोधन 10 मई 2013 को किया गया जिससे दिनो जिसके अन्दर आयातक को सीमाशुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है, की संख्या को पांच से दो दिनो (अवकाश को छोड़कर) तक कम किया गया।

अप्रैल 2013 तथा मई 2013 के माह हेतु आईसीईएस 1.5 डम्प डाटा (मार्च/ अप्रैल 2015 में प्राप्त) के विश्लेषण से पता चला कि पूर्व कथित अनुसार 5 दिनो अथवा 2 दिनो की स्वीकार्य अवधि के पश्चात 135 प्रविष्टि बिलो के संदर्भ में सीमा शुल्क का भुगतान विलम्ब से किया गया। हालांकि, ईडीआई सिस्टम द्वारा सीमा शुल्क के विलम्बित भुगतान हेतु कोई ब्याज संगणित नहीं किया गया।

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कमी के कारण, 135 मामलो में सिस्टम स्वचालित रूप से शुल्क के निर्धारण की तिथि से लेकर शुल्क के भुगतान की तिथि तक 5/2 दिनो (जैसाकि मामला हो) से अधिक आयातको से देय ब्याज अंश की संगणना करने में विफल हुआ। इसके परिणमास्वरूप आयातको के ब्याज का संग्रहण नहीं हुआ जिससे ₹ 10.29 लाख के राजस्व की हानि हुई।

इसे विभाग को अक्तूबर 2015 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

अध्याय VI

वस्तुओं का गलत वर्गीकरण

अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान (मार्च 2014 से मार्च 2016), हमने 28 मामले देखे जिनमें निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया था जिसके कारण ₹ 10.01 करोड़ के सीमा शुल्को का कम उदग्रहण /उदग्रहण नहीं हुआ। इनमें से 10 मामलो की चर्चा आगामी पैराग्राफो में की गई है तथा 18 मामलो जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वसूली की गई है/वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है, को **अनुलग्नक 10** में वर्णित किया गया है।

6.1 हाइड्रोलाइज्ड वनस्पति प्रोटीनयुक्त सोया का पृथक सोया प्रोटीन के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया

सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 21061000 के तहत "हाइड्रोलाइज्ड वनस्पति प्रोटीन युक्त-सोया" वर्गीकरणीय हैं।

मै. केडबरी इंडिया लिमिटेड ने जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से "हाइड्रेलाइज्ड वनस्पति प्रोटीन युक्त सोया" के 19 प्रेषणो का आयात किया (जुलाई 2012 से मार्च 2014)। माल को "पृथक सोया प्रोटीन" के रूप में सीटीएच 35040091 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा इसे लागू बीसीडी को 30 प्रतिशत तथा सीबीडी को 10 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) तथा 6 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) का उदग्रहण करते हुए मंजूर किया गया। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.80 करोड़ तक शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (मार्च 2014/मार्च 2016), विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि 15 प्रेषणो के लिए आयातको को कम प्रभार सह मांग कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है (जनवरी 2015) तथा यह अधिनिर्णय की प्रक्रिया के तहत है। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.2 वनस्पति तेल (रिफाइंड तथा खाद्य ग्रेड के अलावा अन्य) का खाद्य ग्रेड तथा रिफाइंड के रूप में गलत वर्गीकरण

अधिसूचना संख्या 12/2012-सीशु. (क्रम संख्या 58) के अनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 1509/1515 के तहत वर्गीकरणीय 'वनस्पति तेल' (रिफाइंड तथा खाद्य ग्रेड के अलावा अन्य) का आयात बीसीडी की रियाती दर का पात्र नहीं है तथा इस पर 6 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क उदग्राहय है।

मै. पीओमा केमिकल्स ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से जर्मनी से "औद्योगिक उपयोग हेतु विभिन्न वनस्पति तेलो" के चार प्रेषणों का आयात किया था (सितम्बर 2015)। आयातित माल को खाद्य ग्रेड तथा रिफाइंड वनस्पति तेल के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया तथा पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत रियायती दर पर बीसीडी तथा 'शून्य' दर पर सीवीडी के उदग्रहण को मंजूरी दी। खाद्य ग्रेड के तहत आयातित माल के गलत वर्गीकरण तथा छूट का गलत लाभ लेने के परिणामस्वरूप ₹ 85.73 लाख की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (नवम्बर 2015), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 34.77 लाख के लिए एक प्रेषण के संदर्भ में कारण बताओं नोटिस जारी किया (मार्च 2016)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.3 फूलों हेतु मुख्य रूप से लगाये गये पौधों के बीज का "अन्य बीजो" के रूप में गलत वर्गीकरण

सीमाशुल्क टैरिफ के अनुसार, मुख्य रूप से उनके फूलों के लिये लगाये गये पौधों के बीज पर 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगती है और सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 12093000 के अंतर्गत वर्गीकरण है।

मैसर्स राशि सीड्स प्रा. लिमिटेड और अन्य ने नये कस्टम हाउस, दिल्ली के माध्यम से "बीजारोपण हेतु विभिन्न पौधों के फूल के बीज" आयातित किये। आयातित आइटम सीटीएच 12099990 (अन्य बीज) के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे और 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी के लिये निर्धारित किये

गये थे (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या12/2012-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 41)।

चूँकि आयातित मद बीजारोपण हेतु पौधों के बीज हैं, जो फूलों के उद्देश्य हेतु मुख्य रूप से लगाये जाते है, वे सीटीएच 12093000 के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत करने योग्य है तथा 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी के लिये निर्धारणीय हैं (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 40)। इस प्रकार आयातित मद के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 72.11 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर 2015), विभाग ने कहा (मई 2016) कि आयातक से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार गेंदे के बीज को भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार फूल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और पौंधे के बीज के रूप में नहीं {(आरटीआई स्पष्टीकरण के उत्तर में जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, समन्वय और किसान कल्याण कृषि भवन, नई दिल्ली) द्वारा जारी किया गया था)} इस प्रकार गेंदे के फूल का बीज सीटीएच 12099990 के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकरण योग्य है। तथापि, विभाग ने सुरक्षा मांग सहित कारण बताओं नोटिस जारी किया (दिसम्बर 2015)।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक जेनेटिक पहचान और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये इस प्रकार उगाये गये और वितरित की गई अधिसूचित प्रकार और किस्म की सामग्री उगाने और उच्च गुणवत्ता बीज को प्रमाणीकरण के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने और रखरखाव करने के लिये बनाये गये हैं और सीमाशुल्क वर्गीकरण के लिये नहीं।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने सीटीएच 12093000 के अंतर्गत की बजाय 'अन्य बीजों' के रूप में शेष सीटीएच 12099990 के अंतर्गत गेंदे के बीच के आयात को वर्गीकृत किया, जो मुख्य रूप से उनके फूल के लिये लगाये गये पौंधों के बीज के लिये हैं। आयात टैरिफ स्पष्टीकरण हेतु सामान्य नियमावली के नियम 3(ए) के अनुसार-शीर्ष जो सबसे विशिष्ट विवरण उपलब्ध कराता है उसे अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्ष से अधिक वरीयता देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, कोलकाता एयर कार्गो/चेन्नै एयरकार्गो/दिल्ली एयर कार्गो के माध्यम से ''बीजारोपण हेतु गेंदे के फूल के बीज'' समान आयात को विभाग द्वारा सीटीएच 12093000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

6.4 'अन्य वनस्पति अर्क एवं तत्व' के रूप में गलत वर्गीकृत खाद्य आहार पूरक

"डीएचए पाउडर'' अन्य खाद्य सामग्री कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं के रूप में सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 21069099 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 30 प्रतिशत की दर पर सीमाशुल्क का मूल शुल्क वसूली योग्य है (दिनांक 01 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, क्रम संख्या 47)।

मैसर्स वास्ता बॉयोटेक प्रा. लिमिटेड ने (अप्रैल एवं नवम्बर 2011) एयर कस्टम चेन्नै के माध्यम से ''डीएचए पाउडर'' के 15 प्रेषण आयात किये। माल '' अन्य वनस्पति अर्क और तत्व'' के रूप में सीटीएच 13021990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 30 प्रतिशत की दर पर लागू बीसीडी की बजाय 15 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क निर्धारित किया गया था (अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, क्रम संख्या 28)। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 64.76 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (मार्च 2012), विभाग ने कहा (अगस्त 2016) कि मामला प्रधान आयुक्त के अधिनिर्णय की प्रक्रिया के अंतर्गत है और परिणाम निर्णय के बाद सूचित किया जायेगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.5 कॉपर बार/रॉड के रूप में गलत वर्गीकृत कॉपर वायर

अध्याय 74 के नोट 1 (डी) और (एफ) के अनुसार, बार और रॉड, रोल्ड एक्सट्रूडेड, ड्रॉन या फॉर्ज्ड उत्पाद के रूप में परिभाषित किये जाते है, कॉयल में नहीं। यद्यपि तार को रोल्ड एक्सट्रूडेड, कॉयल में ड्रॉन उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार वायर रॉड का मतलब है कोल्ड रूप से आपूर्ति किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु सहायक उत्पाद के रूप में प्रयोग किये गये 6 एमएम तक समान क्रॉस-सेक्शन

आयात के रॉड उत्पाद। कॉपर तार जिसका क्रास-सेक्शन आयाम 6 एमएम से अधिक है उस पर 5 प्रतिशत की दर से मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) लगेगा और सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 74081190 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।

मैसर्स अशोक कम्पनी ने आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली के माध्यम से ''कॉपर वायर रॉड'' आयात की (अगस्त से दिसम्बर 2015)। आयातित माल ''अन्य'' बार, रॉड और कॉपर अलॉइ की प्रोफाइल'' के रूप में सीटीएच 74072990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और क्रम संख्या 979 अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्राप्त था। यद्यपि आयातित माल कॉयल में कॉपर वायर रॉड था जो कॉपर वायर के रूप में सीटीएच 74081190 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और 5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी वसूली योग्य है। गलत वर्गीकरण और अधिसूचना लाभ के अनुवर्ती गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 55.70 लाख की शुल्क राशि की कम वसूली हुई।

यह विभाग को जनवरी 2016 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.6 अंगूर के अलावा किशमिश के रूप में गलत वर्गीकृत सूखे अंगूर

सूखे अंगूर-किशमिश सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 08062010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 28) के अनुसार 100 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क और अन्य लागू उपकर और शुल्क लगेगा।

मैसर्स कानेग्रेड फ्लेवर्स एंड इंग्रीडिअन्टस प्रा. लिमिटेड ने जेएनसीएच, नहावा शेवा मुंबई के माध्यम से 'छोटी किशमिश' की दो प्रेषण आयात किये। आयातित माल को शीर्ष 0801 से 0806 के अलावा अन्य ड्राइ फ्रूट के रूप में सीएचटी 08134090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 30 प्रतिशत की दर पर बीसीडी वसूल किया गया था और एसएडी से छूट प्राप्त था (दिनांक 17 मार्च 2012 अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क, क्रम संख्या 20)।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि आयातित माल ग्रीस में उत्पादित ''छोटी किशमिश'' के रूप में संदर्भित छोटे सूखे हुए काले अंगूर थे और तदनुसार सीटीएच 08062010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य थे और 100 प्रतिशत की दर

पर बीसीडी वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त, यह माल ताजे फलों की बजाय ड्राई फ्रूट होने के कारण एसएडी छूट हेतु पात्र नहीं था। इस प्रकार, अनुचित वर्गीकरण और गलत एसएडी छूट के परिणामस्वरूप ₹ 29.72 लाख की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (फरवरी 2016) विभाग ने अवलोकनों को स्वीकृत न करते हुये कहा (मार्च 2016) कि 'छोटी किशमिश' काली किशमिश को सूखाकर बनती है और अंगूर से नहीं। इसके अतिरिक्त विभाग ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना कहा कि काली किशमिश अपनी चटपटा बेरी हेतु उगाया हुआ जंगली पेड़ है और आयातित मद सही रूप से सीटीएच 08134090 के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे। तथापि, आयातक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'किशमिश' अंगूर को सुखाकर बनाई किशमिश को संदर्भित करता है और शब्द 'बौना' का 'किशमिश' के छोटे आकार को बताने के लिये प्रयोग किया गया है और इसलिये आयातित मद सीटीएच 08062010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। राजस्व विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.7 जानवर और वनस्पति उत्पादक के रूप में गलत वर्गीकृत पौधा वृद्धि नियामक

संगत नामावली प्रणाली (एचसीएन) के अध्याय शीर्ष 3808 के अंतर्गत स्पष्टीकरण नोट के अनुसार, 'पौधावृद्धि नियामक' पौधे की जीवन प्रक्रिया संशोधित करने के लिये लागू होती है ताकि पौधा अधिक या कम बढ़े, फसल बढ़े, गुणवत्ता में सुधार या फसल काटना सुविधाजनक हो आदि और सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष(सीटीएच) 38089340 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची निर्वचन हेतु नियमावली' के नियम 3(ए) के संदर्भ में शीर्ष जो सबसे विशिष्ट विवरण उपलब्ध करता है को अधिक सामान्य विवरण प्रस्तुत करने वाले शीर्ष से अधिक वरियता दी जानी चाहिये। पौंधा वृद्धि नियामक के रूप में उपयोग होने वाला सीवीड एक्स्ट्रैक्ट/अमीनों ऐसिड ग्रेन्यूल्स/ह्यूमिक ऐसिड ग्रेन्यूल्स और सिंथेटिक जैविक रसायन 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी),

12/12.5 प्रतिशत पर उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाकर सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।

मैसर्स मार्क इंटरनेशनल और चार अन्य ने सी, सीमाशुल्क चेन्नै से सीवीड एक्स्ट्रैक्ट लिक्विड/ अमीनों ऐसिड ग्रेन्यूल्स/ह्यूमिक ऐसिड ग्रेन्यूल्स के चार प्रेषण आयातित किये (नवम्बर 2014 से सितम्बर 2013)। यह आयातित माल 'जानवर और वनस्पति फर्टीलाइजर्स/अन्य फर्टीलाइजर्स/जैविक रसायन के रूप में सीटीएच 31010099/31059090/29225090/29379090/38249090 के अंतर्गत अनुचित रूप से वर्गीकृत किया गया था और शून्य/1/12 प्रतिशत पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और 5/5.75 प्रतिशत की दर पर बीसीडी निर्धारित किया गया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 28.87 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

नवम्बर 2015 में विभाग को इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.8 बीज की सफाई, छटाई या ग्रेडिंग के लिये मशीन के रूप में गलत वर्गीकृत सुपारी की प्रोसेसिंग हेतु मशीन

सीमाशुल्क टैरिफ के अनुसार मिश्रण मिलाने, पीसने, घिसने, छांटने, हटाने आदि के लिये अध्याय 84 में अन्यथा शामिल नहीं या निर्धारित मशीने सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 84798200 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 12.5 प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगाता है।

मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से अन्य समान सहित क्रम्बलर डीएफजेडएल-1500 (आकार छोटा करने वाला क्रशर) मशीन, प्लानसिफ्टर एमपीएके-228 (हटाने और ग्रेडिंग के लिये) और 'डिसचार्ज एयरलॉक एमपीएसजे-22/22' का प्रेषण आयात किया (जुलाई 2015)। आयातित माल बीज की सफाई, छंटाई और ग्रेडिंग, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों के लिये मशीनों के रूप में सीटीएच 8437.000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और सीवीडी शुल्क से छूट प्राप्त थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मशीने विशेष रूप से सुपारी के पौधे के लिये थी, जो मुख्य रूप से पान मसाला आदि के उत्पादन के लिये सुपारी काटने या प्रोसेसिंग के लिये प्रयोग होती है। इसलिये, आयातित माल 12.5 प्रतिशत की दर पर सीवीडी

लगाकर सीटीएच 84798200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.74 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

जनवरी 2016 में विभाग को इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.9 कृषि/उद्यान-विज्ञान/फसल काटने की मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकृत ब्रश कटर/रीपर

'ब्रश कटर/रीपर' में पोर्टेबल मशीन होने के कारण हल्की धातु के फ्रेम पर लगे आंतरिक ददन इंजन है और काटने के उपकरण है जो नामावली की संगत प्रणाली (एचएसएन) के स्पष्टीकरण नोट के अनुसार सीटीएच 8433 से उनको हटाने को ध्यान में रखते हुये सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 84672900 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। संबंधित माल 12 प्रतिशत (28 फरवरी 2015 तक) और 12.5 प्रतिशत (1 मार्च 2015 से) की दर पर सीवीडी वसूली योग्य है।

मैसर्स विनोद कुमार वीरेन्द्र कुमार ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'विभिन्न प्रकार के ब्रश कटर/रीपर' के छह प्रेषण आयात किये (दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2015)। माल कृषि/उद्यान-विज्ञान/फसल काटने की मशीनरी के रूप में मानकर विभिन्न सीटीएच 8424/8432/8433 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 12.5 प्रतिशत की लागू दर के बजाय सीवीडी से छूट प्राप्त था। आयातित माल घास काटने की मशीन होने के कारण उपर्युक्त एचएसएन स्पष्टीकरण नोट को ध्यान में रखते हुये सीटीएच 8467 के अंतर्गत घास काटने की मशीन के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 18.40 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

मई और नवम्बर 2015 में विभाग का इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.10 चलने की छडी के निर्माण हेतु 'लकडी की डंडियों' के रूप में गलत वर्गीकृत लकड़ी का सामान

'लकडी का सामान' सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 4421 के अंतर्गत वर्गीकृत करने के योग्य है और 12/12.5 प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगती है।

मैसर्स श्री साई ओवरसीज़ ने आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली के माध्यम से 'लकड़ी की डंडियों' (75 एम एम से 114 एम एम) के छह प्रेषण आयात किये (जुलाई 2014 से मार्च 2016)। आयातित माल मोटे तौर पर छांटी गई लेकिन मुडा हुआ नहीं झुका या अन्यथा बनाया हुआ, चलने की छड़ी के निर्माण के लिये उपयुक्त, उपकरण के हैंडल, स्पिलिट पोल आदि 'लकड़ी की डंडियों' के रूप में सीटीएच 44042010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई के अंतर्गत सीवीडी से छूट प्राप्त था। आयातित लकड़ी की डंडियों का बहुत छोटा आकार (75 एमएम से 114 एमएम) होने के कारण चलने की छड़ी के निर्माण हेतु उचित नहीं थी, इसलिये 'लकड़ी की अन्य वस्तुओं' सीटीएच 44219090 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं और 12/12.25 प्रतिशत की दर पर सीवीडी वसूली योग्य है। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 11.77 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

सितम्बर 2014/दिसम्बर 2015 और मार्च 2016 में विभाग को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

अध्याय VII

सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सरकार को या तो पूर्ण रूप से या अधिसूचना में निर्दिष्ट जैसी भी स्थिति हो, पर पूरा सीमाशुल्क या उसके किसी भाग पर माल के किसी विनिर्दिष्ट विवरण से छूट देना का अधिकार है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (दिसम्बर 2011 से जनवरी 2016 तक), छूट के गलत अनुदान के नौ मामले देखे गये हैं जिसमें ₹ 5.64 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। इनमें से, सात मामलों की निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है और दो मामलें जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये और वसूली की गई/वसूली कार्यवाही की गई **अनुलग्नक 11** में उल्लिखित हैं।

जाली दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त सीमाशुल्क की वापसी

7.1 दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सीमाशुल्क के संदर्भ में, माल जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में आते हैं, जब भारत में बाद में बिक्री हेतु आयात किया जाये, आयातक द्वारा अधिसूचना के पैराग्राफ (ए) से पैराग्राफ 2 (ई) में निर्धारित शर्त को पूर्ण करने पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा (5) के अंतर्गत उस पर वसूलीयोग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) के पूर्ण भाग से छूट प्राप्त होगा। इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने लिये आयातक को अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ (ई) के संबंध में निम्नलिखित की प्रतियां उपलब्ध कराना अनिवार्य है (i) कथित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के साक्ष्य दस्तावेज (ii) आयातित माल की बिक्री के बीजक जिसके संबंध में कथित अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा किया गया हो (iii) आयातक द्वारा ऐसे आयातित माल की बिक्री पर उचित बिक्री कर या योगित मूल्य कर के भुगतान के साक्ष्य जैसा भी मामला हो। सीबीईसी ने 28 अप्रैल 2008 और 13 अक्टूबर 2008 के अपने परिपत्र में क्षेत्रीय संरचनाओं ((i) दिनांक 28 अप्रैल 2008 का परिपत्र संख्या 6/2008-सीमाशुल्क, (ii) 13 अक्टूबर 2008 का परिपत्र संख्या 16/2008-सीमाशुल्क) को सांविधिक लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकार (सीए), जो इन शर्तों के अनुपालन के सबूत के रूप में कम्पनी अधिनियम या

कोई स्टैचू के अंतर्गत आयात के वार्षिक वित्तीय खातों को प्रमाणित करता है से प्रमाणपत्र स्वीकृत करने के निर्देश दिये थे।

मैसर्स बाबा लोकनाथ ट्रेडर्स को कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कस्टम हाउस, कोलकाता पर प्रतिदाय अनुभाग (पोर्ट) का मूल्यांकन करके अधिसूचना संख्या102/2007-सीमाशुल्क के संबंध में ₹ 34.86 लाख की एसएडी राशि वापस दी गई। ₹ 15.04 लाख के प्रतिदाय से जुडे चार प्रतिदाय मामलों में से तीन में दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला कि आयातित मद कोलकाता के पते पर कर दाता पहचान संख्या (टिन) संख्या 19891419558 के अंतर्गत बेचे गये थे, जो जांच[44] करने पर अन्य निर्धारिति मैसर्स श्री आई इंटरनेशनल लिमिटेड, सिलिगुडी, पश्चिम बंगाल के नाम पर पंजीकृत पाया गया था। आयातक द्वारा उचित बिक्री कर/वैट के भुगतान के रूप में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये चालान से पता चला कि बिक्री कर का अलग टिन संख्या 19282524077 के पक्ष में भुगतान किया गया था। यह स्पष्ट है कि आयातक द्वारा प्रस्तुत बिक्री बीजक जाली थे और वैट/सीएसटी चालान इन बिक्री बीजकों से संबंधित नहीं थे यह दर्शाता है कि भारत में आयातित माल की बिक्री पर उचित बिक्री कर/वैट का भुगतान नहीं किया गया था।

इसके अतिरक्त, चार प्रतिदाय फाइलों में कुल 74 बिक्री बीजकों में से 58 (78%) में गलत टिन नम्बर पाया गया था जहां या तो बीजक में दिये गये खरीददार का पता और नाम पंजीकृत टिन विवरण से मेल नहीं खा रहा था या खरीददार का टिन मौजूद नहीं था जो जाली बिक्री बीजक प्रस्तुत करना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि सभी चार प्रतिदाय फाइल में आयातित माल के बिक्री बीजक और बीई एक ही अवधि के थे (सितम्बर 2013 से जून 2014), आयातक ने दो अलग-अलग सीए {श्री राजेश जालान (एक फाइल) और डी मुखोपाध्याय एंड कं. (तीन फाइल)} से सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे जिसमें दोनों ने प्रमाणित किया था कि उन्होंने आयातक का वार्षिक वित्तीय लेखा प्रमाणित किया था, जो संभव नहीं है। श्री राजेश जालान की पंजीकरण संख्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीए) के डाटाबेस में मौजूद नहीं थी जो फिर से प्रतिदाय दावे के साथ प्रस्तुत सीए प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर संदेह

[44] सरकारी वेबसाइट www.tinxsys.com

उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट है कि ₹ 34.86 लाख के एसएडी प्रतिदाय का जाली दस्तोवेजों के आधार पर अनियमित रूप से दावा किया गया था जिसे आयात से वसूल किया जाना था, क्योंकि दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या102/2007-सीमाशुल्क में निर्धारित शर्त पूर्ण नहीं की गई थी।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (फरवरी/अप्रैल/जून 2015), सीमाशुल्क विभाग ने दो प्रतिदाय मामलों के संबंध में ₹ 10.47 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया और एक मामले में मांग सहित कारण बताओं नोटिस जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

7.2 कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अंतर्गत 75 प्रतिदाय मामले फाइलों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि आयातकों ने सीए राज कृष्णा कर जिसकी सदस्या संख्या 009930 और पता 19, बेचु चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700009 था द्वारा उचित रूप से प्रमाणित सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे। दो सीए प्रमाणपत्रों को छोड़कर, जो 20 अगस्त 2014 और 11 अगस्त 2014 को हस्ताक्षरित माने गये थे, 73 प्रतिदाय दावों के संबंध में प्रस्तुत परिशिष्ट-डी के रूप में सभी अन्य प्रमाणपत्रों में तारीख नहीं लिखी थी जो स्वीकार्य नहीं था।

उपरोक्त उल्लिखित सीए प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सदस्यता संख्या (009930) के लिये भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की वेबसाइट से सीए प्रमाणपत्र की यथार्थता की पुष्टि के दौरान, यह पता चला कि कथित सीए (अर्थात राज कृष्णा कर) का नाम सीए की सूची से 16 मार्च 2014 को हटा दिया गया था, क्योंकि सीए की मृत्यु हो गई थी। इस तथ्य की दिनांक 1 जून 2015 के न्यूज़ लेटर, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काऊंसिल ऑफ आईसीएआई की वेबसाइट से ऑनलाइन पुष्टि की गई थी, जिसमें यह उल्लिखित था कि सीए का नाम मृत्यु के कारण हटा दिया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कथित सीए की मृत्यु (15 मार्च 2014) के बाद 20 अगस्त 2014 और 11 अगस्त 2014 को हस्ताक्षरित प्रतिदाय दावों के संबंध में आयातकों द्वारा प्रस्तुत सीए प्रमाणपत्र जाली सीए प्रमाणपत्र हैं। इसके अतिरिक्त, शेष 73 मामलों में यह पता चला कि रिकॉर्ड (अर्थात बिक्री बीजक, टीआर 6 चालान, आयात दस्तावेज आदि) मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से संबंधित थे लेकिन सीए द्वारा प्रमाणित (यद्यपि अद्यतित) किये जाने अपेक्षित हैं जो संभव

नहीं था और तदनुसार एसएडी के प्रतिदाय के दावे के प्रयोजन को जाली माना जा सकता है।

आयातकों द्वारा प्रस्तुत जाली सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुये, दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सीमाशुल्क के पैराग्राफ 2(बी), 2(डी) और 2(ई) (iii) में निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया था। तदनुसार, आयातकों द्वारा धोखा-धड़ी से दावा किये गये, ₹2.04 करोड़ का एसएडी प्रतिदाय अनुचित था और आयातकों के प्रति उचित दण्डात्मक उपायों के अतिरिक्त वसूल की जानी अपेक्षित है।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (सितम्बर 2015 और जनवरी 2016), सीमाशुल्क विभाग ने सूचित किया (मई 2016) कि आयातक को प्रयोजन प्रतिदाय दावों हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आयातकों के प्रति दण्डनीय/कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा की राय है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये विभागीय सतर्कता प्रधिकारियों द्वारा मामले की अच्छी तरह से जांच की जा सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2016)।

स्टील की तार, स्टील की शीट, कॉयल आयात पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की कम वसूली

7.3 सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष[45] के अंतर्गत आयातित माल पर बीसीडी (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम सं 334) यथा संशोधित (दिनांक 16 जून 2015 की अधिसूचना सं. 39/2015 की क्रम सं. 334) के अनुसार 7.5 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य है ।

मैसर्स वी. ट्रेड और 74 अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद, आईसीडी पटपडगंज और एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 7215, 7217, 7220, 7222, 7223, 7225, 7226 और 7228 के अंतर्गत वर्गीकृत ''स्टील वायर रॉड, स्टील शीट,

[45] (सीटीएच) 7206, 7207, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225 (72253090, 72254019, 722550 या 72259000 को छोड़कर), 7226 (72261100 को छोड़कर), 7227 या 7228

कॉयल, स्टील बार'' आदि का आयात किया (जून से अगस्त 2015)। माल लागू 7.5 (उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 334) की बजाय दिनांक 17 मार्च 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के क्रम संख्या 330 के अंतर्गत 5 प्रतिशत की दर बीसीडी वसूल करके क्लियर किया गया था। अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 96.15 लाख की शुल्क राशि की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर 2015), विभाग ने दो आयातकों (मैसर्स मंगला हैडंलेस और मैसर्स मैट्रो इंडस्ट्रीय - आईसीडी - तुगलकाबाद) से ₹ 0.59 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया (सितम्बर 2015/फरवरी 2016) और 12 आयातकों को सहायक आयुक्त, एनसीएच, दिल्ली द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया (फरवरी 2016)। शेष 61 आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

गलत छूट के कारण प्रोजेक्टरों के आयात पर बीसीडी की कम वसूली

7.4 'प्रोजेक्टर' जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रयोग किये जाते हैं सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 85286100 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 17) के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की वसूली से छूट प्राप्त है। जबकि 'प्रोजेक्टर' जो टेलिविजन और वीडियों के साथ-साथ ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ कार्य करने में सक्षम हो लागू उपकर और शुल्क सहित 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाने है और सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं।

मैसर्स वर्धमान टेक्नालॉजी प्रा. लिमिटेड और मैसर्स फैक्सोनिक्स टेक्नालॉजीज़ प्रा. लिमिटेड ने जेएनसीएच, नहावा शेवा, मुंबई के माध्यम से 'प्रोजेक्टर्स सीडब्ल्यू 305 एसटी टीएलपी प्रोजेक्टर और सीएक्स 305 एसटी डीएलपी' के छह प्रेषण आयात किये (जुलाई से अक्टूबर 2015)। यह माल सीटीएच 85286100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 17 के अंतर्गत बीसीडी की रियायती दर पर निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने उत्पाद सूची से नोटिस किया कि 'प्रोजेक्टरों' के आयातित मॉडल में आरएस-232 इनपुट, एस-वीडियों इनपुट और कंपोसिट वीडियों इनपुट

है और इसलिये टेलिविजन और वीडियों के साथ-साथ ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं। तदनुसार, आयातित माल 85286900 के अंतर्गत वर्गीकृत होना चाहिये और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाने योग्य है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण और छूट के अनुचित अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 73.95 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

विभाग को जनवरी 2016 में इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

प्रतिकारी शुल्क की गलत छूट

7.5 सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 9018 और 9019 के अंतर्गत वर्गीकृत शल्य चिकित्सा, दंत या पशुचिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होने वाले यंत्र और उपकरणों के कलपुर्जे और अन्य सामान प्रतिकारी शुल्क की वसूली से छूट प्राप्त है (दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-सीई की क्रम संख्या 59(i))। सीटीएच 9018/9019 के अंतर्गत वर्गीकृत चिकित्सा उपकरण पर 5 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क वसूली योग्य है (दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 10/2006-सीई)।

मैसर्स फिलिप्सइ लैक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने एयर कस्टम, चेन्नै के माध्यम से 'मेग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) प्रणाली, सोनाल्लेवे एमआर एचआईएफयू किट' के चार प्रेषण आयात किये (जून से अक्टूबर 2011)। अयातित माल सीटीएच 90181300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और उनको कलपुर्जों/अन्य सामान मान कर दिनांक 1 मार्च 2006 की उपरोक्त अधिसूचना संख्या 6/2006 के क्रम संख्या 59 के अंतर्गत प्रतिकारी शुल्क से छूट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित माल 'सोनाल्लेवे प्लेटफॉर्न' चिकित्सा उपकरण हैं। इसलिये, संबंधित माल छूट के लाभ और 5 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क का पात्र नहीं है। छूट के गलत अनुदान के प्रतिणामस्वरूप ₹ 61.60 लाख का शुल्क कम एकत्र हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (मई 2016), मंत्रालय ने अवलोकन स्वीकार करते हुये कहा (नवम्बर 2016) कि अन्य कमिश्नरियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जा रहा है। वसूली विवरण प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2016)।

आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क की गलत छूट

7.6 दिनांक 8 मई 2012 की अधिसूचना संख्या 32/2012 सीमाशुल्क द्वारा संशोधित रूप से दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क के क्रम संख्या 70 के अनुसार, परिधान और कपड़ों की वस्तुऐं (61179000 छोड़कर) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाला सभी माल जब भारत में आयातित किया जाता है कथित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत उस पर वसूली योग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है। यह छूट 1 मार्च 2012 को या इसके बाद कथित आयातित माल पर लागू होगी, यदि आयातक निम्नलिखित घोषित करता है:-

i) गंतव्य का राज्य अर्थात राज्य जहां माल आयात के तुरंत बाद बिक्री या स्टॉक स्थानांतरण आधार पर वितरण हेतु ले जाया जायेगा; और

ii) कथित राज्य में, योगित मूल्य कर पंजीकरण संख्या या केंन्द्रीय बिक्री कर पंजीकरण संख्या, जैसा भी मामला हो।

पश्चिम बंगाल (निवारक) कमिश्नरी की माल्दा सीमाशुल्क डिविजन के अंतर्गत महादीपुर भूमि सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) में आयात पत्र की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि मैसर्स राधा कृष्णा इंटरप्राइजेंस और आठ अन्य द्वारा बांग्लादेश से आयातित (अगस्त 2013 से अक्टूबर 2014) सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत वर्गीकृत कपड़ों के 37 प्रेषण को उपरोक्त उल्लिखित अनुसार दोनों निर्धारित शर्तों को पूर्ण किये बिना, दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 70 के अंतर्गत, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत वसूली योग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क की छूट अनुमत थी। अतिरिक्त सीमाशुल्क से गलत छूट के परिणामस्वरूप ₹ 38.68 लाख की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (नवम्बर 2014) कि सीमाशुल्क प्राधिकारी (महादीपुर, एलसीएस) ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि आयातकों ने अपने

आयात पत्र में अपनी संबंधित वैट/सीएसटी संख्या और राज्य कोड स्पष्ट रूप से घोषित किये हैं और सीमाशुल्क से माल की क्लियरेंस होने पर, आयातक अपने गंतव्य तक माल ले जाने हेतु बिलटी फाइल करते हैं। बिलटी की कुछ प्रति संदर्भ के रूप में संलग्न की गई थी।

सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2014) कि उनका दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संलग्न बिलटी की प्रतियां लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये आयात पत्र से संबंधित नहीं थी और वे बांग्लादेश से भारत माल के आयात से संबंधित थी और सीमाशुल्क निर्वाह बिन्दु से गंतव्य राज्य तक आयातित माल की ढुलाई से संबंधित नहीं। मैसर्स राधा कृष्णा इंटरप्राइजेज द्वारा दो आपत्तिपूर्ण आयात पत्र में दिया गया वैट नम्बर (19836591084) अन्य फर्म अर्थात मैसर्स उम्मेद एक्सपोर्ट के नाम पर भी पंजीकृत पाया गया था और वो भी 12 नवम्बर 2013 को रद्द किया गया था जैसा कि वाणिज्यिक कर निदेशालय पश्चिम बंगाल की वेबसाइट से स्पष्ट है।

यह बताने पर सीमाशुल्क विभाग ने बताया (अप्रैल 2015 और अप्रैल 2016) कि आयातकों को कारण बताओं नोटिस सहित मांग नोटिस जारी कर दिया गया है जो निर्णय की प्रक्रिया के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

सोयाबीन एक्स्ट्रेक्शन के आयात पर बीसीडी की अनुचित छूट

7.7 सीटीएच 2304 के अंतर्गत वर्गीकृत "दी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट" दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-सीमाशुल्क के माध्यम से जोड़ी गई, दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क से संलग्न तालिका की क्रम संख्या 104 डी के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त था, दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के माध्यम से डाली गई अधिसूचना संख्या12/2012-सीमाशुल्क के प्रावधान (बीसी) के अनुसार, बीसीडी छूट 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद लागू नहीं थी। आयातित "डी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट" के लिये अतिरिक्त बीसीडी छूट बढ़ाने हेतु अधिसूचना संख्या12/2012-सीमाशुल्क में कोई अनुवर्ती संशोधन नहीं किया गया था।

मैसर्स फीनिक्स ओवरसीज़ लिमिटेड, कोलकाता ने सीमाशुल्क (निवारक) कमिश्नरी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत माल्दा सीमाशुल्क डिविजन के महादीपुर भूमि सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) के माध्यम से 'सोयाबीन एक्सट्रेक्शन' (सीटीएच-2304) के चार प्रेषण आयात किये थे (मई 2015) और दिनांक 17 मार्च 2012 की उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 104 डी के अंतर्गत छूट दिनांक अनुचित रूप से अनुमत की, यद्यपि छूट दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के माध्यम से डाले गये प्रावधान (बीसी) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2015 से अवैध हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.65 लाख के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर 2015), सीमाशुल्क विभाग ने दावा किया (मार्च 2016) कि चूँकि 'डी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट'/'सोयाबीन एक्ट्रेक्शन' के सभी आपत्तिपूर्ण आयात 7 मई 2015 के बाद किये गये थे, इस प्रकार दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-सीमाशुल्क जारी होने के बाद बीसीडी नहीं लगेगा।

विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2016) कि उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तुत क्रम संख्या 104 डी के अंतर्गत आयातित ''डी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट'' पर शुल्क की छूट अधिसूचना के प्रावधान (बीसी) के अनुसार केवल 31 मार्च 2015 तक वैध थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

नई दिल्ली **(शेफाली एस अन्दलीब)**
दिनांक: 23 जनवरी 2017 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 23 जनवरी 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक 1

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

(संदर्भ पैरा 1.11)

(2.9.2016 तक)

औपचारिक मंजूरी की संख्या	**408**		
अधिसूचित सेज़ की संख्या	**328** + (7 केंद्र सरकार + 11 राज्य/निजी. सेज़)		
चालू सेज़	**204**		
सेज़ में इकाई मंजूरी	**4,166**		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (31 मार्च 2016)**
केंद्र सरकार के सेज़	₹2,279.20 करोड़	₹12,898.80 करोड़	₹15,178 करोड़
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/निजी सेज़	₹1,756.31 करोड़	₹8,412.69 करोड़	₹10,169 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	-	₹3,51,147 करोड़	₹3,51,147 करोड़
कुल	**₹4,035.51 करोड़**	**₹3,72,458.49 करोड़**	**₹3,76,494 करोड़**
रोजगार	**रोजगार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोजगार**	**कुल रोजगार (31 मार्च 2016)**
केंद्र सरकार के सेज़	1,22,236 व्यक्ति	1,16,146 व्यक्ति	2,38,382 व्यक्ति
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/निजी सेज़	12,468 व्यक्ति	71,536 व्यक्ति	84,004 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	0 व्यक्ति	12,68,995 व्यक्ति	12,68,995 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**14,56,677 व्यक्ति**	**15,91,381 व्यक्ति**
2013-14 में निर्यात	**₹4,94,077 करोड़**		
2014-15 में निर्यात	**₹4,63,770 करोड़**		
2015-16 में निर्यात (31 मार्च 2016)	**₹4,67,337 करोड़**		

स्रोत: SEZindia.nic.in

अनुलग्नक 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए कर चोरी वाले मामले (योजनावार)

(संदर्भ पैरा 1.17)

₹ करोड़

क्र.सं.	योजना	वि.व. 12		वि.व. 13		वि.व. 14		वि.व. 15		वि.व. 16	
		मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क
1	अंतिम उपयोग एवं अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरूपयोग	54	304.84	39	67.79	38	1211.67	18	110.18	69	770.48
2	ईपीसीजी का दुरूपयोग	6	25.72	13	179.55	22	583.08	49	289.11	64	454.92
3	कम मूल्यांकन	184	466.17	210	282.43	140	432.71	85	285.64	92	254.37
4	गलत घोषणा	111	844.44	298	2392.26	102	224.22	52	172.42	112	1187.61
5	फिरती	13	25.93	71	1590.14	17	80.5			94	1150.46
6	ईओपी/ईपीजेड/ सेज का दुरूपयोग	6	9.66	7	39.07	3	6.9	6	37.5	18	9.54
7	डीईपीबी का दुरूपयोग	26	23.93	16	22.77	5	3.09				
8	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	1	0.1	6	139.73	1	0	11	1077.15	12	15.21
9	अन्य	97	27.43	49	28.92	366	570.55	186	953.54	170	2780.73
	कुल	**498**	**1728.22**	**709**	**4742.66**	**694**	**3112.72**	**407**	**2925.54**	**631**	**6623.32**

स्रोत: राजस्व विभाग, सीबीईसी नई दिल्ली

अनुलग्नक 3

कमिश्नरीवार नमूना चयन

(पैरा सं. 2.5 देखें)

कार्यालय का नाम	कुल कमिश्नरियां	लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु चयननित	लेखापरीक्षा हेतु चयनित मामलें	लेखापरीक्षित अभिलेख
दिल्ली	7	4 (एनसीएच-निर्यात, निवारक, आईसीडी-टीकेडी एयरपोर्ट)	300	300
मुम्बई	12	4 (आयात-II,जेएनसीएच, निर्यात, गोवा)	277	277
चेन्नई	10	4 (चेन्नई-सी, तुतीकोरिन, कोची, त्रिवेंद्रम)	300	300
अहमदाबाद	5	3 (अहमदाबाद, कांडला, जोधपुर)	212	212
बैंगलुरू	3	3(बैंगलोर, बैंगलोर-आईसीडी, एयरपोर्ट)	215	215
चण्डीगढ़	2	2 (लुधियाना, अमृतसर)	142	142
लखनऊ	9	5 (कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोयडा, पटना)	248	248
हैदराबाद	3	3(हैदराबाद, विशाखापटटनम, भुवनेश्वर)	225	225
कोलकाता	6	3 (कोलकाता, (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट) तथा निवारक पश्चिम बंगाल)	458	258
कुल	**51***	**31**	**2377**	**2177**

*स्रोत:क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना

अनुलग्नक 4

सीमा शुल्क विभाग के निवारक विंग का संगठनात्मक ढांचा

(पैरा सं. 3.1 देखें)

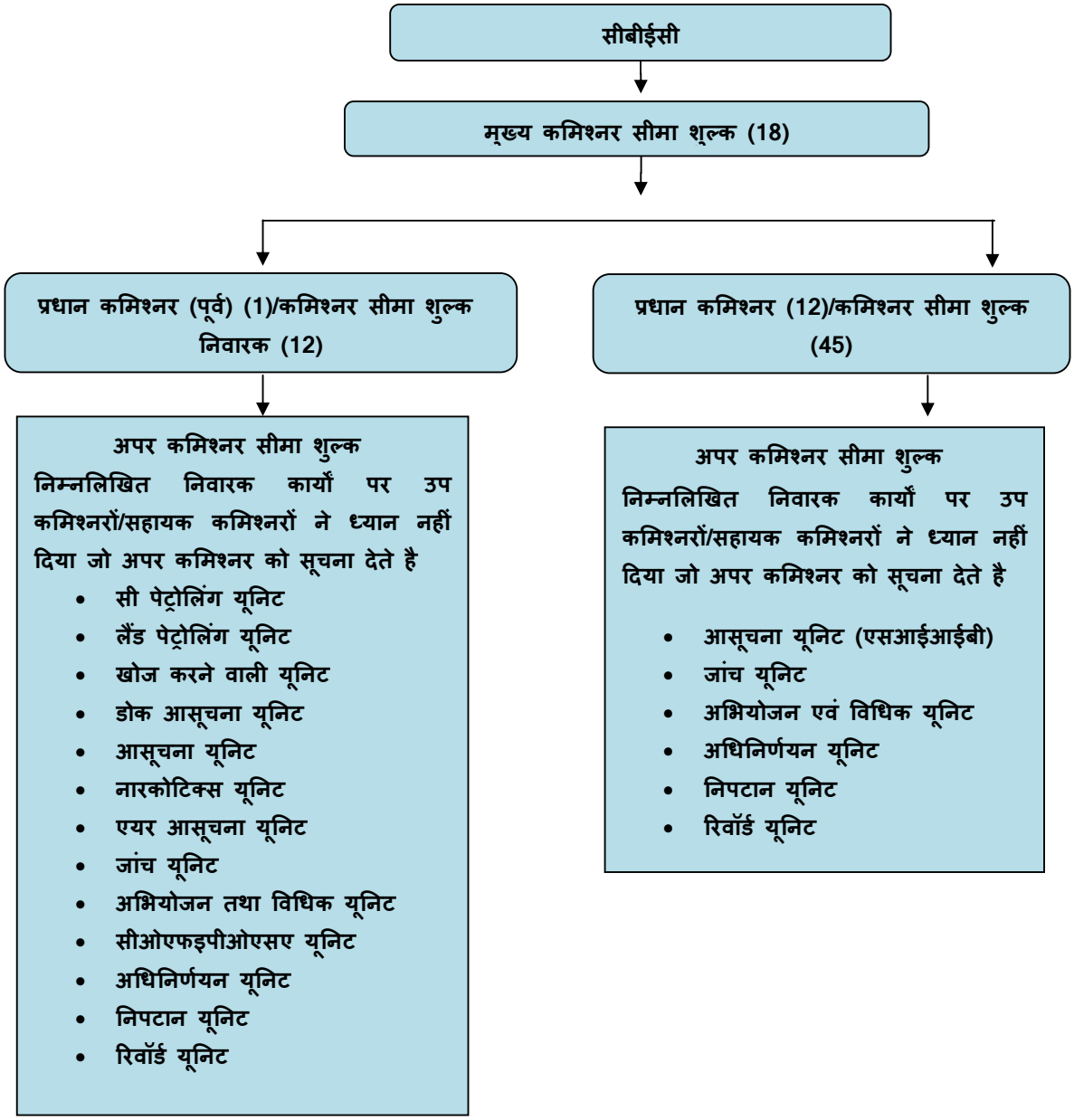

अनुलग्नक 5

जैसा कि डीओएल द्वारा विनिर्दिष्ट है कर्मीदल की आवश्यकता

(पैरा सं. 3.6.1 देखे)

श्रेणी-I		श्रेणी-II		श्रेणी-IIIए/बी	
पद	**आवश्यक संख्या**	**पद**	**आवश्यक संख्या**	**पद**	**आवश्यक संख्या**
स्कीपर	1	स्किपर	1	सुखानी	1
इंजीनियर	1	इंजीनियर	1	एल. मेकेनिक	1
तिदंल	1	स्किपर मेट	1	सीमेन	1
इंजन ड्राइवर	1	इंजीनियर मेट	1	ग्रीजर	1
व. डेक हैंड	1	सिमेन	3		
सिमेन	4	ग्रीजर	1		
ग्रीजर	1				
कुल	**10**		**8**		**4**

अनुलग्नक 6

31 मार्च 2016 को मशीन स्टाफ की स्थिति

(पैरा सं. 3.6.1 देखे)

क्र.सं.	कार्यालय	कमिश्नरी	ग्रेड	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तियां	पदों के प्रति रिक्तियों की %
1	मुम्बई	सीमाशुल्क की कमिश्नरी (निवारक), मुम्बई	(स्कीपर/इंजीनियर)	15	1	14	93
			मेट/तनदेल सुखानी/सीमेन	178	89	89	50
			कुल	193	90	103	53
2		गोवा	ग्रुप बी (स्कीपर/इंजीनियर)	6	0	6	100
			ग्रुप सी (स्कीपर मेट/इंजीनियर मेट/तनदेल/ सुखानी/सीमेन आदि)	34	28	6	18
			कुल	40	28	12	30
3	अहमदाबाद	कांदला	ग्रुप बी (स्कीपर/इंजीनियर)	4	0	4	100
			ग्रुप सी (स्कीपर मेट/इंजीनियर मेट/तनदेल/ सुखानी/सीमेन आदि)	32	9	23	72
			कुल	36	9	27	75
4	बैंगलुरू	मैंगलोर	ग्रुप बी (स्कीपर/इंजीनियर)	10	0	10	100
			ग्रुप सी (स्कीपर मेट/इंजीनियर मेट/तनदेल/ सुखानी/सीमेन आदि)	51	13	38	75
			कुल	61	13	48	79
5	चेन्नै	कालीकट	ग्रुप बी (स्कीपर/इंजीनियर)	6	0	6	100

क्र.सं.	कार्यालय	कमिश्नरी	ग्रेड	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तियां	पदों के प्रति रिक्तियों की %
			ग्रुप C(स्कीपर मेट/इंजीनियर मेट/तनदेल/ सुखानी/सीमेन आदि	30	20	10	33
			कुल	36	20	16	44
6		कोचीन	ग्रुप बी (स्कीपर/इंजीनियर)	8	2	6	75
			ग्रुप सी (स्कीपर मेट/इंजीनियर मेट/टंडल/सुखानी/सी मैन आदि	38	16	22	58
			कुल	46	18	28	61
7	हैदराबाद	विजयवाड़ा	ग्रुप बी ग्रुप सी	14	6	8	57
8		विशाखापटनम	ग्रुप बी ग्रुप सी	18	11	7	39
9	कोलकाता	निवारक कमिश्नरी, कोलकाता	ग्रुप बी	8	3	5	63
			ग्रुप सी	68	9	59	87
			योग	76	12	64	84
	कुल योग			**520**	**207**	**313**	

अनुलग्नक 7
जहाज विशिष्टताएं

(पैरा सं. 3.6.3 में संदर्भित)

क्र. सं.	जहाज की श्रेणी	प्रत्येक जहाज की विशिष्टिताएं	मुख्य विशेषताएं
1	श्रेणी-I	लंबाई-20मी. चौड़ाई-06मी. जहाजरानी से कुल उचाँई-09.50मी. आलेखन-1.43मी. सकल टन-34टन	अधिकतम गति-25नॉटस क्षमता-3दिन जीपीएस, राडार, सेटकॉम, वीएचएफ/यूएचएफ सेट
2	श्रेणी-II	लंबाई-13मी. चौड़ाई-3.77मी. जहाजरानी से कुल उचाँई-4.42मी. आलेखन-0.86मी. सकल टन-11.35टन	अधिकतम गति-40नॉटस क्षमता-18घंटे दिन जीपीएस, राडार, सेटकॉम, वीएचएफ/यूएचएफ सेट
3	श्रेणी-IIIए	लंबाई-9मी. चौड़ाई-3.02मी. जहाजरानी से कुल उचाँई-2.60मी. आलेखन-0.80मी. सकल टन-4.83टन	अधिकतम गति-30नॉटस क्षमता-10घंटे सैल्फ राइटिंग प्रोपर्टी सहित लंबाई-9मी., जीपीएस, राडार, सेटकॉम, वीएचएफ/यूएचएफ सेट
4	श्रेणी-IIIबी	लंबाई-6मी. चौड़ाई-2.25मी. जहाजरानी से कुल उचाँई-2.27मी. आलेखन-0.70मी. सकल टन-2.49टन	अधिकतम गति-35नॉटस क्षमता-10घंटे सैल्फ राइटिंग प्रोपर्टी सहित लंबाई-6मी., जीपीएस, राडार, सेटकॉम, वीएचएफ/यूएचएफ सेट

अनुलग्नक 8

विभाग द्वारा स्वीकार्य 'शुल्क छूट/ रियायत योजनायों' के मामलों की जांच परीक्षण के विवरण

(अध्याय IV का सन्दर्भ)

क्रम. सं.	मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रिय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशी (₹ लाख में)	स्वीकार्य राशि (₹ लाख में)	वसूली राशि (₹ लाख में)	डीसी/डीजीएफटी/क मिश्नरी का नाम
1	**डीएपी 5**	बेंगलुरू	पुनः निर्यात दायित्वों की गैर पूर्ति	37.57	26.76	26.76	आरएलए, बैंगलौर, III
2	**डीएपी 6**	बेंगलुरू	ब्याज की गैर-वसूली	21.35	19.58	19.58	आरएलए सीमा-शुल्क आईसीडी, व्हाइटफील्ड बैंगलौर के अतिरिक्त आयुक्त
3	**डीएपी 13**	अहमदाबाद	सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग और एसएडी का गैर-भुगतान	12.99	12.99	12.99	भरूच
4	**डीएपी 20**	अहमदाबाद	अयोग्य निर्यात की गिनती के कारण शुल्क क्रेडिट की अतिरेक राशि	14.62	14.13	14.13	जेडीजीएफटी, अहमदाबाद
5	**डीएपी 29**	बेंगलुरू	पुनः निर्यात दायित्वो की गैर-पूर्ति	16.28	16.28		आरएलए, बैंगलुरू
6	**डीएपी 30**	बेंगलुरू	पुनः निर्यात दायित्वासे की गैर-पूर्ति	16.97	16.97		आरएलए, बैंगलुरू
7	**डीएपी 31**	हैदराबाद	ईपीसीजी योजना के तहत पुनः निर्यात दायित्वों की गैर-पूर्ति	38.73	38.73	38.73	जेडीजीएफ, हैदराबाद,
8	**डीएपी 32**	कोलकाता	रद्द अग्रिम प्राधिकरण के विरूद्ध छुट प्राप्त शुल्क की गैर-वसूली	18.27	21.36	21.36	सीमा शुल्क (बदंरगाह के कमिश्नरी के तहत कोलकाता सीमा-शुल्क हाऊस श्रेणी-

क्रम. सं.	मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रिय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशी (₹ लाख में)	स्वीकार्य राशि (₹ लाख में)	वसूली राशि (₹ लाख में)	डीसी/डीजीएफटी/क मिश्नरी का नाम
							VII, सीमा-शुल्क के सहायक कमीश्नर
9	**डीएपी 52**	कोच्चि	शुल्क क्रेडिट की अतिरेक राशि	17.35	17.35	17.35	जेडीजीएफटी, तिरूअन्तपुरम
10	**डीएपी 54**	चेन्नई	समय बाधित आवेदन पर एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रीप्ट की गलत मंजूरी	234.00	148.00	148.00	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
11	**डीएपी 55**	बेंगलुरू	सीएसटी अग्राह्य की प्रतिपूर्ति	11.87	0.16	0.16	आरएलए, बेंगलुरू
12	**डीएपी 56**	अहमदाबाद	एफपीएस क्रेडिट का गलत अनुदान	19.12	19.12	19.12	जेडीजीएफटी, अहमदाबाद
13	**डीएपी 62**	हैदराबाद	पीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क मुक्त क्रेडिट पात्रता से अतिरेक संस्वीकृति	14.62	13.06	13.06	जेडीजीएफटी, विशाखापट्टनम
14	**डीएपी 63**	हैदराबाद	पीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क मुक्त क्रेडिट पात्रता से अतिरेक संस्वीकृति	10.34	13.37	13.37	जेडीजीएफटी, विशाखापट्टनम
15	**डीएपी 64**	हैदराबाद	इपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्वों की गैर-पूर्ति	14.57	36.42	36.42	जेडीजीएफटी, हैदराबाद
16	**डीएपी 65**	चेन्नई	अपात्र उत्पादों के लिए स्थिति धारक प्रोत्साहन सिक्रप्ट का अनुदान और विलम्ब कटौती का गैर-अधिरोपण	12.34	12.33	12.33	जेडीजीएफटी, चैन्नई

क्रम. सं.	मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रिय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशी (₹ लाख में)	स्वीकार्य राशि (₹ लाख में)	वसूली राशि (₹ लाख में)	डीसी/डीजीएफटी/कमिश्नरी का नाम
17	**डीएपी 66**	चेन्नई	अपात्र निर्यात वस्तुओ के लिए एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट का अनुदान	17.41	78.89	78.89	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
18	**डीएपी 71**	कोच्चि	एसएफआईएस स्क्रिप्ट में अतिरेक क्रेडिट के कारण शुल्क का गैर-भुगतान	27.53	9.61	9.61	जेडीजीएफटी, तिरूअन्तपुरम
19	**डीएपी 84**	चेन्नई	वीकेजीयूवाई योजना केतहत अपात्र वस्तुओं पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान	10.82	10.82	10.82	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
20	**डीएपी 89**	चेन्नई	वीकेजीयूवाई योजना केतहत अपात्र वस्तुओं पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान	26.53	20.93	20.93	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
21	**डीएपी 92**	चेन्नई	आवेदन अवधि केऊपर प्रदान की गई सेवाओं के लिए एसएचआईएसयुल्क क्रेडिट का अनुदान	15.20	20.45	20.45	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
22	**डीएपी 96**	चेन्नई	अयोग्य उत्पादों का एसएचआईएस क्रेडिट देना जो रासायनिक और संबद्ध उत्पादों के क्षेत्र में आते थे।	28.10	28.1		जेडीजीएफटी, चेन्नई
			कुल	**636.58**	**595.41**	**534.06**	

अनुलग्नक 9

विभाग द्वारा स्वीकृत 'सीमा शुल्क राजस्व निर्धारण' के मामलों की नमूना जांच के विवरण

(संदर्भ अध्याय V)

क्रम. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकार्य राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय / डीजीएफटी / डीसी का नाम
1	**डीएपी 8**	मुंबई	एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना	32.95	32.95	5.29	जेएनसीएच, मुंबई
2	**डीएपी 9**	मुंबई	सुरक्षा शुल्क न लगाना	13.24	13.94		एनसीएच, मुंबई
3	**डीएपी 11**	मुंबई	एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना	36.66	36.66		जेएनसीएच, मुंबई
4	**डीएपी 12**	अहमदाबाद	एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना	51.57	56.45	56.45	आईसीडी, खोदिया
5	**डीएपी 14**	अहमदाबाद	स्थापना प्रभारों की कम वसूली	35.58	36.66	36.66	जामनगर (निवारक कॉम।), गांधीधाम
6	**डीएपी 15**	अहमदाबाद	कम शुल्क लगना	95.79	110.00	110.00	कस्टम हाउस, कांडला
7	**डीएपी 17**	दिल्ली	एंटी डंपिंग शुल्क न लागने के कारण कम शुल्क लगाना	15.14	15.22	15.22	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
8	**डीएपी 19**	मुंबई	प्रतिकारी शुल्क न लगाना	206.00	206.00	206.00	जेएनसीएच, मुंबई
9	**डीएपी 27**	कोलकाता	सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर न लगाना	62.87	47.56	47.56	सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क कमिश्नरी शिलांग के तहत अगरतला सीमाशुल्क डिविजन

क्रम. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकार्य राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय / डीजीएफटी / डीसी का नाम
10	**डीएपी 33**	मुंबई	एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना	10.41	8.10	8.10	जेएनसीएच, मुंबई
11	**डीएपी 42**	मुंबई	एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना	25.24	3.33	3.33	जेएनसीएच, मुंबई
12	**डीएपी 70**	चेन्नई	शुल्क वापसी का अधिक भुगतान	10.93	6.62	6.62	चेन्नई (सी)
13	**डीएपी 74**	कोलकाता	निर्यात अर्जन से उगाही में विफलता के कारण फिरती की वसूली न होना	15.02	10.26	10.26	आईसीडी, दुर्गापुर के तहत दुर्गापुर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय
14	**डीएपी 83**	मुम्बई	इकाई स्थानांतरण पर अतिरिक्त शुल्क का उदग्रहण न हाना	16.32	9.12	9.12	जेसीएनएच, मुम्बई
15	**डीएपी 88**	दिल्ली	देय एन्टी डम्पिंग शुल्क पर शुल्क का कम उदग्रहण	11.64	5.39	5.39	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
			कुल	**639.36**	**598.26**	**520.00**	

अनुलग्नक 10

विभाग द्वारा स्वीकृत 'वस्तुओं का गलत वर्गीकरण' के जांच किए गए मामलो का विवरण

(अध्याय VI देखें)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	**डीएपी 2**	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	30.24	8.39	8.39	चेन्नई (समुद्र), सीमाशुल्क
2	**डीएपी 3**	बेंगलुरू	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.62	14.63	14.63	आईसीडी, बेंगलुरू /एसीसी, बैंगलोर
3	**डीएपी 4**	बेंगलुरू	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	7.36	10.41	10.41	एसीसी, बेंगलुरू
4	**डीएपी 16**	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	25.02	25.02		आईसीडी, तुगलकाबाद
5	**डीएपी 22**	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.31	4.01	4.01	आईसीडी, पड़पड़गंज, तथा तुगलकाबाद
6	**डीएपी 34**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	13.06	13.06		जेएनसीएच, मुम्बई
7	**डीएपी 36**	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.25	12.25		चेन्नई (समुद्र)
8	**डीएपी 37**	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	16.03	18.46	18.46	चेन्नई (समुद्र)
9	**डीएपी 41**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	24.10	24.1		जेएनसीएच, मुम्बई
10	**डीएपी 44**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	22.18	22.18		जेएनसीएच, मुम्बई
11	**डीएपी 51**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम	20.36	20.36		जेएनसीएच, मुम्बई

			उदग्रहण				
12	**डीएपी 68**	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.68	8.30	8.30	चेन्नई (समुद्र)
13	**डीएपी 69**	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.32	16.22	16.22	चेन्नई (एयर) सीमाशुल्क
14	**डीएपी 76**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.49	11.49		जेएनसीएच, मुम्बई
15	**डीएपी 81**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.93	10.93		जेएनसीएच, मुम्बई
16	**डीएपी 87**	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.77	7.11	7.11	आईसीडी, तुगलकाबाद और पड़पड़गंज
17	**डीएपी 93**	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	23.25	11.02	11.02	चेन्नई (समुद्र)
18	**डीएपी 95**	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	52.90	52.90		जेएनसीएच, मुम्बई
			कुल	**325.87**	**290.84**	**98.55**	

अनुलग्नक 11

विभाग द्वारा स्वीकृत 'सामान्य छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग' के जांच किए गए मामलो का विवरण

(अध्याय VII देखें)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	**डीएपी 58**	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण तथा इसके बाद अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी	13.95	13.95		आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
2	**डीएपी 59**	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.87	11.70	11.70	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
			कुल	**24.82**	**25.65**	**11.70**	